

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 सितम्बर, 2000

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण

विशत सूची

बुधवार, 6 सितम्बर, 2000

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम-45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)61
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)62
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(2)66
स्थगन प्रस्ताव/विशेशाधिकार भंग की सूचना	(2)67
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना	(2)68
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)74
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(2)75
सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र	(2)75
विधान कार्य	
(i) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000	(2)76

वाक आउट	(2)76
दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000 (पुनरारम्भ)	(2)76
(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000	(2)77
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(2)89
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000 (पुनरारम्भ)	(2)89
वाक आउट	(2)99
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000 (पुनरारम्भ)	(2)99
(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000	(2)99
(iv) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिंड अमैडमेंट) बिल 2000	(2)104
(v) दि हरियाणा लोकल ऐरिया डिवैल्पमेंट टैक्स बिल, 2000	(2)106
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	

(i) हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट संबंधी	(2)117
(ii) हरियाणा सीडज डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन की रिपोर्ट संबंधी	(2)118
मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव	(2)118
वाक आउट	(2)119
मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(2)119
वाक आउट	(2)122
मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(2)122
वाक आउट	(2)122
मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(2)122

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 6 सितम्बर, 2000

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल होगा।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारी बात सुनें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे।

श्री भजन लाल: आप पहले हमारी बात सुनें। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम प्रश्नकाल चलने नहीं देंगे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद आप बोल लेना।

श्री भजन लाल: आप पहले हमारी बात सुनिये। ऐसे हाऊस नहीं चलेगा। ऐसे कोई हाऊस चलता है। क्या यह हाऊस आपकी जागीर है? यह हाऊस आपकी जागीर नहीं है। यह हाऊस सबकी जागी है। (शोर एवं विघ्न) 4 दिन के सेशन को दो दिन में खत्म कर दें यह कोई अच्छी बात है। आप चाहते होंगे कि हम

वाक आउट करके चले जाएं, हम वाक आऊस करके बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप हाउस का पूरा काम न करके हाउस को एडजर्न करके चले जायें। तो ऐसे हालत नहीं चलने वाला। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब, प्रश्नकाल के बाद आप अपनी बात कह लेना।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 4 दिन का नोटिस देकर के सरकार दो दिन में ही भाग जाए, यह कोई अच्छी बात है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्नकाल के बाद बोल लेना।

आवाजें: वे वाक आऊट करके जाएंगे।

श्री भजन लाल: हम वाक आऊट करके जाने वाले नहीं हैं। (शोर एवं विघ्न) कल तो स्पीकर साहब भी वाक आऊट करके चले गये थे।

श्री अध्यक्ष: हम वाक आऊट करके नहीं गए बल्कि हाउस को एडजर्न करके गए थे। आप चाहे तो रिकार्ड देख सकते हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, आप पहले हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कह लेना। प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का पूरा समय मिलेगा।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, यह भी पहली दफा देखा गया है कि अपोजीशन वालों को यह भी नहीं पता कि वाक आऊट कब किया जाता है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सभी मैम्बर साहेबान बैठिये। इस ढंग से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। आप लोगों का बात करने का प्रजातंत्रिक तरीका नहीं है। (शोर) आपको पूरा समय मिलेगा। मैंने आपको कहा है कि प्रश्नकाल के बाद आप लोगों को बोलने के लिए पूरा समय मिलेगा आप बैठ जाएं। आप लोगों का बात कहने का यह कोई ठीक तरीका नहीं है। (शोर) कादियान साहब आप अपनी सीट पर बैठकर बात करें। आप सभी को बात करने के लिए पूरा समय मिलेगा। जीरो आवर में आप सबको बता दिया जाएगा कि आपको बिहेवीयर कैसा करना चाहिये। मैं खड़ा हूँ तब आप बोले जा रहे हैं, प्रश्नकाल के बाद आपकी सभी बातों का जवाब मिलेगा।

श्री रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए मैंने रूल 37 के तहत नोटिस देते हुए उस पर डिस्कशन की मांग की थी। लेकिन वह नहीं सुनी। (शोर एवं विघ्न)

तारांकित प्रश्न संख्या 214

आवाजे: ** ** ** ** ** ** ** **

श्री अध्यक्ष: आप लोग पहले अपनी सीटों पर बैठें।
(विघ्न एवं शोर)

आवाजे: ** ** ** ** ** ** ** **

श्री अध्यक्ष: भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपना क्वेश्चन पुट करें।
(शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपनी सीट पर जा कर
अपना क्वेश्चन पुट करें अदरवाईज मुझे दूसरे मैम्बर को सवाल के
लिए कहना पड़ेगा। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी अपनी
सीटों पर बैठें। (शोर एवं विघ्न) श्री रणबीर सिंह अपना सवाल पुट
करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर सिंह: प्रश्न संख्या -214 (शोर एवं व्यवधान)

Number of Beneficiaries under Kanyadan Scheme

***214. Sh. Bhupinder Singh Hooda @ Sh. Ranbir Singh:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state -

(a) the number of beneficiaries under Kanyadan Scheme of the Govt. during the year 199-2000 for S.C./S.T.

(b) the total amount sanctioned for the Kanyadan Scheme during current financial year; and

(c) the economic criteria, if any, laid down for sanctioned the amount of Kanyadan?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रिसाल सिंह):

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान कन्यादान स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभपात्रों की संख्या 1551 है। हरियाणा राज्य में अनुसूचित जन जाति नहीं है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31.7.2000 तक इस योजना के अन्तर्गत 62.42 लाख रूपये की राशि खर्च की गई।

(ग) यह राशि अनुसूचित जाति के उन परिवारों को प्रदान की जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, इस सवाल का जवाब दें। (शोर एवं व्यवधान) किसी की कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी, सवाल का जवाब दें।

Sh. Risal Singh: The number of Scheduled Caste beneficiaries under the Kanyadan Scheme in 1999-2000 is 1551. There are no Scheduled Tribes in Haryana. (interruptions)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं भी इनकी इस बात के लिए स्पोर्ट करता हूँ।

आवाजें: आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। क्वेश्चन आवर के बाद आप अपनी बात कहें। (शोर) क्वेश्चन आवर के बाद आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। (शोर)

Sh. Risal Singh: An amount of Rs. 62.42 lakhs has been spent under this scheme during the current financial year upto 31.7.2000.

आवाजें: हमने आपको एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था। (विघ्न एवं शोर) **** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग पहले अपनी अपनी सीटों पर जाएं इसके बाद ही आपकी कोई बात सुनी जाएगी। (विघ्न एवं शोर) एडजर्नमेंट मोशन एक घंटा पहले आनी चाहिए लेकिन आप ने वह बाद में दी। आपको एडजर्नमेंट मोशन देना नहीं आता तो में क्या करूँ। (शोर) आप रूल पढ़ कर आईये। (शोर) मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी सीटों पर जाईये ओर

मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब सुनिए। (विघ्न एवं शोर) आपकी बात भी सुनी जाएगी। (विघ्न) क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात बाकायदा सुनी जाएगी और आपकी सारी बातों का जवाब होगा। अभी आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जाएं। (विघ्न एवं शोर)

Sh. Risal Singh: The amount is given to those Scheduled Castes families who are living below the poverty line.

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिये।
(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (विघ्न एवं शोर) मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप अपनी बात सुनाना नहीं चाहते हैं। (विघ्न एवं शोर) क्या आपका यह तरीका है? जिस तरह का आपका बिहेवयर है, क्या वह ठीक है? (विघ्न) ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी अपनी अपनी सीटों पर जा कर बैठें। रूल्ज एंड प्रोसीजर के हिसाब से ही हाउस का सारा बिजनैस चलेगा। (विघ्न) आप लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठें। क्वेश्चन आवर में कुछ नहीं सुना जाएगा। क्वेश्चन आवर के बाद आपकी बात सुनी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटो पर बैठ जाएं। चौ. भजन लाल जी आप अपने सदस्यों को सीटों पर बिठाएं, इनको सभ्यता सिखाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Opening of Govt. College, Ellenabad and Rania

***199. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open Govt. College at Ellenabad and Rania?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बहादुर सिंह): नहीं श्रीमान जी।
(शोर)

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। क्वेश्चन आवर के बाद आप सबकी बातें सुनी जाएंगी। (शोर एवं व्यवधान) चौ. भजन लाल जी आप अनी टीम को समझाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग जिस तरह से यह सब कर रहे हैं इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलने दें उसके बाद आप बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) आप सब प्लीज अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने अपनी रूलिंग पहले ही दे दी है, आप सबकी बात प्रश्नकाल के बाद सुनी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) आप किसी बात के लिए मुझे मजबूर न करें। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या 113

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री सीता राम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(कई सदस्य सदन की वैल में आ गए तथा नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष: आप सब प्लीज अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब की बात प्रश्नकाल के बाद ही सुनी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

Allotment of Custodian Land

***160. Sh. Tejvir Singh:** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state –

(a) the yearwise number of persons in the State to whom the custodian land was allotted during the years 1980 to 2000 togetherwith the names and addresses thereof; and

(b) the number of cases regarding false allotment of custodian land, if any, registered/brought to the notice during the aforesaid period togetherwith the position thereof?

Town and Country Planning Minister (Sh. Dhirpal Singh):

(a) Information is given in the Annexure.

(b) In all seven F.I.Rs. have been lodged. In case of three F.I.Rs., preliminary enqueries/investigations were carried out by the department and in case of other four by the Vigilance Department. These F.I.Rs. are at different stages of investigation.

Yearwise list of cases in which allotment against claims has been made in Haryana from 1.1.1980 to 31.8.2000.

Sr.	Name & address of the allottee whom	Name of village with Tehsil in	Area allotted	Area allotted	Remarks

No.	the land has been allotted	which area allotted	is Std. Acres SA-U	is Ord. Acres A-K-M	
1	2	3	4	5	6
Year 1980					
1	Vidya Nand S/o Sh. Notan Dass Vill. Sewli (Faridabad)	Sevli, Teh. Hodel, Distt. Faridabad	1-5	1-2-9	
2	Prem Singh S/o Bagha Singh through Narain S/o Chuli Lal R/o Abubsheher	Amritsar Teh. Dabwali, Distt. Sirsa	5-4	5-4-16	
3	Aisha Begum W/o Gyur Hussain D/o Abdul Hamid, Wazid Ali S/o Sufi Momukhiar Madhu S/o Muzafar Ali Vill. Hapur Mohalla Nami Karim Distt. Meerut (U.P.)	Sehrola/Nuh, Distt. Gurgaon	0-5-4	0-6-11	Intact
4	Khem Chand S/o Viru Mal H.No. 427/FF Greater	Agcu/F.P. Jhirka Distt. Gurgaon	3-11½	6-5-4	-do-

	Kailas1, N. Delhi				
5	Roshan Ram S/o Mehtar Chand Shahdra Nagar, Old Oil Mills Sharanpur, U.P.	Sondh/Nub, Distt. Gurgaon	0-3¼	0-4-5	-do-
6	Tek Chand S/o Ishwar Dass 5L- 125, New Town ship, Faridabad.	Sihi/Gurgaon	2-9½	3-3-17	-do-
7	Smt. Godhi Bai through Sh. H.L. Arora	Dhiruwas Garhi	1-0½	2-3-4	
8	-do-	Gudiani	0-6½	1-5-3	
9	Jeewan Dass S/o Sewa Ram Through Harbans Lal	Bahu Jhollari, Teh. & Distt. Rohtak	1-11	6-8-0	
10	Jagdish through Harbans Lal	-do-	0-03	12-6-0	
11	Sh. Hotu Ram S/o Tharia Ram through Ganesh Dass	Bilochpura Jakhola Shajanpur	0-13½ 1-8 1-13	3-3-0 8-7-3 7-1-17	

12	Kala Singh S/o Ladda Ram	Kaserla Kalan Teh. Ambala	0-15½	3-1-4	
13	Sh. Ram S/o Prithi Chand	Kaserla Kalan Teh. Ambala	0-10½	1-0-0	
14	Sh. Nanak Chand S/o Sh. Atma Ram	Dabhoori, Teh. Distt. Panchkula	0-12½	1-5-12	
15	Amrik Singh S/o Brij Ram Rama	Hamidpur, Teh. Ambala	1-5	2-0-18	
16	Sajji S/o Ram Chander	-do-	2-3	2-4-6	
17	Narain Dass S/o Ganesh Dass	Jalalpur (Ambala)	1-3½	1-2-14	
18	Darshan Singh	Dera Teh. N.Garh Distt. Yamuna Nagar	6-0	1-3-17	
		Total	37-1	75-7-8	

Year 1981

1	Kamla S/o Sokat Khan Village Soundh (Faridabad)	Hassanpur (Hodel), Distt. Faridabad	0-13¾	1-5-16	
2	Teja Singh S/o Jaswant Singh	Janesrao, Tehsil Indri, Distt. Karnal	12-14½	13-6-13	
3	Sh. Wazir Mohammad S/o	Khuniya, Teh.	18-9	21-3-5	

	Noor Mohd. through H.L. Arora R/o Rohtak	Sirsa Nabalpur			
4	Ram Singh, Kartar Singh, Gurmukh Singh S/o Attar Singh through Shiv Narayan Abub Shehar	Mouja Khera, Teh. Ellenabad, Distt. (Sirsa)	5-4 ³ / ₄	14-0-18	
5	Sh. Wazir Mohd. S/o Noor Mohd. of Delhi through H.L. Arora R/o Rohtak	Jhiri, teh. Sirsa	0-3 ³ / ₄	0-6-0	
6	Jhangi Ram S/o Topal Dass through H.L. Arora R/o Rohtak	-do-	5-12	7-0-0	
7	Hira Ram Munshi Ram, Ram Kishan S/o Daya Ram through Shiv Narayan R/o Abub Shehar	Jhiri, Teh. & Distt. Sirsa	2-7	29-6-18	
8	Smt. Laxmi Bai Wd/o Lal Chand through Hari Singh R/o Khai Sher	Kharian, Teh. Rania Distt. Sirsa	12-8	16-6-16	

	Khera				
9	Gian Singh S/o Hira Singh through Shiv Naranin Abubshehar	Chamal, Teh. & Distt. Sirsa	5-4¼		
10	Hukan Chan S/o Ladha Ram H.No. 47, Malvia Nagar, Delhi	Sunari Raniyaki Nuh Subasheri, Distt. Gurgaon	0-¾ 1-6 0-7¾	0-3-2 3-1-12 0-5-3	
11	Arjan Singh alias Santokh Singh S/o Nihal Singh through Chattar Singh Village Birtheberi Teh. & Distt. Jind	Bairan, Teh. Loharu, Distt. Bhiwani	5-10¾	60-4-0	
12	Karam Singh S/o Khota Ram through Balwant Singh R/o not known	Dhani Silanwani, Teh. Siwani	5-10	47-1-18	
13	Gangu S/o Mangu R/o 70/F-1, Delhi	1. Dairan, Teh. Loharu 2. Dhani Silawani Teh. Siwani	2-14½ 2-8½	30-7-15 20-0-0	
14	Jagdish S/o Sant	Siwani Panna	1-13½	19-6-6	

	Ram	Alam, Teh. Siwani			
15	Sh. Bhala Ram S/o Motan Dass through Sh. N.L. Thakar	Hizran Khurd, Teh. Fatehabad	1-9½	1-1-15	
16	Pritam Singh S/o Bhola Singh V/ Bhuna Tehsil Fatehabad	Bulat (Ambala)	4-¼	4-2-9	
17	Gian Chand Mool Chand	Bhaini Heera Teh. Ratia Nangal	0-9½ 1-0	0-5-0 1-4-18	
18	Labh Singh S/o Wadhwa Singh through Mukhtiar Singh and Baldev Singh S/o Issar Singh	Assoha Teh. Hisar	3-9¾	11-6-10	
19	Gurbaksh S/o Sunder	Hamidpur Teh. Ambala	2-15	4-5-16	
20	Manohar etc. S/o Bishan Singh	Dera Teh. N.Garh	13-12	15-4-19	
21	Lekh Raj S/o Gopal Dass	Khera Teh. Ambala	2-11½	1-5-8	
22	Dalip Singh S/o	Hamidpur, Teh.	0-5/1/4	0-5-12	

	Johar Singh	N.Garh			
23	Ganesh Dass S/o Ghanshayam	Chudiyali, Teh. Ambala	2-6½	2-5-20	
		Total	123-04	351-5-9	
1	Lal Singh S/o Natha Singh	Naurta, Teh. Indri Distt. Karnal	4-9½	11-4-11	
2	Sain Ditta & Ram Lal S/o Hota Ram	Do	15-14½	49-3-0	
3	Sant Ram S/o Agiya Ram	Nahalli, Teh. & Distt. Panipat	0-5¾	0-3-14	
4	Krishan Kumar S/o Basti Ram R/o Delhi through Kushi Ram Adv. Sector 18, Chandigarh	Jhiri, Teh. & Distt. Sirsa	2-1	3-6-17	
5	Harnam Singh S/o Jodha Singh through Shiv Narain R/o Abubshaheer	Abubshaheer, Teh. Dabwali, Distt. Sirsa	5-4¾	15-6-12	
6	Harnam Singh etc. S/o Pala Singh R/o Talwara Khurd	Kussar, Teh. Rania, Distt. Sirsa	2-12¾	4-7-12	

7	Anokh Singh S/o Sulakhan Singh R/o Karriwala	Mallekan, Teh. & Distt. Sirsa	4-2	5-0-10	
8	Gian Chand S/o Lal Chand, H.No. 4-A, Fertilizer Chamber, Bombay	Sewari/Gurgaon Naurangpur Gurgaon	1-1 ³ / ₄ 0-6/1/2	8-4-8 2-3-1	
9	Zahir Khar S/o Male Khan R/o Village Seelkho Teh. Nuh	Silkho Nuh, Distt. Gurgaon	1-14 ³ / ₄	5-0-9	
10	Jagdish S/o Sant Ram	Khariwas, Teh. Bhiwani	2-12 ³ / ₄	3-3-3	
11	Surat Singh S/o Mangha Ram through Bhagwan Dass H.No. 428, Sirsa Distt. Sirsa	Kaliyan, Teh. Dadri (Bhiwani)	15-6 ³ / ₄	58-7-1 ³ / ₄	Cancelled due to Shamlat Land
12	Radha Kishan, Laxmi Narain, Ram Chand S/o Lakshmi Dass through Sawtri Bhatia R/o 8-65, Arya Nagar, Kanpur U.P.	Gaindaswas, Teh. Siwani (Bhawani)	1-1 ¹ / ₂	5-6-12	

13	Khusi Ram S/o Karam Singh through Sh. Kirpal	Village Bawan, Teh. Fatehabad	2-14	3-7-8	
14	Sh. Deen Mohd. S/o Maniya through Hans Raj through Balbir Singh	Hizrawan Kalan, Teh. Fatehabad	5-7	5-6-6	Cancelled
15	Sh. Ladh Singh S/o Wadhwa Singh	do	1-5 ³ / ₄	1-3-10	
16	Sant Singh through Banta Singh	do	5-7	5-6-8	Cancelled
17	Sh. Kaushal Singh S/o Teja Singh through Smt. Charan Kaur	Basti Diwan Teh. Fatehabad	3-1	6-5-11	-do-
18	Sh. Baij Nath S/o Kirpa Ram through Sh. Balbir Singh		5-9 ¹ / ₂	5-9-6	-do-
19	Sh. Amin Chand S/o Chat Ram	Kurali, Teh. Fatehabad	6-11 ³ / ₄	7-1-7	-do-
20	Sh. Raj Kishan alias Barsa Singh through Smt. Surjit through Smt. Surjit	do	3-15 ¹ / ₂	4-1-8	-do-

	Kaur				
21	Ram Singh S/o Wazir Singh	Chaudharyawas, Hisar	9-10½	34-3-4	Intact
22	Sh. Tek Chand S/o Leela Ram through Har Kishan	Nangali Teh. Hisar	2-10¾	11-2-1	
23	Chetan Singh S/o Surjeet through Mahabir Parsad	Gudiani Kanwa, Tehsil Kaushi Chandpur, Teh. Kaushli Gijarodhi, Teh. Kausjli	2-14 0-10½ 13-2 1-4	11-1-2 2-4-10 12-3-18 5-0-12	
24	Jiwan Dass S/o Pannu Ram through Harbans Lal	Buriawas, Teh. Kaushli	1-11	6-5-19	
25	Jagdish S/o Jamna Dass through H.L.Arora	do	1-11	6-6-0	
		Total	125- 14½	301-6-6	
Year 1983					

1	Tara Chand & Ram Chand S/o Sewa Ram	Badraon (Palwal), Distt. Faridabad	1-6½	4-0-4	
2	Kanwar Singh S/o Sunder Singh R/o Delhi	Patli Khurd (Palwal) Distt. Faridabad	3-4¼	11-1-7	
3	Dhan Singh S/o Ujjagar Singh	Malerna (Ballabgarh), Distt. Faridabad	3-15¼	14-0-17	
4	Raja Singh S/o Asa Singh R/o Narnaul	Niwas Nagar, Teh. Narnaul	0-9	1-6-15	
5	Murlidhar S/o Leela Ram R/o Narnaul	Rasulpur, Teh. Narnaul	1-8½	4-4-14	
6	Murlidhar S/o Leela Ram R/o Narnaul	Rasulpur, Teh. Narnaul	0-7	1-2-4	
7	Leku Ram S/o Santu Ram R/o Narnaul	Kararad Afgan, Teh. Narnaul	1-6	1-5-9	
8	Jaimal Singh etc. S/o Sunder Singh	Janesaro, Teh. Indri, Distt. Karnal	1-5¾	4-6-19	
9	Mehanga Singh S/o Saudagar Singh	Dachar (Nissing) Distt. Karnal	0-9¾	1-4-0	

10	Budh Raj S/o Ram Dayal	Balehra (Gharaud), Distt. Karnal	2-5½	4-1-8	
11	Kartar Chand S/o Hari Chand	Dhuman Heri, (Indri), Distt. Karnal	15-2½	17-3-12	
12	Parbhu Dayal S/o Wazir Singh	Nerate (Indri)	4-11¾	10-5-18	
13	Billu S/o Ramdhia	do	5-4¾	9-3-10	
14	Jagat Singh S/o Natha Ram	Nerta (Indri) Karnal	2-2	3-6-2	
15	Rakha S/o Lokhu Ram	do	1-5¾	2-3-5	
16	Munshi S/o Payara Distt. Karnal	Janesaro (Indri) Distt. Karnal	4-8½	10-0-5	
17	Jalala S/o Mangha Ram	Rattipur (Panipat) Patti, Insar Panipat	2-10¾ 3-0	8-4-11 3-4-3	
18	Koura Ram S/o Behari Ram R/o Biri Khanzada F.P.Zhirka	Bassi Khanzada/F.P. Jhirka Sultanpur Punhana Distt. Gurgaon	0-9 1-8¾	1-0-0 6-1-6	
19	Bharkhi W/o Rura R/o Rewali Teh.	Mandi Khera/F.P. Jhirka Sultanpur Punhana Distt.	6-15½ ¾	12-3-0 5-3-17	

	F.P. Jhirka	Gurgaon	1-8	3-0-0	
20	Karam Chand S/o Chhabil Dass R/o Nuh	Mohmadpur/Nuh, Distt. Gurgaon	1-8	3-0-0	
21	Surat Singh S/o Mangha Ram through Bhagwan Dass H.No. 428. W.I. Sirsa Distt. Sirsa	Khera, Teh. Siwani (Bhiwani)	11- ³ / ₄	102-6- 14	Cancelled due to shamlat land
22	Mahar Chand S/o Bhagwan Dass	Gudha, Teh. Siwani (Bhiwani)	3-12 ¹ / ₄	32-2-16	
23	Sh. Shankar Singh Jai Singh S/o Man Singh R/o Village Kirawar Teh. Bawani Khera	Baliyali, Teh. Bawani Khera (Bhiwani)	1-14 ³ / ₄	4-1-13	
24	Sh. Chanan Singh Nirajan S/o Thakar Singh through Harphool Singh	Khan Mohd. and Dhir, Teh. Fatehabad	0-9 ¹ / ₂ 0-5		
25	Sh. Phuman Singh S/o Dal Singh through Sh. Dhak Singh	Nadhari, Teh. Fatehabad	3-12 ³ / ₄		

26	Sh. Lal Chand S/o Ladha Ram through sh. Kirpal Singh	Daulat, Fatehabad	1-8		
27	Arjun Singh S/o Tara Singh	Niharasi, Teh. Ambala	1-14 ³ / ₄		
28	Chetan Singh S/o Sudhir Singh Through Mahabir Parshad	Bilochpura Teh. Jhajjar	0-2 ³ / ₄		
		Total	106-5 ³ / ₄	307-3- 15	

Year 1984

1	Nazar S/o Hira	Norata, Teh. Indri	3-4 ³ / ₄	5-7-0	
2	Sohan Singh S/o Sukh Ram	do	4-4 ¹ / ₂	7-4-15	
3	Makhan S/o Achhar	Gondhar, Teh. Nissing	3-8 ¹ / ₂	8-4-0	
4	Dwarka S/o Parbhu	do	5-4 ¹ / ₂	9-4-1	
5	Budh Singh S/o Maha Singh	Janesra Teh. Indri	0-14 ¹ / ₂	3-1-5	
6	Teja Singh S/o Jaswant Singh	Ghisarpur Norata (Indri) Karnal	3-13 ¹ / ₄ 2-2 ¹ / ₄	7-5-9 4-1-10	

7	Melkhi S/o Buta Ram	Sohana (Karnal)	1-0½	1-6-15	
8	Tarlok Chand S/o Thakar Dass	do	1-3½	2-1-5	
9	Goga Singh S/o Hira Singh	Patti Insar, Patti Rajpurtana, Teh. & Distt. Panipat	13-2¼	0-0-5	Allotment Cancelled by CSC
10	Radha Kishan S/o Kisaan R/o Hijrawan Khurd through Jai Parkash, Satpal, Sirsa	Mattuwalla, Teh. Rania, Distt. Sirsa	10-4¾	11-7-12	
11	Baldev Singh S/o Gobind Ram through Jai Parkash Satpal Sirsa	Ahemadpur, Teh. Sirsa	5-17¾	14-0-16	
12	Jodha Singh S/o Fateh Singh Village Buarodha Wali, Sirsa	Bharaondha, Teh. Rania, Sirsa	1-6½	2-5-0	
13	Chandu Ram S/o Gobind Ram through Vishwamiter Kapoor Chand R/o	Swaipur, Teh. Sirsa	2-11½	2-7-3	

	Sirsa				
14	Baldev Singh S/o Kishan Singh R/o Hijrawan Khurd through Jai Parkash, Satpal, Sirsa	Mangala, Teh. Sirsa	10-4 ³ / ₄	11-7-12	
15	Jodha Singh S/o Nihal Singh R/o Mohadpur through Kanwarbhan S/o Ditta Ram, New Mandi Sirsa	Sikandarpur, Teh. Sirsa	4-5	4-4-15	
16	Lal Chand S/o Janail Singh R/o Dabwali through Shiv Narain R/o Abub Sehar	Swa. Teh. Sirsa	6-10 ³ / ₄	7-6-15	
17	Gurdial Singh S/o Dass H.No. 498, W.I.I., Sohana	Khirki Majra Dhankot, Distt. Gurgaon	3-14 ¹ / ₂	4-3-10	
18	Radha Kishan, Lacmi Narayan S/o Lakhan Dass R/o 8-65, Kahanpur U.P.	Khera Siwanil,	1-14	5-0-0	

19	Sh.Wazir Chand S/o Sawan Ram through Chaman Lal	Daulat, Teh. Fatehabad	1-6	1-3-5	
20	Sh. Balwant Singh S/o Kishan Singh etc. through Harphool Singh etc. S/o Balwant Singh	Bhirana, Teh. Fatehabad	20-4 ³ / ₄ 4-11 ¹ / ₄	27-6-4 7-4-2	Cancelled
21	Pritam Singh S/o Bhalla Singh	Daulat, Teh. Fatehabad	0-15	1-0-0	
22	Sh. Munshi Ram S/o Hardi Ram	Bhirana, Teh. Fatehabad	0-15	1-0-0	Cancelled
23	Sh. Hukam Chand S/o Hardi Ram	do	0-15	1-0-0	-do-
24	Sh. Gian Chand S/o Mool Chand S/o Jagat through Vidya Rattan	Bhirana, Teh. Fatehabad	1-9 ¹ / ₂	1-5-12	
25	Sh. Bhagwan Singh S/o Kanta Singh through Mahinder Singh S/o Kishan Singh	1. Mohmad pur 2. Sotar Teh. Fatehabad	16-8 ¹ / ₂	2-6-6	

26	Sh Charat Singh S/o Kishan Singh	Mandpura Himmatpure Teh. Totana	16-12½ 7-6¼	23-1-9 9-4-7	
27	Sh. Chanda Singh S/o Punjab Singh	Burk Teh. Hisar	9-0¾	18-7-0	
28	Bachan Singh S/o Jaimal Singh	Goli, Teh. Ambala	7-14¾	22-0-3	
29	Foja Singh S/o Teja Singh	Manglor Teh. Naraingarh	5-3½	22-6-8	
30	Ganpat S/o Natha Ambala	Tamnoli Teh. Ambala	5-5	7-2-1	
31	Baktha Mal S/o Chopa Ram	Tataur Teh. Naraingarh	15-11	20-1-1	
		Total	200-6¾	340-7-6	

Year 1985

1	Laxmi Narain S/o Chandi	Kunjpura, Teh. Karnal	3-14½	3-7-3	
2	Sohan Singh S/o Makhan Singh	Kachhwa Teh. Karnal	1-12½	4-2-2	
3	Smt. Sahali Bai Wd/o Teja Ram	Rajgarh, Teh. Indri	7-15	20-4-0	
4	Bir Singh S/o Harnam Singh	Bansa, Teh. Karnal	1-12	1-6-0	

5	Nadar Siungh S/o Piara Singh	Khudyan-Malkan Teh. Dabwali	7-8½	21-6-5	
6	Narain Dass S/o tirath Ram through Bishmabar Dass S/o Narain Dass R/o Village Birtha Beri Teh. & Distt. Jind	Summara Khera, Teh. Bawani Khera	5-10¾	32-6-12	
7	Nanak Chand S/o Kala ram	Ladawa, Teh. Loharu	0-11¼	6-4-0	
8	Bakhtamal S/o Chopa Mal	Miran, Teh. Ratia	1-1¼	1-5-0	
9	Sunder Lal S/o Janpat Rai	Bhirana, Teh. Fatehabad	0-9	0-7-4	Cancelled
10	M.L. Malhotra S/o Janpat Rai	do	0-9	0-7-2	Cancelled
11	Shanti Lal S/o Janpat Rai	do	0-9	0-7-4	do
12	Kehar Singh S/o Gulab Singh	Laha, Teh. Naraingarh	7-10¾	27-2-0	do
13	Smt. Narain Devi W/o Gulab Singh	Nagoonwa, Teh. Naraingarh	1-2	1-5-7	
14	Gurdit Singh S/o	Laha, Teh.	8-14½	26-5-6	

	Harnam Singh	Naraingarh			
15	Jeewan Singh Narain Singh	Laha, Teh. Naraingarh	3-3 ³ / ₄	11-4-0	
16	Harnam Singh S/o Kishan	do	9-3	30-7-0	
17	Mangal Singh S/o Chet Singh	do	10-12 ³ / ₄	38-3-2	
18	Buta Singh S/o Shiv Singh	Ratour, Teh. Naraingarh	4-0 ³ / ₄	17-2-5	
19	Hajoor Singh S/o Shiv Singh	Ratour, Teh. Naraingarh	4-0 ³ / ₄	17-2-5	
20	Bhat Singh S/o Chanda Singh	Tunda Ki Taparian, Teh. Jagadhri	0-14 ¹ / ₂	0-6-5	
21	Harnek Singh S/o Kishan Singh	Laha, Teh. Naraingarh	0-8 ¹ / ₄	1-6-12	
22	Ganga Singh S/o Jaimal	do	7-7 ¹ / ₄	25-3-11	
23	Chanan Singh S/o Sawan Singh	do	4-10	8-6-13	
24	do	Tabpur Teh. Naraingarh	3-0	5-1-7	
25	Raja Ram S/o Lal Chand	Babala, Tehsil Naraingarh	5-6 ¹ / ₂	9-4-15	

26	Uma Singh S/o Sanji Ram	Katha Majra, Teh. Naraingarh	8-10	30-5-7	
27	Sarain Singh S/o Amit Singh	Fatehabad Diwanwal, Teh. Kalka	4-3	8-7-5	
28	Rajinder Singh S/o Jawala Singh	Babala, Teh. Naraingarh	0-8¼	1-0-14	
29	Bahhtamal S/o Chopa Mall	Fatehpur Diwanwala, Teh. Kalka	3-13½	5-7-12	
30	Amar Singh S/o Jagat Singh	Manglour, Teh. Naraingarh	10¼	37-3-2	
31	Kartar Singh S/o Meet Singh	Fatehpur, Diwanwala, Tehsil Kalka	5-14½	13-6-4	
32	Alma Sultana Begum Wd/o Mehroom Abadh Ali	Bilochpura, Distt. Rohtak	2-11	10-6-11	
33	Motu Ram S/o Narain Dass	Bilochpura, Distt. Rohtak	1-0	1-0-0	
34	Neku Ram S/o Warian Dass	do	3-9½	14-2-10	
35	Jagdish Jamna, Maru Ram through	Bhuriwas, Distt. Rohtak	1-8	3-2-0	

	Shiva Bai				
		Total	146-1¼	453-4-3	
Year 1986					
1	Bihari Lal S/o Gopi	Rajpura Khuda, Teh. Palwal, Distt. Fatehabad	8-1½	15-0-11	
2	Chuhar Ram S/o Piru Ram R/o Yamuna Nagar	Hasanpur (Hodel) Bikhu Ka (Ballabgarh) Distt. Faridabad	0-15½	1-7-10 13-3-13	
3	Hira Nand S/o Lakh Raj R/o Narnaul	Narnaul Teh. Narnaul	6-11½	2-5-5	
4	Naina Bai W/o Lachhi Ram, Narnaul	Narnaul Teh. Narnaul	1-15	7-4-0	
5	Asar Dass S/o Jharu Mal, Narnaul	Narnaul Teh. Narnaul	1-9	4-2-0	
6	Sain Ditta S/o Hawa Ram	Garhi Bhalal, Teh. Gharaunda	2-14½	5-1-5	
7	Kirpa Ram, Virbhan etc S/o Loku Ram	Garhi Bhalal, Teh. Gharaunda	6-6-3	12-7-0	
8	Sardul Singh S/o	do	2-2¾	3-7-0	

	Bishan Singh				
9	Nand Singh S/o Prem	Sithana, Teh. Panipat	7-0½	7-4-6	
10	Gopal Dass S/o Wazir Chand	Bhuriwas	3-7½	13-7-0	
11	Madam Mohan S/o Nand Kishore	Khokhram, Teh. Kalka	21-2	28-4-10	
12	Ganga Singh S/o Jaimal Singh	Fatehpur Diwanwal, Teh. Kalka	5-3	22-1-15	
13	Partap Singh S/o Mangal Singh	Jodh Pur, Teh. Kalka	2-4	2-3-5	
14	Gopi Ram S/o Jai Mal	Tepla, Teh. Naraingarh Islam Nagar, Teh. Kalka	1-7¼	4-4-10 0-2-0	
15	Sada Singh S/o Gazar Singh	Kambagi, Teh. Ambala	11-7½	6-7-0	
16	Abdul Khan S/o Sherjang Khan	Chhoti Kori, Teh. Naraingarh	2-7¾	1-7-17	
17	Hajari Lal S/o Amir Chand	Rampur Arian, Teh. Naraingarh	0-1¼	0-1-2	
18	Gian Chand S/o Narain Dass	Bihla Teh. Naraingarh	3-1½	2-1-6	

19	Gopal Dass S/o Ganesh Dass	Mirajpur, Teh. Naraingarh	0-3½	0-2-11	
20	Rajinder Singh S/o Jawala Singh	Bihla, Teh. Naraingarh	0-3¼	0-5-13	
21	Ishar Dass S/o Radhy Krishan	Gola, Teh. Naraingarh	2-12	8-7-0	
		Total	95-2¼	162-1-19	

Year 1987

1	Aya Ram S/o Loku Ram	Sultanpur, Teh. Palwal Distt, Faridabad Mustafabad Teh. Palwal Distt. Fariadabad	0-8 2-7	1-0-0 4-7-13	
2	Hira Nand S/o Lekh Raj	Narnaul, Teh. Narnaul	2-2½	6-2-5	
3	do	do		6-2-5	
4	do	do	0-5	0-7-5	
5	Toonmal S/o Mool Chand	do	7-4	14-4-15	
6	Naina Bai W/o Suraj Mal	Narnaul, Teh. Narnaul, Distt. M.Garh	1-¾	3-3-5	

7	Amar Dass S/o Jahru Mal, Narnaul	Khatawali, Teh. Rewari	0-15	2-5-8	
8	Bura Ram S/o Sugar Ram		1-10¼	2-1-7	
9	Bhawani Bai D/o Jhamanmal	Munak, Teh. Gharaunda	13-2¼	24-4-11	
10	Baldev Singh S/o Kishan Singh	Sekhu Khera, Teh. Ellanabad	7-8¾	12-1-0	
11	Raju Ram S/o Basti Ram through Rati Ram	Mangala, Teh. Sirsa	5-4¼		
12	Buta Ram S/o Jawala Singh through Puran Singh	Hijrawan Khurd, Fatehabad	2-4¼	5-2-16	
13	Pokar Dass through Ram Rakhi	Bhurawas Rohtak	1-11	4-3-0	
14	Budan Ram S/o Mathu Ram, Hari Kishan S/o Malha Ram	do	1-9½	4-2-0	
15	Gehla Ram S/o Atma Ram	Shadipur Rohtak	3-15	9-4-11	
16	Kapoor Singh S/o	Kakar Kenda Mordh, Teh.	5-5	5-0-13	

	Sunder Singh	Naraingarh			
17	Roop Chand S/o Ganga Ram	Raiwali, Teh. Naraingarh	1-0 ³ / ₄	1-1-12	
18	Sodagar S/o Sher Singh	Tepala, Teh. Ambala	4-0 ³ / ₄	5-7-1	
19	Attar Singh S/o Bharat Singh	Batrohan, Teh. Ambala	0-8 ³ / ₄	2-3-9	
20	Jodh Singh	Kherbi, Teh. Chhacharoli	13-12 ¹ / ₂	11-2-15	
		Total	83-7 ¹ / ₄	148-4- 17	

Year 1988

1	Inder Bhan S/o Bola Ram R/o 6/78, Old Rajiv Nagar, Delhi	Uncha Gam, Teh. Balabgarh	0-1	0-0-13	
2	Lal Chand S/o Jaimal Rai through Munshi Ram S/o Lal Chand R/o Sakhu Khera Sirsa	Sakhu Khera, Teh. Ellanabad	4-12	5-0-13	
3	Sampuran Singh S/o Hernam Singh	Rania, Teh. Rania	1-7 ¹ / ₂	1-4-11	
4	Smt. Inder Kaur	Chandu Kalan,	4-3 ³ / ₄	4-5-4	

	Wd/o Lal Singh through Puran Singh	Teh. Ratia			
5	Hakik Singh S/o Sanga Singh through Diwan Singh S/o Shanker Dass & Satish Kumar S/o Diwan Chand	Sulchani, Teh. Hansi Masoodpur Teh. Hansi	0-7½ 1-8¾	0-3-15 4-5-15	
6	Kham Mehmood	Bhurawas Kosli	0-13	3-2-0	
7	Ishwar Singh S/o Kanhiaya	do	4-2¾	16-5-0	
8	Maya Devi W/o Diwan Chand	Miyanpur, Teh. Jagadhri	4-5	6-7-6	
9	Dadha Singh S/o Shuam Dass	Fatehpur Diwanwala, Teh. Kalka	2-6	10-1-0	
		Total	24-3¼	53-3-17	
Year 1989					
1	Faquira S/o Fatia Saya	Sayad Chhapra (Indri)	5-0¼	8-7-11	
2	Botha Ram S/o Pokhar Dass	Samana Bahu (Karnal)	0-6¾	0-6-0	

3	Gurbux Singh S/o Subeg Singh	Gonder (Karnal)	1-7¼	3-1-0	
4	Bishan Singh S/o Nihal Singh	Gonder/Nising Karnal	7-1	10-3-10	
5	Surain Singh S/o Sajjan Singh	Kunjpura Karnal	7-7	7-4-0	
6	Ganesh Das S/o Chhota Ram	Patti Rajputana, Panipat	1-3	3-7-4	
7	Smt. Chanchali Bai W/o Kalu Ram through Bhagwan Dass	Sekhu Khera, Teh. Ellanabad Sirsa	2-12¾	2-7-18	
8	Dalip Singh S/o Mir Singh R/o Hizrawan Khurd	Dehad/Hisar Hansi	1-7¼	1-3-12	
9	Anokh Singh S/o Jawahar Singh R/o Hizrawan Khurd	do	3-8	3-4-0	
10	Smt. Shanti Wd/o Sodagar Singh Village Hizrawan Khurd	do	1-8½	1-4-5	
11	Karnail Singh S/o Sodagar Singh R/o village Nikhatia	Jaisawari, Teh. Hansi, Distt. Hisar	1-8	1-4-0	

	Teh. Fatehabad				
12	Budh Ram through Harbans Lal	Bhuriwas Rohtak	1-9½	4-2-0	
13	Ram Kishan S/o Hemu Ram	do	1-11	6-6-0	
14	Ishwar Das S/o Sita Ram through Shanti Saroop	Bilochpur, Rohtak Shazanpur, Rohtak	2-4½ 2-9¾ 0-5¼	9-1-0 1-2-10	
15	Arshad Ali etc.	Shahjan pur, Sonipat Gudiani/Jhajjar Bilochpura	1-3½	2-4-0 0-6-5 1-3-0	
16	Arudh Ram through H.L. Arora	Burawas/Kosli	2-6½	9-4-10	
17	Dayawanti D/o Jawala	Manjha Rohtak	0-3¾	0-3-5	
18	Shanti Bai D/o Jawala	do	0-3¾	0-3-15	
19	Godha S/o Baroo Ram	Meham (Rohtak)	0-2	0-0-11	
20	Mohla Ram, Takhat Ram S/o Godha Ram	Kheroro Rohtak	9-4		

21	Attar Singh S/o Bhagat Singh	Batrohan, Teh. Ambala Sangrani Naraingarh	0-8 ³ / ₄	2-3-9 0-4-10	
		Total	55-14	85-2-5	
Year 1990					
1	Smt. Malan W/o Nihal Chand	Bela (Palwal) Hassanpur Hodel, Faridabad	0-11 ³ / ₄ 0-4 ¹ / ₂	0-5-17 0-4-12	
2	Smt. Bisandi Bai W/o Khema Ram, R/o 3A/73 NIT Faridabad	Chhaimsa Bahadurgarh	0-3 ³ / ₄	0-3-13	
3	Laxman Das S/o Pannu Ram Narnaul Rewari	Uchat, Teh. Mohindergarh Rewari	2-9 ¹ / ₄	6-3-12	
4	Todu Mal S/o Mool Chand Narnaul	Narnaul, Teh. Narnaul	0-14 ¹ / ₄	2-4-15	
5	Gian Singh S/o Amer Singh	Dachar (Nissing) Karnal	17-11	26-1-17	
6	Ram Kishan S/o Dalpat Rai	Khark Sohna Nuh Gurgaon	0-2 ³ / ₄	0-3-0	
7	Mehnga Ram S/o Jassa Ram	Bhatka/Nuh Gurgaon	0-6 ³ / ₄	1-5-9	
8	Hema Ram S/o	Jalapur/Nuh	1-12 ³ / ₄	3-4-16	

	Mool Chand through Dharam Pal, R/o Shivaji Nagar, Gurgaon	Ferozepur Jhirka Gurgaon			
9	Lal Chand S/o Piara Ram through Seva Ram Indri Puri Gurgaon	Niganapir/Nuh Tauru Kheri Khurd Biwen Gurgaon	2-1¼ 0-7¼ 0-4¼	2-6-9 1-0-7 0-3-15	
10	Diwan Singh S/o Sarik Singh	Bhuna Hizrawan Khund Hodel Tohana	3-5¼ 3-7½ 1-14 0-3¾	3-7-2 3-5-11 3-0-0 0-5-2	
11	Ram Kishan S/o Aya Ram through Lajwanti	Meham (Rohtak)	3-½	13-3-0	
12	Lachhman S/o Baldev through Raj Singh	do	5-2½	14-1-16	
13	Sunder Dass S/o Ganpat Ram C/o I.R. Chopra	do	0-9	0-4-5	
14	Sant Lal S/o Ganpat Rai	do	0-9	0-4-5	

		total	45-3½	86-6-13	
Year 1991					
1	Fajludin, Garibudin S/o Asgar Ali etc.	Nagalia (Palwal)	4-12½	8-5-2	
2	Thakar Dass S/o Sawan Mal, R/o NIT Faridabad	Dhoj Teh. Faridabad	1-8	2-0-18	
3	Gopi Chand S/o Karam Chand R/o Chandigarh	Gaunchhi (Ballabgarh)	0-1	0-0-7	
4	Jhangi Ram S/o Topan Dass	Mori (Mohindergarh) Garhi (Kaushli) Distt. Rewari	1-2¾ 3-11¾	2-2-15 3-5-17	
5	Mega S/o Smt. Shanti Wd/o Jalal	Khukhani, Teh. Indri (Karnal)	0-7½ 0-5¼	0-4-0 0-2-15	
6	Santu S/o Mangtu	Sheikhupura Teh. Ellenabad	6-7½	6-7-4	
7	Kalu S/o Inder Siingh R/o Sheikhukhera	Sheikhupura Teh. Ellenabad	3-7½	3-4-6	
8	Amir Chand, Sushil Chand S/o Lal	Kheri Nub. Bhatka Barka Allimudin	0-1¼	1-7-3	

	Chand, DD-27, Kidwali Nagar, New Delhi	Gurgaon Bai (Nub) Modi (Nub) Saral (Ferozpur Zhirka)	0-2 0-11 ³ / ₄ 1-11 ¹ / ₂ 2-10 1-6 ¹ / ₂	0-4-0 2-5-3 2-6-2 5-6-8 2-3-19	
9	Daulat Ram S/o Bosa Ram	Thana Alamuri Masti Nuh Gurgaon	1-7 ¹ / ₄	1-7-8	
10	Vishnu Bhaagwan S/o Wazir Chand & Wazir Chand S/o Jamna Dass through Surender Singh	Kabser (Hisar)	1-12 3-5 ¹ / ₂	8-4-14 10-5-0	
11	Jai Singh S/o Harnam Singh through Mal Singh, Village Bahamanwala	do	1-2 ³ / ₄ 1-0	1-2-0 1-4-15	
12	Manohar Lal S/o Ganpat Rai	Meghanwali (Ratia) Khai (Ratia)	0-9	0-4-5	
13	Chhellu Ram S/o Lalji through Nihal Singh	Kherba Maglan (Meham)	2-3 ¹ / ₄	8-6-18	

14	Khushal Chand S/o Ganpat Rai, R/o Rohtak through Vinay Kumar, R/o Prem Nagar	Rohtak	0-1	0-90	
15	Bhupat Ram S/o Chet Ram through Smt. Parbha Baweja	Barktahad (Sonipat)	4-10½	7-1-19	
16	Gian Singh S/o Amar Singh, R/o Narwana	Narwana (Jind)	12-11	17-11-0	
17	Kishan Singh S/o Vadhawa Singh	Sainthli (Jind)	2-13½	2-615	
18	do	do	2-2	2-1-0	
19	Chanda Singh S/o Pargat Singh	do	12-14	8-0-14	
20	Lal Chand S/o Atma Ram	Ahmadpur (Rohtak)	6-15¼	16-4-2	
21	Harbans Lal Arora	Basodhi (Rohtak)	6-6	10-1-12	
22	Pala Singh S/o Inder Singh, R/o Sandal, Teh. Sirsa	Bihla (Kalka) Jaswantgarh (Kalka)	1-2¼ 1-1	3-4-3 2-0-6	
		Total	91-14¾	148-1-	

				10	
Year 1992					
1	Shiv Dutt S/o Nand Lal, R/o Delhi	Sirohi Faridabad	0-1¼	0-1-14	
2	Shankar S/o Khuda Ram through Balbir	Ratta Khera Teh. Faridabad	0-11¼	2-2-0	
3	Jagat Singh S/o Fauja Singh through Balbir Singh and Shiv Narain, R/o Abub Sehar	Ratta Khera Teh. Ellanabad	1-5	1-6-10	
4	Amir Chand, Sushil Chand S/o Lal chand DB27 Kidwai Nagar, New Delhi	Kotra/Nuh Gurgaon	1-14½	3-6-8	
5	Harbans Arora	Basandhi	3-3	9-5-16	
6	Amar Singh S/o Bashla	Devru Teh. Sonapat	12-3¾	9-5-16	
7	Diwan Singh S/o Chitru	do	8-6	9-6-7	
8	Man Singh S/o Malhu Singh	do	5-1	4-1-2	

9	Gurbax S/o Bishna Singh, R/o Hijran Khurd Distt. Hisar	Fatehpur Diwanwala Teh. Kalka	2-2½	9-6-1	
10	Bir Singh S/o Sunder Singh R/o Ali Sadal Hijranwar Distt. Hisar	Ratour Teh. Naraingarh	4-1½	21-7-0	
		Total	39-2¾	76-0-14	
Year 1993					
1	Thakar Dass S/o Rohan Lal, R/o Sewali (Hodel)	Sewali Hodel (Faridabad)	1-4½	1-2-5	
2	Chander Bhan S/o Roshan Lal R/o Sewali	Sewali Hodel (Faridabad)	1-4½	1-2-7	
3	Amir Chand S/o Nand Kishor, R/o Rewari	Gudiani Teh. Kosli (Rewari)	0-7½	1-7-1	
4	Nathu S/o Gulab R/o Rewari	Sabapur Dayam	2-1½	8-3-0	
5	Remali Bai W/o Lakhi Ram R/o Kunjpura Karnal	Kunjpura (Karnal)	1-3½	1-2-10	
6	Shanti W/o Jalal	Patti Insar Panipat	2-3¼	3-4-3	

7	Diwan Singh S/o Amrik Singh	Agroha Hisar	3-1 ³ / ₄	3-2-11	
8	Naurang Singh S/o Deva Singh	Mehmodain Hisar	0-11 ¹ / ₂	1-1-4	
9	Charan Singh S/o Nihala	Devroo Teh. & Distt. Sonapat	5-10	4-4-0	
10	Golha S/o Sumer	do	5-2	4-0-16	
11	Inder Singh S/o Fauja Singh	do	4-11 ³ / ₄	4-0-0	
12	Labha Singh S/o Jita	do	5-9 ³ / ₄	4-3-18	
13	Ujjagar Singh S/o Karan Singh	do	4-3 ¹ / ₂	4-5-12	
14	Khushia S/o Lakhi	do	5-13	4-5-3	
15	Ram Lubhya S/o Gampat New Delhi H.No. 2/139 Parkash Vihar	Manu Majra Ambala Binjalpur Ambala Baknaur/Ambala	0-8 ¹ / ₄	0-5-0 2-4-15 0-1-13	
16	Amer Singh S/o Mool Singh, R/o Village Ganoti, Jagadhri	Baknaur/Ambala	0-4 ¹ / ₂	0-2-5	
17	Ruldhu Ram S/o Tara Chand, R/o	Kalu Majra Ambala	3-2	4-7-15	

	Panipat				
18	Ram Ludhya S/o Ganpat Rai, H.No. 2/359, Parkash Vihar, New Delhi	Sadhaura Ganoli Teh. Jagadhri	0-2½ 1-1¾	0-4-6 1-6-4	
19	Dewan Singh S/o Amer Singh, R/o Ali Sadar (Hisar)	Rataur Teh. Naraingarh Ambala	1-6	5-6-14	
		Total	51-1¼	65-3-3	

Year 1994

1	Hosnak Rai S/o Wadhwa, R/o Fatehabad	Ram Khori Jamalpur Faridabad	1-4¾	2-5-11	
2	Mahinder Kumar S/o Nand Kishore	Kasba Karnal	4-14	8-4-15	
3	do	Patti Kakran Shahbad	3-7¼	9-3-18	
4	Gian Chand S/o Thakar Dass, R/o Village Sandhir	Kunjpura Karnal	0-4½	0-3-18	
5	Mohinder Kumar S/o Nand Kishore	Kasba Karnal	6-7½	12-7-18	
6	Gian Kaur W/o Ajit Singh, R/o	Mundi Garhi Teh. Gharaunda Bohla	6-0¾	10-6-0	

	Chandigarh		3-9½	6-3-1	
7	Lachhman Dass S/o Nand Kishore, R/o Jaipur	Mandi Garhi Gharaunda	4-12½	8-4-10	
8	Narain Dattt S/o Heera, R/o Delhi	Patti Insar Panipat	7-2½	7-8-12	
9	Teja Singh S/o Jawand Singh R/o Delhi	do	5-10	9-5-12	
10	Jeta Ram S/o Tikam R/o Karnal	Patti Mukdurn Panipat	0-13¾	1-2-14	
11	Sukh Ram S/o Udham Singh R/o Karnal	Patti Insar Panipat	1-8½	1-7-15	
12	Gian Kaur Wd/o Ajit Singh, Chandigarh	Taraf Rajputana Panipat	4-½	6-3-17	
13	Parkash Singh S/o Kishan Singh through Dayal Kaur	Ahmedpur Darewala Teh. Dabwali	2-3	2-2-13	
14	Dewan Singh S/o Amrik Singh R/o 81-H, Teh. & Distt. Ganga Nagar.	Siwani Pana Rao Teh. Siwani	0-6¼	2-4-0	

15	Attar Singh S/o Bhagat Singh R/o Village Thalnia, Teh. Fatehabad	Patti Kakran Shahbad	5-2½	8-5-15	
16	Inder Kumar S/o Nand Kishore, Ajmer Hall Kothi No. 720, Sector 13, Urban Estate Karnal	Patti Kakran Shahbad	8-5¼	17-1-2	
17	Ganesh Dass S/o Chhotu Ram through Ved Parkash Malik, Khannaur	Rohtak	0-1½	0-3-0	
18	Hemi Bai D/o Kanshi Ram R/o through Kishan Chand Meham	Meham/Rohtak	1-3½	3-0-8	
19	Hemi Bai, Niyamti bai through Kishan Chand Jag Ram, Kura Rarri S/o Sohiana Ram	Meham/Rohtak Jahajgarh	2-7	8-7-0 3-4-1	
20	Bhota Singh S/o Bhagwan Singh	Devroo Sonapat	1-2½	7-0-0	

21	Prem Singh S/o Lal Singh	do	6-9¼	5-4-8	
22	Darshan S/o Goheta	do	6-15	4-1-12	
23	Attar Singh S/o Bhagat Singh	do	5-4	5-0-0	
24	Begar Singh GPA Mohinder Kumar Gohana	Gohana Sonapat	5-2½	5-2-1	
25	Atma Ram S/o Tara Chand	Barot	5-3	3-1-0	
26	Kishori Lal S/o Lachhman Dass	do	3-3	3-0-10	
27	Ganesh Dass S/o Tara Chand	Theria/Sonapat	3-5¾	2-4-8	
28	Bopat Ram	do	3-3	8-6-18	
29	do	Mamarpur	4-10½	1-2-10	
30	Shadi Lal S/o Gulshan Lal	Siwana Mal Sonapat	1-4½	1-3-10	
32	Atma Ram S/o Tara Chand	Mamarpur Sonapat	0-5¾	1-1-10	
33	Ganshyam S/o Tara Chand	Theriya/Sonapat	1-9½	2-1-12	

34	Raj Karni S/o Ram Chand	Jhundpur	1-5 ³ / ₄	2-6-10	
35	Bahadur Chand S/o Shagan Chand	Siwana Mal Sonepat	1-5 ¹ / ₂	2-5-10	
36	Khusal Singh S/o Teja Singh	Ratour Naraingarh	2-0	8-4-0	
37	Rajinder Singh S/o Sauda Singh	Alipur Dabkori Shahpur	0-2 ¹ / ₂ 0-7 ¹ / ₂ 0-4 ¹ / ₄	0-2-2 0-5-7 0-7-7	
38	Sadhu Ram S/o Sham Singh	Kot	4-12 ¹ / ₂	10-3-9	
39	Ram Ditta Ram S/o Mangal Ram	Fatehpur Diwanwala Kalka	2-11 ¹ / ₄	5-6-3	
40	Bishan Dass S/o Ram Kishan	Kotanwali do Urjani	2- ¹ / ₄ 0-7 ¹ / ₂ 0-6	6-3-11 1-3-15 0-5-14	
41	Attar Singh S/o Bhagat Singh	Jaroda Jagadhri	5-2 ¹ / ₂	16-4-0	
42	Nandu S/o Sadhu	Milkhera Khajuri	1-12 1-2	2-4-19 2-0-16	
43	Nand Singh S/o	Machhroli Urjani	0-14 ¹ / ₂	1-2-8	

	Prem Singh		0-10	1-0-1	
44	Gobind Singh S/o Jawand Singh, R/o Leda Khadar, Distt. Yamuna Nagar	Leda Khadar Jagadhri	6-½	10-1-13	
45	Multani Ram S/o Sukhdayal R/o Yamuna Nagar	Mianpur	2-7	3-7-6	
46	Uttami Bai Wd/o Toda Ram, R/o Hizrawan Khurd Distt. Hisar	Gola Ambala	11-14¾	38-1-6	
47	Raji Bai W/o Chaman Dass, R/o Hizrawan Khurd Distt. Hisar	Jamalmajra Mangoli Ambala	0-6¼ 1-7¾	5-5-0 2-3-3	
48	Jagdish Chander S/o Sant Ram, R/o Palvi Distt. Kaithal	Gola Ambala	2-12¾	9-0-0	
49	Teja Singh S/o Mangal Singh, R/o Hisar	Kalu Majra Ambala	9-9	15-3-0	
50	Mool Chand S/o Nihal Chand	Sirasgarh Ambala	2-8¾	4-0-12	
51	Mangal Singh S/o	Saranpur Ambala	26-4¼	42-0-3	

	Ishwar Singh				
52	Gurbux Singh S/o Sunder Singh R/o Sirasgarh, Ambala	Sirasgarh Ramgarh Ambala	1-7½ 0-3½	2-5-15 0-2-14	
53	Ruldi Ram S/o Tara Chand R/o Tejapur, Panipat	Rataur Ratour Naraingarh	6-12¾ 1-6½	29-0-0 0-7-18	
54	Khushal Singh S/o Teja Singh, R/o Jarod, Panipat	Rataur Naraingarh	2-0	8-4-0	
55	Hira Mal S/o Ram Ditta Mal, R/o 407/15, Vishkarma Mohalla Yamuna Nagar	Dera Naraingarh	1-11¾	4-0-15	
56	Arur Singh S/o Basakhi Singh R/o Hizrawan Khurd Hisar	Rataur Naraingarh	5-1¼	21-5-4	
57	Bishan Dass S/o Ram Kishan Manohar Employees Central Govt. Chandigarh	Dera Naraingarh	0-6¾	6-7-5	
58	Jawala S/o Kalu R/o Rasulpur	Raiwali Naraingarh	5-4½	8-5-10	

	Guhla				
59	Jangi ram s/o Gurdhian Dass, R/o Ali Sadar, Hisar	Rataur Naraingarh	3-1½	13-2-4	
60	Nandu S/o Sadhu, R/o Ali Sadar, Hisar	Rao Mazra Deara Naraingarh	0-5¼ 0-7½	2-5-12 0-7-19	
61	Jagat Singh S/o Fauja Singh, R/o Hizrawan Khurd, Hisar	Rataur Naraingarh	6-1½	27-1-4	
62	Bir Singh S/o Pal Singh, R/o Jammu (H.P.)	Sadikpur Ganeshpur Naraingarh	1-12½ 1-5½	6-2-12 2-2-19	
63	Sadhu Singh S/o Gujjar Singh S/o H.Khurd, Hisar	Dera Naraingarh	4-2½	8-6-18	
64	Rajinder Singh S/o Sarda Singh, R/o Hizran Khurd, Hisar	Pilkhani Bhandra Sajjan Majri Malikpur Sadikpur Sabga Teh. & Distt. Ambala	0-11¾ 0-9½ 0-10¼ 0-9 0-14½	1-1-7 0-7-11 1-0-13 0-7-12 0-7-18	

				0-3-10	
65	Tulsi Dass S/o Rattan Lal, R/o Ali Sadar, Distt. Hisar	Dadupur Talwari Dera Salimpur Nasroli Nihass Sirasgarh Teh. & Distt. Ambala	0-11½ 0-6 0-12½ 0-8¼ 2-2½ 1-11¼	1-1-5 9-4-15 0-1-16 1-6-15 3-3-2 2-5-17	
66	Bishan Dass S/o Ram Kishan, R/o Manohar Employee Centre Govt. Chandigarh	Tangali Babyal Pinjore Teh. & Distt. Ambala	0-3¼ 0-7½ 0-13¼	0-2-13 0-6-0 0-2-19	
67	Jawala Singh S/o Kalu, R/o Rasulpur, Teh. Guhla, Distt. Kurukshetra	Tepla Ambala	0-3¼	0-2-18	
68	Nandu S/o Sadhu, R/o Ali Sadar, Distt. Hisar	Gola Ambala	0-10	1-0-1	
69	Nand Singh S/o Prem Singh, R/o I.T.I., Ludhiana	Salahpur Duliana Jalubi Tangail Patti Chinarthal Ambala	0-3¾ 0-1¾ 0-3	0-3-0 0-1-11 0-2-9	

			0-4 ³ / ₄	0-3-16	
			0-2 ¹ / ₂	1-2-8	
70	Ishwar Dass S/o Radha Kishan R/o Ali Sherpur, Distt. Ambala	Gola Ambala	2-12	8-7-0	
71	Sadhu Singh S/o Sahu Singh, Ali Sadar, Distt. Hisar	Jamal Majra Ambala	1-0	1-4-16	
72	Gobind Singh S/o Jaswant Singh, R/o Lada Khadar, Distt. Yamuna Nagar	Toba Tibri Ambala	1-10 ¹ / ₂	1-6-2	
			1-2	1-7-17	
		Total	266-	559-7-	
			13 ¹ / ₂	13	

Year 1995

1	Budh Ram S/o Maya Dass through Narainder Singh, R/o Madina (Rohtak)	Rajupur Khedar Palwal	1-2 ¹ / ₂	2-1-15	
2	C.L. Nagia S/o Hem Raj, R/o Mumbai	Palwal	2-2	4-2-2	
3	Punu Ram S/o Asha Ram, R/o	Bir Rai Takhana Tehsil Indri	1-13 ³ / ₄	6-4-16	

	Delhi	Makhal (Indri) Garupur Khala (Indri)	0-2¼ 0-9	0-4-00 1-0-0	
4	M.D. Nangia S/o Hem Raj R/o Dehradun	Bhola Tehsil Nissing Chandrao (Indri)	11-14¼ 1-5¼	21-1-6 4-7-0	
5	Lachhman Dass S/o Nand Kioshore, R/o Jaipur	Kasba Karnal	0-10¼	1-1-3	
6	G.D; Nangia S/o Hem Raj, R/o Delhi	Patti Kakran Shahbad	10-12½	19-5-10	
7	Gurdial Singh S/o Jhanda Singh, R/o Shahbad	Patti Insar, Panipat	4-10	7-3-5	
8	G.D. Nangia S/o Hem Raj, R/o Delhi	Kachrauli (Panipat)	22-7¾	3-7-12	
9	Lal Chand S/o Kessar Dass	Tarif Insar, Panipat, Patti Taraf Raj-Putan (Panipat) Tabul Bagh	2-4	2-2-13	
10	Kartar Singh S/o Tek Singh through Pritam Singh Alika	Tak Lambi (Sirsa)	1-2¾ 0-11¼ 0-5	2-2-0 1-1-4 1-1-12	

11	do	Ahmedpur Darewala Teh. Dabwali	2-4¼	6-3-16	
12	Kishan Kumar S/o Basti Ram through Kansi Ram, R/o Sirsa	Nattar Teh. Sirsa	0-10	0-5-7	
13	Smt. Lalo Bai D/o Kotu Ram, H.No. 753/15-A, Faridabad	Bawla/Nub	0-12¾	1-1-0	
14	Jeta Ram S/o Tikkan Ram, H.No. 711, Sector 13, Karnal	Sihi/Gurgaon	5-2	10-5-16	
15	Sant Dass S/o Hazari Lal, R/o 6/11 Alipur Road, Delhi 54	do	1-4	1-4-8	
16	Surat Singh S/o Megha Ram R/o Sirsa through Balbir singh S/o Jai Ram Mukhtiar A-Aaam, R/o Siwani Bolain, Teh. & Distt. Hisar	Dhani Sillawali Teh. Siwani Distt. Bhiwani	4-1	21-5-6	

17	Krishan Mal S/o Chamru Mal, R/o Patti Kankra, Shahbad	Patti Kankra Shahbad Distt. Kurukshetra	1-5¼	2-1-0	
18	Lachhman Dass S/o Nand Kishore, R/o 2/629 Jawahar Nagar, Awaran Model Sehlawas, Jaipur	do	1-7¼	4-7-1	
19	Hira Singh S/o Budh Singh, R/o Saina Sadan, Teh. Pehowa, Distt. Kurukshetra	Saina Sadan Teh. Pehowa Distt. Kurukshetra	6-3½	6-5-4	
20	do	Mehmadpur Teh. Guhla, Distt. Kaithal	0-1½	0-0-15	
21	Amir Singh S/o Bashakhi, R/o Vill. Hijranwa Khurd, Teh. Fatehabad (Hisar)	V. Rataur Naraingarh Ambala	1-1¾	3-1-2	
22	Hans Raj S/o Gowardhan Lal, R/o village Hizranwa Khurd	Ibrahimpur (Ambala)	3-1½	6-0-13	

23	Sadhu Singh S/o Sham Singh, R/o Ali Shahpur	Rajoli (Ambala)	2-½	3-2-0	
24	Maya Devi Wd/o Dewan Chand, R/o Jammu H.P.	Sirasgarh Teh. Ambala	4-5	6-7-19	
25	Tara Singh S/o Santa Singh	Sunder Bahadurpur, Teh. Jagadhri Khazuri - do- Shahpur Teh. Ambala Duliana/Ambala Fatehpur Diwanwala, Teh. Kalka	0-2¼ 0-4 0-4½ 0-10 5-2	4-2-0 0-6-2 0-4-0 1-0-0 25-0-12	
26	Parma Nand S/o Bhanju Ram	Kot Teh. Barwala	02-01	4-3-13	
27	Gulab Singh S/o Sunder Singh	Sirasgarh Teh. Ambala	0-7¾	1-1-19	
28	Jodh Singh S/o Sajjan Singh R/o Vill. Khurd Ban, Teh. Radour	Santli Teh. Naraingarh Rataur Teh. Naraingarh Kot Sarkari Teh. Jagadhri Wasalpur/Jagadhri Tepla Teh. Ambala Allapur Majri	0-9 1-4¾ 2-9½ 0-2½ 0-7½	2-0-0 2-6-0 4-1-6 0-5-6 0-6-0	

			1-10½	2-5-4	
29	Inder Singh S/o Phana Singh, R/o Hizranwa Khurd Fatehabad	Rataur Teh. Naraingarh Sultanpur Teh. Ambala Rataur Teh. N.Garh	1-2½ 0-6¼ 3-2	2-3-0 0-5-0 9-7-17	
30	Sarfi D/o Amru Hizranwa Khurd Teh. Fatehabad	Rataur Teh. Naraingarh	3-5¼	11-0-19	
31	Ram Lubhaya S/o Shankar Dass, R/o 39-B, Mahesh Nagar, A/Cantt.	Tharwa Teh. Naraingarh	0-6¾	0-5-18	
32	Mohan Lal S/o Bhoor Singh Mahesh Colony, Y/Nagar.	Chhachrauli Distt. Y/Nagar	1½	1-0-14	
33	Satkaur Wd/o Lehna Singh, Ali Sadar, Distt. Hisar	Dera Teh. Naraingarh Hamidpur-do- Chithi Majra Teh. Ambala Majra Fatehabad Diwanwala Teh. Kalka	1-10¾ 1-5½ 0-2 0-12 0-12	6-1-1 2-7-2 0-2-0 1-4-17 0-6-8	

34	Bishan Dass S/o Gurditta Mal, R/o Ali Sadar, Distt. Hisar	Chanota Teh. Naraingarh Sahota Teh. Ambala Ugala Teh. Barara	0-1½ 1-1¾ 1-3¾	0-3-16 1-6-10 2-1-0	
35	Telu Ram S/o Thakar Dass, R/o Fatehabad, Distt. Hisar	Dera Teh. Naraingarh Ugala Teh. Barara	9¾ 0-2	38-4-15 0-0-16	
36	Mangal Singh S/o Ishwar Singh, R/o Vill. Khokra, Teh. Kalka	Khokra Teh. Kalka	14-1¼	18-6-5	
37	Madan Mohan Mehta S/o Nand Kishore, r/o Panchkula	do	8-5½	11-0-15	
38	Bhikham Singh S/o Rumala, R/o Hijrawan Khurd, Distt. Hisar	Fatehpur Dewanwala Teh. Kalka	9-1½	30-6-08	
39	Gangi Bai Wd/o Bhagwan Dass	Laharpur, Teh. Jagadhri	7-3¾	12-6-6	
40	Gobind Lal S/o Padam Lal	Ramgarh, Teh. Panchkula Gumthala Teh. Jagadhri	1-2½ 4-8¾	8-6-12 14-6-12	

41	Ram Kishan S/o Pokar Dass	Fatehpur Dewanwala, Teh. Kalka do do do	3-11 ³ / ₄ 2-14 ¹ / ₄ 0-11 ³ / ₄	15-7-12 12-2-19 3-4-0	
42	Ishwar Singh S/o Natha Singh, R/o Noorpur, Distt. Patiala	do	1-15 ¹ / ₂	8-3-0	
43	Man Singh S/o Ishar Singh R/o Dadupur, Distt. Patiala	do	0-12	3-1-12	
44	Sadhu Singh S/o Ram Singh R/o Ali Sadar, Distt. Hisar	do	2-06	10-1-1	
45	Jiwan Dass S/o Nihal Chand	do Ratour, Teh. N.Garh	2-06 3-3 ¹ / ₂	10-0-4 6-6-19	
46	Khandi Bai Wd/o Lal Chand R/o Indri, Distt. Karnal	Gulapur (Jagadhri) Gorabani -do- Katarwali -do-	3-8 ¹ / ₂ 1-12 ¹ / ₂ 1-11 ¹ / ₂	5-2-3 5-1-8 5-3-10	

		Chhachhrauli -do-	1-11 ³ / ₄	0-6-0	
		Baloli -do-	0-1	0-1-0	
		Alipur	0-6 ³ / ₄	10-5-19	
47	Kalu Ram S/o Raghu Nath, R/o Fatehpur Dewanwala	Fatehpur Dawanwala, Teh. Kalka	8-14	37-6-19	
48	Attar Singh S/o Vir Singh	do	1-15 ¹ / ₂	8-3-4	
49	Inder Singh S/o Bahadur Singh	do Haripur Harisingh, Teh. Kalka	0-13 ¹ / ₄ 0-10	3-4-1 2-5-1	
50	Punit Kumar S/o Bhagwan Dass, R/o Rajoli, Teh. Ambala	Fatehpur Dewanwala, Teh. Kalka	0-9	2-3-4	
51	Sadhu Ram S/o Hardayal	Bhogpur, Teh. Kalka	0-5 ¹ / ₂	1-4-1	
52	Rahan Singh S/o Gaintha Singh	Fatehpur Dewanwala, Teh. Kalka	2-13	12-0-0	
53	Roop Singh S/o Gaintha Singh	Fatehpur Dewanwala, Teh.	8-12 ¹ / ₂	37-5-2	

		Kalka			
54	Pal Singh S/o Dewa Singh	do	2-2½	9-1-1	
55	Budh Ram S/o Hema Ram	do	6-3	26-3-4	
56	Jumma Ram S/o Dayala Ram	do	2-11¼	11-3-19	
57	Lal Chand S/o Pokhar Dass	do	2-5¼	9-7-2	
58	Bhawani Dass S/o Hira Lal	do	2-1½	8-6-9	
59	Amir Chand S/o Nohari Ram	do	3-4	13-6-18	
60	Chandrayan Mal S/o Salamta ram	do	3-11¼	15-6-8	
61	Vir Bhan S/o Davi Ditta	Fatehpur Dewanwala, Teh. Kalka	3-3¾	13-6-8	
62	Arjan Lal, Prem Dutt etc. S/o Aya Singh through Anil Chhabra	Rohtak	0-1½	0-1-10	
63	Attar Chand S/o Mohari Ram	Meham	2-3	2-1-8	

64	Aya Singh S/o Dewan Chand through Jai Narain S/o Sahib Singh	Rohtak		0-7-10	
65	Jhabda Ram S/o Khem Chand through Narainder Singh S/o Om Parkash	Nigana, Teh. Sonapat	1-1¼	3-2-10	
66	Wazir Chand S/o Budh Ram	Jhundpur, Teh. Sonapat	1-5¾	2-1-10	
67	Chhalu S/o Lalji through Nihal Chand	Bega, (Sonapat) Panchhi Gujran (Sonapat)	15-0	8-2-9	
68	Sawan Ram S/o Tikan Ram through Ashok Kumar & Jai Narain	Bega (Sonapat)	10-10¾	42-5-10	
69	Kapoor Singh S/o Sunder Singh	Bega Jhundpur, Juan (Sonapat)	2-11½	6-2-11	
70	Jhanda Ram S/o Khem Chand through Narender Kumar, Madina	Bega (Sonapat)	9-2¾	32-2-0	
71	Mohinder Kumar through Anil	Bega (Sonapat)	11-8½	46-1-0	

	Chhabra				
72	Chander Bhan S/o Fateh Chand	Pabnera (Sonapat)	7-8¼	30-0-10	
73	Bihari Lal S/o Chela Ram	Giaspur (Sonapat)	6-6	13-0-0	
74	Viran Bai W/o Ram Parkash through Gurcharan	do	0-15	3-6-0	
75	Ram Gopal S/o Hari Chand	do	1-0	4-1-0	
76	Hans Raj S/o Nand Lal	do	0-11¾	2-7-10	
77	Sant Lal S/o Nand Lal	do	0-15	3-6-0	
78	Attar Chand S/o Mohra Ram through Ram Kumar Madina	Barot (Rohtak)	1-2½	3-6-5	
79	Jiwan Dass S/o Bhagi through Jai Narain Madina	Barot (Rohtak) Giaspur (Sonapat) Pabnera (Sonapat) Chandoli (Sonapat)		4-4-3	
80	Ram Ditta S/o	Chandoli (Sonapat)	4-½	16-0-1	

	Kishan Chand through Ashok Mal				
81	Ajit Singh S/o Pahla through Vijender S/o Shad Singh	Barot (Rohtak) Pabnera Chandoli (Sonapat) Umedgarh	1-15½	6-6-5	
82	Kishori Lal S/o Laxmi Dass through Anil Chhabra Rohtak	Bega (Sonapat)	1-2½	4-4-10	
83	Hotu Mal S/o Manga Mal through Ishwar Chand	Chandoli, Giaspur, Pabnera (Sonapat) Ninana (Jind)	11-1	33-6-16	
		Total	328-11	911-1-9	
Year 1996					
1	C.L. Nangia S/o Hem Raj, R/o Bombay	Palwal Hassanpur (Hodel)	1-10 5-15	1-1-12 23-5-12	
2	Sultan Singh, Sanwal Singh, Ss/o Dhayan Singh through Sh. Ishwar Chand S/o Shanti Sarup R/o Ugala Teh. Barara, Distt.	Loharu Teh. Loharu, Distt. Bhiwani Jhanjjara Toda, Teh. Loharu Ladawas Teh. Loharu Balyali, Teh. Bawani Khera	0-8 1-4 1-5¼ 0-5	2-5-7 1-7-13 7-0-14 1-0-0	

	Ambala				
3	Sultan Singh S/o Partap Singh	Hijrawan Khurd, Teh. Fatehabad	3-5½	3-6-8	
4	Gurditta Mal S/o Gahala Ram	Fatehpur Dewanwala, Teh. Panchkula	6-6½	27-0-2	
5	Aishi Ram S/o Devi Ditta	do	2-9½	11-0-2	
6	Kesar Singh S/o Sawan Singh R/o Hijrawan Khurd, Teh. Fatehabad	Talheri (Ambala) Manumajara (Ambala) Jahagirpur (Ambala) Tendwal (Ambala) Sultanpur (Ambala) Dabkori (Ambala) Mirapur Bakshiwala (Ambala) Ishlam Nagar (Ambala) Sohana (Ambala) Kalpi (Ambala) Dera (Ambala) Sajjan Majri (Ambala)	0-2¾ 0-6¼ 0-3¾ 1-9¼ 0-9 0-1 0-5¼ 0-4¼ 1-1½ 0-1 5-10¾ 1-2½	0-2-4 0-5-1 0-3-2 2-4-8 0-7-7 0-1-5 1-5-1 1-1-1 1-6-0 0-1-5 21-0-1 1-6-17	

		Binjalpur (Ambala)	0-12 ³ / ₄	1-2-5	
		Khera (Ambala)	0-12	1-1-1	
		Rao Majra (Ambala)	0-15	3-3-0	
7	Mool Chand S/o Nihal Chand	Fatehpur Dewanwala (Panchkula)	20- ¹ / ₂	85-3-15	
8	Jaswant Ram etc. Ss/o Wazir Chand	Udhamgarh (Ambala)	7-7	13-2-11	
9	Labh Chand S/o Lal Chand	Dabkori Pilkhani	0-9 1- ¹ / ₄	0-5-13 1-5-0	
10	Gian Chand S/o Lal Chand	Sahota Pilkhani	0-2 1-14 ¹ / ₄	0-1-13 3-7-4	
11	Hargobind etc. Ss/o Narain Dass	Arainwala (Naraingarh)	3-5 ¹ / ₄	5-7-10	
12	Wazir Chand S/o Mehtar Chand	Ratour (Naraingarh)	2-8	8-2-0	
13	Bawani Dass S/o Hira Mal	Sohana (Ambala) Dera (Ambala)	0-8 ¹ / ₂ 1-2 ¹ / ₂	0-6-18	
14	Ram Parkash S/o Khalil Singh, R/o	Tibbi Ariyan (Chhachhrauli)	0-15 ³ / ₄	4-7-1	

	Ludhiana	Urjani (Jagadhri) Goli (Ambala) Gola (Ambala)	0-5 2-4 ³ / ₄ 2-3 ¹ / ₂	1-3-8 1-0-2 3-6-8 7-1-0	
15	Pardu Ram S/o Hardwari Lal, R/o Hijrawan Khurd	Ratour (Naraingarh)	4-13	15-7-9	
16	Madan Gopal S/o Parma Nand R/o Hijrawan Khurd	Dera (Ambala) Sahlapur (Ambala) Saketri (Panchkula) Wasalpur (Panchkula) Haripur Harisingh Ferozpur Kath	4-14 ¹ / ₂ 2-0 0-5 ¹ / ₂ 0-6 ¹ / ₄ 0-6 ¹ / ₄ 0-1	20-6-16 3-1-12 0-4-19 0-7-12 1-0-0 0-1-9	
17	Bodh Raj S/o Chuni Lal, R/o Raipur Dehradun	Laharpur (Naraingarh) Udhamgarh (Naraingarh) Tibbi Arian (Chhachbauli) Nagal (Panchkula) Sultanpur	6-9 ³ / ₄ 2-10 ³ / ₄ 1-1 1-11 ¹ / ₂ 0-7 ¹ / ₂	14-3-5 10-5-8 1-4-10 3-1-6 0-5-18	

		(Panchkula)			
18	Deep Chand etc. Bawani Dass, R/o Hijrawan Khurd	Goli (Ambala) Ratour (N.Garh) Ferozpur (do)	13-0 1-2¼ 0-2¼	20-6-16 2-5-14 0-2-0	
19	Balwant Singh S/o Thakur Sant Singh, R/o Hijrawan Khurd	Mahlawali (Jagadhri) Khizrabad (Jagadhri) Chhachhrauli, Tibbi Ariana (Chhachhrauli) Radaur (Jagadhri)	3-3½ 1-3½ 0-6½ 0-9¾ 0-11¾	5-1-3 2-3-11 0-5-2 0-7-16 1-1-8	
20	Roshan Dass S/o Fakir Mal, R/o Hijrawan Khurd	Ibrahimpur (Chhachhrauli) Saran (N.Garh) Rathali (Ambala) Golapur (Kalka) Kheri (N.Garh)	4-8¼ 0-7¾ 1-4¾ 2-9¼ 2-5½	9-0-3 1-6-9 4-4-17 11-0-0 4-0-0	
21	Ala Singh S/o Sumer Singh R/o Jamalpura	Dera (Ambala) Ratour, (N.Garh)	2-1¾ 5-1½	9-0-0 23-7-16	
22	Bhagwani Bai W/o Atma Ram	Tundey ki Tapria (Ambala) Ratour (N.Garh)	2-11¾ 0-12	7-4-8 1-4-18	

23	Nadar Mal S/o Danga Mal, Abub Sahar	Ratour (do) Tibbi Arain (Chhachhrauli) Bilaspur (Jagadhri) Rathali (Ambala)	2-0 ³ / ₄ 2-5 ¹ / ₄ 1-5 ¹ / ₂ 2-7 ¹ / ₂	7-5-5 3-3-18 1-7-12 7-4-14	
24	Bodh Ram S/o Ruda Ram, R/o B- 14/A, Rajouri, Garden, New Delhi	Ratour (N.Garh)	10-11 ³ / ₄	32-0-11	
25	Mani Ram etc. Ss/o Birbal, R/o Abub Sahar, Sirsa	Fatehpur Dewanwala (Panchkula) Ratour (N.Garh)	4-7 ³ / ₄ 2-1 ³ / ₄	19-1-1 8-0-0	
26	Ladha Ram S/o Shamu Ram	Ratour (N.Garh) Sunder Bahadurpur (Jagadhri)	0-15 0-4 2-11	1-5-11 1-0-0 3-7-8	
27	Lal Chand S/o Chhota Ram through Sunita Kumari, R/o H.No. 20/Township Rajpura Distt. Patiala through Smt. Sunita Kumari	Patti Kankran Shahbad Distt. Kurukshetra	15-9 ¹ / ₄	43-4-0	

28	Ram Saran S/o Hoshnak Rai, H.No. C. 1042, Dayalpura, Karnal through sh. Banwari Lal	do	6-9	15-1-13	
29	Smt. Raj Kumari Wd/o Kesar Nath, R/o Village Siwan, Tehsil & Distt. Kaithal	Siwan, Teh. Kaithal	3-9¼	3-6-0	
		Total	204-1½	584-7-9	
Year 1997 Nil Year 1998 Nil Year 1999					
1	Karam Chand S/o Damodar Dass, R/o 914/13, Urban Estate, Kurukshetra	Rohti, Teh. Thanesar Distt. Kurukeshtra	1-3¼	1-3-18	
2	Surat Singh S/o Mahnga Siingh through Khazan	Babak Majra Teh. N.Garh Jhinzro Khazuri Kaimpura	3-5¾ 0-13¾	5-7-9 1-2-11	

	Chand	Jhagoori Teh.	1-4¼	1-6-11	
		Jagadhri	1-½	1-4-0	
			0-13	1-2-13	
		Total	8-9	13-2-14	

(upto 31st August), Year 2000

NIL

Fire incident occurred at Nissing, Tohana

***183. Sh. Ramesh Kumar Khatak:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the number of cases, if any, registered against the farmers in connection with the firing incidents occurred at Kadama, Nissing, Tohana & Mandiali etc.; and

(b) the number of cases, out of those referred to in part (a) above, have been withdrawn by the present Government?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा):

(क) व (ख) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कादमा, निसिंग, टोहाना व मण्डियाली आदि में हुये गोली काण्ड के सन्दर्भ में किसानों के विरुद्ध दर्ज हुये अभियोगों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

कादमा	1
निसिंग	1
टोहाला	1
मण्डियाली आदि	53
कुल	56

(ख) उपरोक्त भाग "क" में दर्शाने गये कुल अभियोगों में से उन अभियोगों की संख्या जो वर्तमान सरकार द्वारा वापस लिये गये हैं निम्न प्रकार हैं:-

कादमा	1
निसिंग	
टोहाला	
मण्डियाली आदि	33

कुल	34
-----	----

(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये। आपकी सभी बातें क्वेश्चन आवर के बाद ही सुनी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रमेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ लेकिन विपक्ष के सदस्य किसानों के प्रति सीरियस नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इतना अहम प्रश्न आया हुआ है लेकिन ये किसानों के प्रति गंभीर ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रमेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को हरियाणा के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। कादमा, निर्सिंग, टोहाना और मंडियाली में गोली चलायी गयी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चन्द्र भाटिया: अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनको विधान सभा की कार्यवाही को आराम से चलने देना चाहिये। इस तरह से जो यह व्यवहार कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनका इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर और भी कई नये सदस्य बैठे हैं जिनको अभी तक अपनी बात कहने का समय नहीं मिला है।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनको अपनी सीटों पर बैठाएं। नये सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं. 196

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम कुमार अपनी सीट पर उपस्थित नहीं थे)

Grant to Agroha Medical College

***178. Sh. Ranbir Singh:** Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state –

(a) amount of grant given to Agroha Medical College after the formation of this Government;

(b) whether the Government has obtained its audit report after spending of the Government fund; and

(c) whether the admission will be given to the submit in the said college during the current year?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मुन्नी लाल रंगा):

(क) वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त अग्रोहा मैडिकल कालेज को अब तक साढ़े तीन करोड़ रुपये की ग्रांट दी जा चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के कुप्रयासों के कारण इस कालेज की ग्रांट बंद की गयी लेकिन वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस अग्रोहा मैडिकल कालेज के लिए 7 करोड़ 2 लाख 46 हजार रुपये सैंक्शन किए गये जिसमें से अब तक साढ़े तीन करोड़ रुपये की ग्रांट रिलीज हो चुकी है और ज्यों ज्यों कंस्ट्रक्शन का काम आगे चलता रहेगा और डिमांड आती रहेगी वैसे-वैसे हम और पैसा रिलीज करते रहेंगे। इसके अलावा भी हमने इसके लिए इस सत्र में पांच करोड़ रुपये के बजट का और प्रावधान रखा हुआ है। माननीय सदस्य के सवाल के दूसरे पार्ट के बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां तक आडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का सवाल है, 1994 से 1999 तक की आडिट की अंतरिम रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और हमने सोसायटी को यह कह दिया है कि 1994 से पहले की तथा 1999 के बाद हमारी सरकार आने के बाद की आडिट रिपोर्ट तैयार करवाकर तुरन्त भेजें। सर, आडिट करने कार्य चल रहा है। इन्होंने तीसरा प्रश्न यह पूछा था कि क्या कालेज चालू वर्ष के दौरान एडमिशन करेगा? मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसके लिए कालेज ने मैडिकल काउंसिल आफ इंडिया और गवर्नमेंट आफ इंडिया दोनों को निरीक्षण के लिए कह दिया है। हमारी सरकार ने पोस्टस को एडवरटाइज करने के लिए परमिशन दे दी है तथा इस बारे में हमारी सरकार ने एक

सिलैक्शन कमेटी भी बना दी है। एडमिशन करने का निर्णय इन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद ही विचार विमर्श करके लिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अग्रोहा मैडिकल कालेज के बारे जो सदन को जानकारी दी है इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवादी हूँ। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम शपथ लेते ही अग्रोहा मैडिकल कालेज की ग्रांट बहाल की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वह यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह मैडिकल कालेज किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था और किस मुख्यमंत्री ने इसकी ग्रांट बंद की थी तथा किस मुख्यमंत्री ने इस ग्रांट को पुनः बहाल किया है। (विघ्न)

श्री मुन्नी लाल रंगा: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य के प्रश्न के तीनों पार्ट्स के जवाब दिए जा चुके हैं।

E-Governance

***209. Sh. Balwant Singh Maina:** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the E-Governance, if any, of the State Government together with the arrangements made so far or proposed to be made for training classes under the said programme?

मुख्यमंत्री संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): श्री मान जी, विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

राज्य सरकार ने वर्ष 2005 तक ई-गवर्नेंस की और वर्ष 2002 तक शत-प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ई-गवर्नेंस के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों को प्रथम चरण में दिनांक 31.3.2000 तक अपनी पंचवर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। विभागों, बोर्डों तथा निगमों को सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है। विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का एकीकरण कर एक ही बिन्दु पर नागरिकों से सम्पर्क जोड़ने के लिए एवं सेवाएं प्रदान करने की प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था की जायेगी।

सभी विभागों, बोर्डों और निगमों की प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करने एवं जिम्मेदापरी नियत करने हेतु सूचना सुगमतापूर्वक आदान प्रदान करने एवं सूचना डाटा बैंक के गठन की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया वर्ष 2003 तक पूरी कर ली जायेगी।

फ्लैगशिप एप्लीकेशन की पहचान कर ली गई है जिसमें लेखा कोशों का कम्प्यूटरीकरण, आबकारी व कराधान विभाग का कम्प्यूटरीकरण, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं रजिस्ट्री का

कम्प्यूटरीकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना आदि शामिल है।

सभी विभागों, बोर्डों तथा निगमों के सूचना प्रौद्योगिकी की एप्लीकेशन्स के लिए उनके बजट का 5 प्रतिशत रखने के लिए निर्देश जारी किए गये हैं। निर्धारित बजट को हार्डवेयर खरीदने के लिए, साफ्टवेयर सिस्टम के लिए, आई.टी. सेंटर की स्थापना के लिए, नेटवर्किंग के लिए, वैब तकनीकी के लिए, साफ्टवेयर एप्लीकेशन्स के लिए प्रशिक्षण हेतु और तकनीकी सलाह आदि के लिए खर्च किया जायेगा।

ई-गवर्नेंस हेतु लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी संस्थाओं तथा दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों से 10 करोड़ के कोश की स्थापना की जा चुकी है। इस फंड को ई-गवर्नेंस के माडल के विकास के लिए, आई.टी. जागरूकता लाने के लिए, एम.आई.एस. इंटरनेट और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

डाटा विडियो एवं ध्वनि के प्रसारण एवं वितरण के लिए बैकबोन और हरनेट की स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस नेटवर्क के माध्यम से विभागों को जोड़ने, बहुउद्देशीय सुविधायें प्रदान करने, विडियो सम्मेलन, फाईल स्थानान्तरण सुविधा हेतु, ई-मेल, आन लाइन जन सेवाएं और पूछताछ एवं उनका उत्तर आदि सेवाएं प्रदान करने में प्रयोग किया जाएगा।

हरनैट अच्छी संचार सुविधा प्रदान करने में, सूचना इक्ठठा करने में, प्रशासन में लोगों को अधिक दुरुस्त सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।

स्मार्ट कार्ड पर आधारित नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू करने का प्रस्ताव है इससे कई प्रकार की नागरिक सेवाएं सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं: जैसे भुगतान करना, वोटर के रूप में कार्य, राशन कार्ड प्राप्त करना, ड्राईविंग लाईसैंस और वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना इत्यादि। यह कार्य 2003 तक निजी क्षेत्र के सहयोग से लागू किये जायेंगे। स्मार्ट कार्ड से जुडी अग्रणी कम्पनियों द्वारा प्रोजैक्शन भी दिया गया है।

राज्य में विभागों तथा राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए वैबसाईट भी तैयार की गई है जिसमें सभी सरकारी निविदाएं, रोजगार समाचार, सार्वजनिक हित की सूचनाएं तथा ज्ञापन जो सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं जनता के लिए ही इस वैबसाईट पर प्रकाशित किये जायेंगे।

राज्य सरकार का उदेश्य वर्ष 2002 तक सभी सरकारी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी में शत-प्रतिशत साक्षरता लागू करना है। यह प्रोग्राम हारट्रोन और एन.आई.सी. दोनों संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाएगा तथा दोनों संस्थाओं ने पहले से ही प्रशिक्षण देना आरम्भ किया हुआ है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। एन.

आई.सी. के सहयोग से सचिवालय में ही मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा सचिवालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और हारट्रोन द्वारा विभागों, बोर्डों तथा निगमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हरियाणा सिविल सचिवालय में ई-गवर्नेंस का एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला वैंब स्टुडियो, विडियो सम्मेलन स्टुडियो, डाआ केन्द्र डी.टी.पी. केन्द्र, डिजीटल पुस्तकालय, डिजीटल गैलरी और तकनीकी प्रदर्शन इत्यादि सम्मिलित है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी साथियों के निवेदन करूंगा कि वे अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

Repair of Roads

***38. Sh. Udai Bhan:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads:-

(i) Hassanpur to Palwal via Khambi;

(ii) Hassanpur to Palwal via Gulabad; and

(iii) Hassanpur to Hodel via Bhiduki; and

(b) if so, the time by which the roads referred to in part (a) above are likely to be repaired?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा)

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी, इन सड़कों की मरम्मत करवा दी जाएगी।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सड़कों के निर्माण का कोई काम नहीं किया गया है। मार्किटिंग बोर्ड के मार्फत मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के में सड़कों पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। बंसी लाल और भजन लाल जी के समय में मेरे हल्के की सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ। इन सड़कों पर हजारों आदमी डेली यात्रा करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि इन सड़कों पर बसें भी चलने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए इनके निर्माण की अत्यंत जरूरत है, मैं जानना चाहूंगा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए कब तक फंड उपलब्ध हो जाएंगे?

(इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया गया।)

Construction of New Roads, Ambala City

***157. Smt. Veena Chhibber:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct

the following newroads (CC) during the current financial year in Ambala City:-

(a) Civil Hospital to Shamshan Ghat;

(b) Manav Chowk to Ratangarh;

(c) Police Chowki No. 4 via Bakra Mandi to G.T. Road;

(d) Devi Mandir to Bali's residence, Baldev Nagar Camp; and

(e) Model Town main road via Dr. Sharda Ranjan Arya Samaj Mandir to House No. 310, Parsu Ram Bhawan, Sahni Bekri?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): जी हां, डा. शारदा रंजन सड़क को छोड़ कर, सिविल हस्पताल से शमशान घाट तक तथा माडल टाऊन मुख्य सड़क से परशुराम भवन तक सीमेंट (कंक्रीट) सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव है, डा. शारदा रंजन सड़क को बाद में बनाया जाएगा। मानव चौक से रतनगढ़ तक की सड़क का नियंत्रण हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल के अधीन है, मण्डल द्वारा इस सड़क को सीमेंट (कंक्रीट) में परिवर्तन करने की इस समय कोई योजना नहीं है। नगर परिशद के पास धन उपलब्ध होने पर अन्य सड़कों का निर्माण किया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं।
वीना जी, आप अपना सवाल पूछें (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती वीना छिब्रर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूँ कि मेरे हल्के में जो भी सड़कें बन रही हैं (शोर एवं व्यवधान) वह जनता के सहयोग से बन रही हैं मैं चाहती हूँ कि मेरे हल्के की सड़कों के निर्माण के लिए विशेष अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए क्योंकि नगर परिषद के पास कोई पैसा नहीं है (शोर एवं व्यवधान)। इन सड़कों के तीन हिस्से हैं एक हिस्सा बड़ा ठाकुर द्वारा की तरफ से सन्नी स्वीटस की तरफ आता है इसका बनना बहुत जरूरी है तभी बाकी सड़कों के बनने का फायदा हो सकेगा, माडल टाउन की सड़क भी जनता के सहयोग से बन रही है, पुलिस चौकी नं. 4 वाया जी.टी. रोड़ को सड़क बननी है। बकरा मंडी स्लम एरिया है वहां दलित लोग रहते हैं बलदेव नगर में देवी मंदिर से बाली हाउस तक रोड खराब है (शोर एवं व्यवधान) वहां मंदिर है वहां काफी सारे लोग आते हैं साथ ही सिविल हॉस्पिटल से शमशान घाट की व मानव चौक से रतनगढ़ की सड़क का बनाया जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन सड़कों के निर्माण के लिए शीघ्र विशेष अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए।

श्री सुभाश गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि लोकल बाडीज जो म्यूनिसिपल काउंसिल हैं वह अपने आप में एक सरकार हैं वे अपने

फण्डस को अपने आप अर्जित करके सड़कें बनाएंगे, उनको इसके लिए निर्देश दे दिए जाएंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या -181

(यह क्वैश्चन पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न संख्या -155

(यह क्वैश्चन पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टल अजय सिंह यादव सदन में उपस्थित नहीं थे)

Promotion of Sports

***163.@ Sh. Padam Singh Dahiya, Sh. Bhagwan Sahai Rawat:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote the sports in the State, if so, the details thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): हां, श्रीमान।

राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जो और कदम उठाये गये हैं वह सदन के पटल पर प्रस्तुत है :-

1. औलम्पिक खेलों में हरियाणा राज्य का रहने वाला जो खिलाड़ी स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक प्राप्त करेगा उसे

क्रमशः 1.00 करोड़, 50.00 लाख रुपये तथा 25.00 लाख रुपये नकद ईनाम के रूप में दिये जाएंगे।

2. राज्य के खिलाड़ियों को पहली बार राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हरियाणा राज्य की बसों के किराये में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

3. राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं, सभी खेल नर्सरियों, खेल छात्रावास, सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों इत्यादि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन दी जाने वाली खुराक राशि 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की गई है।

4. गुड़गांव व अम्बाला में हाकी के लिए एस्टो टर्फ लगाने की व्यवस्था की गई है, जिस पर 2.00 करोड़ रुपये प्रति टर्फ अनुमानित व्यय होगा।

5. राज्य के निम्नलिखित बोर्ड निगमों द्वारा खेल नर्सरियों को अंगीकृत किया गया है –

(क)	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम	वालीबाल
(ख)	हरियाणा वित्त निगम	जूड्डो
(ग)	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	बाक्सिंग, कबड्डी

(घ)	हरियाणा भण्डारण निगम	कुश्ती, टेबल टेनिस
(ण)	हरको बैंक	हाकी
(च)	हैफड	बास्केटबाल
(छ)	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	एथलैटिक्स, जिमनास्टिक
(ज)	हरियाणा पर्यटन निगम	जूड्डो, बाक्सिंग

राज्य के निम्नलिखित विभागों में टीमों के सृजन की व्यवस्था की गई है:—

(क)	हरियाणा पर्यटन निगम	जूड्डो
(ख)	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	हाकी, बैडमिन्टन
(ग)	हरियाणा पुलिस	वालीबाल, कुश्ती
(घ)	वन विभाग	एथलैटिक्स
(ण)	हरियाणा परिवहन निगम	कबड्डी

6. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के प्रशिक्षण शिविर की अवधि दो सप्ताह से बढ़ा कर चार सप्ताह की जा रही है।

7. राश्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, राज्य प्रशिक्षण शिविर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं व अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रशिक्षकों की सेवाएं सरकार के खर्च पर दी जाएगी।

8. राज्य खेल पालिसी का गठन किया जा रहा है।

9. राज्य खेल परिसर सैक्टर 12, फरीदाबाद का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसमें तैकारी, बास्केटबाल, जिमनास्टिक, एथलैटिक्स, वालीबाल, स्केटिंग तथा लान टैनिंस के प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

10. राज्य खेल परिसर सैक्टर 38, गुड़गांव में निर्माणाधीन है जिसमें सभी खेलों की आधुनिक खेल सुविधाएं होंगी जिसके प्रथम चरण में अन्तराश्ट्रीय क्रिकेट पैवेलियन बनाया जाएगा।

11. पंचकुला में राज्य स्तरीय खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

12. सैक्टर 3, पंचकुला में हरियाणा ओलम्पिक भवन बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करवा दी गई है।

INDUSTRIAL POLICY

***169. @ Sh. Suraj Mal, Sh. Lila Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the salient features of the Industrial Policy of the present Government along with the details of the facilities

being provided for rapid growth of the Industries in the State;
and

(b) the total investment made by the entrepreneurs
in the Industries since April, 1997 till to-date year-wise?

**Chief Parliamentary Secretary (Sh. Ram Pal
Majra):** (a) & (b) A statement is placed on the Table of the
House.

Statement

(a) Salient features of the New Industrial Policy
which came into force with effect from 15th November, 1999
are;

(i) Focus on integrated economic development of the
State and create investors friendly enabling environment and
to facilitate growth of industries.

(ii) Increase the share of industry in the net/gross
State Domestic Product.

(iii) Increase employment in industrial and allied
sector by 20% in the next 5 years.

(iv) Attain sustainable economic development
through catalysis of the investment in all sectors of the
economy.

(v) simplification of rules and procedures by
adopting a facilitation role that enables smooth and successful
operation of industries.

(vi) Revamping the institutional mechanism and reorienting their role to ensure fast track clearances.

(vii) Thrust to service sector and diversification in agriculture sector.

(viii) Planned development of human resources through greater coordination between industries and technical institutions generating higher employment.

(ix) Growth in the Service sector recognising its critical role as the driver of future economic growth.

(x) Instituting an effective Monitoring and Grievances Redressal Mechanism.

(xi) Strengthening & Expanding the existing infrastructure through its own resources and by encouraging private sector participation in infrastructure development.

(xii) Focusing on Small and Medium Enterprises Renewal and channelising new investment into emerging sectors of economy.

Details of the facilities being provided for rapid growth of industry in the State are;

(i) Customized Package of Incentives

Customised package of incentives and connections are provided for prestigious projects having an investment of Rs. 30 crores and above.

(ii) Sales Tax Concessions

The State Government has withdrawn the Sales Tax benefits w.e.f. 30-4-2000. However, units set up or in pipeline prior to 30-4-2000 will be eligible to avail this benefit, subject to fulfilling the following conditions.

(a) the unit is registered with the Department of Industries,

(b) the unit has been allotted or acquired land for itself.

(c) the unit has applied for finance from a regular financial institution; and the unit shall come into production within 2 years from the cut off date.

For the purpose of granting sales tax concession incentive, the State shall be divided in 3 categories:

Category 'A'	Areas within the municipal limits of Gurgaon Town, Gurgaon Block of Gurgaon District (except Manesar), the municipal limits of Faridabad Municipal Complex, Faridabad and Ballabgarh Blocks of Faridabad District.
Category 'B'	Controlled areas of Kundli, Bahadurgarh and Panipat Towns, IMT Manesar and Panchkula Urban Estate.
Category	Rest of the State except those

'C'	mentioned above;
-----	------------------

The maximum limit of sales tax concession to new units in SSI units and L&M units and the maximum period for which the benefit would be available is as under:-

New Industrial Unit

Category	Extent of Concession		Time Limit	Scale of Concession
	Small Scale	Medium/Large Scale		
1	2	3	4	5
A	125% of fixed capital investment	100% of fixed capital investment	9 years	1 st year to 9 th year 50%
B	125% of fixed capital investment	100% of fixed capital investment	10 years 1 st year	80%
			2 nd & 3 rd years	60%
			4 th & 7 th years	50%
			8 th year	40%
			9 th year	30%
			10 th year	20%

C	150% of fixed capital investment	125% of fixed capital investment	11 years 1 st year	80%
			2 nd & 3 rd years	60%
			4 th & 7 th years	50%
			8 th year	40%
			9 th year & 10 th year	30%
			11 th year	20%

Expansion and diversification

Category	Extent of Concession		Time Limit	Scale of Concession	Concession
	Small Scale &	Medium/Large Scale			
A,B & C	100% of additional investment in plant and machinery		9 years	1 st to 9 th year	50%

Sick Industrial unit

Category	Extent of Tax Concession		Period	Sales of	Concession
	Small	Medium/Large			

	Scale	e Scale		Tax	
A	125% of fixed capital investment	100% of fixed capital investment	3 years	1 st to 3 rd year	50%
B	125% of fixed capital investment	100% of fixed capital investment	3 years	-do-	
C	150% of fixed capital investment	125% of fixed capital investment	3 years	-do-	

Note 1	The benefit of sales tax concession is not admissible to units falling in the negative list.
Note 2	All new industrial units in category 'B' and 'C' after availing the benefit of sales tax exemption shall continue their production at least for the next five years not below the level of average production in preceding five years.
Note 3	New industrial units falling in category 'B' & category 'C' can opt for the scale of concession on fixed slab

	scale as applicable to units in category 'A'. In case of this option the condition in Note 2 above shall not apply;
Note 4	The eligible units are allowed to collect applicable sales tax and retain the permissible benefit as State subsidy.
Note 5	The investment in land and building shall not exceed the investment made in plant and machinery for the purpose of calculating fixed capital investment.
Note 6	The maximum extent of concession to agro-based units shall be 250% of fixed capital investment and for information technology/software/electronics will be 300% of fixed capital investment.
Note 7	The existing industrial units availing sales tax exemption/deferment under previous policies would have the option to avail tax incentives as per this policy for the balance entitlement/period.

(iii) Exemption from Payment of Electricity Duty

All new industrial units except those in the negative list of industries are exempted from the payment of electricity duty for a period of 5 years throughout the State.

(iv) Rebate in Cost of Industrial Plots

Rebate of 20% in land cost is given to entrepreneurs who start commercial production within 3 years of offer of possession of plot.

(v) Development Industrial Infrastructure

Development industrial plots are allotted to entrepreneurs in various industrial estates developed by Haryana State Industrial Development Corporation/haryana Urban Development Authority.

(vi) Escort Services

Escort services to various industrial estates is provided to Non-Resident Indians and prominent industrial houses etc.

(vii) Fast Track Clearances/Approvals

The industrial units are assisted through Single Window Service for expediting clearances/approvals from various Govt. departments/agencies. State Govt. has adopted system of deemed clearance/approvals for speedy implementation of projects. Time schedule has been fixed for various departments for giving necessary sanctions/approvals.

(b) the investments made by the entrepreneurs get reflected in the following categories:

(i) Industrial Entrepreneur Memorandums (IEMs) filed and project implemented.

(ii) IEMs filed and projects are in the pipeline.

(iii) SSI units registered and project implemented.

(iv) Investment catalysed as reflected in purchase of industrial plots for setting up of industrial units.

The year-wise details are as follows.

Year	IEMs filed		Investment catalysed by way of sale of plot		Large & Medium unit commissioned		Small Scale Industries units commissioned	
	No	Investment	No	Investment	No	Investment	No	Investment
1997-98	233	2700	127	311.39	55	227.37	4931	86.29
1998-99	111	1632	189	233.33	47	357.66	2280	39.90
1999-2000	133	3971	542	1449.23	24	185.30	1657	30.00
2000-01 (upto July)	60	323	422	1289.76	5	75.07	240	4.20

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गई नई उद्योग नीति के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं क्योंकि 15 हजार करोड़ रुपये की निवेश की नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और राज्य का औद्योगिक निर्यात 4163 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी पार कर गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 167 औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत किए गये हैं जिनमें 3869 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 22147

लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 55 प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 778 करोड़ रूपए का निवेश होने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, नई महत्वाकांक्षी औद्योगिक नीति के फलस्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में चार गुणी वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू किए जाने के बाद 1630 लघु औद्योगिक यूनिटें तथा 29 माध्यम तथा बड़ी औद्योगिक यूनिटें स्थापित हुई हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भावी उद्यमकर्ताओं को 818 औद्योगिक प्लॉट्स भी आबंटित किए गए हैं, जिनमें 2697 करोड़ रूपए का निवेश होगा। गत वर्ष इस अवधि में 161 प्लॉट आबंटित किए गए थे। इन परियोजनाओं के क्रियान्वित होने पर लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा से जिन 70 देशों को औद्योगिक वस्तुओं को निर्यात किया जा रहा है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्वीडन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और हालैंड शामिल हैं और इन देशों को जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, उनमें मोटर कार, दो-पहिया वाहन, साइकिल, मोटर गाड़ी के कलपुर्जे तथा रसायन शामिल हैं। प्रदेश से जिन अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, उनमें बिजली तथा इलैक्ट्रानिक्स का सामान, हथकरघा का सामान, चमड़े का सामान, चावल, आचार तथा अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त हरियाणा से इन देशों को प्रयोगशाला के उपकरणों समेत वैज्ञानिक उपकरण तथा

सिले-सिलाए कपड़े भी निर्यात किए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई उद्योग नीति लागू करने के बाद हरियाणा में जो प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आई हैं, उनमें होंडा मोटर लिमिटेड, वीडियोकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, पौलरिश होल्डिंग्स लिमिटेड, मोथरसंस सूमो सिस्टम लिमिटेड, सोना कायो स्टियरिंग लिमिटेड तथा

10.00 बजे

डयूरासैल लिमिटेड शामिल है। इस अवधि के दौरान एल्काटेल नेटवर्क सिस्टम लिमिटेड, असाही इंडिया सेफटी ग्लास लिमिटेड और परफैटी इंडिया लिमिटेड जैसी कुछेक कंपनियों ने विस्तार का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय तेल निगम भी 3365 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश से पानीपत तेल शोधक कारखाने की क्षमता 6 एम.एम.टी.ए. से बढ़ा कर 12 एम.एम.टी.ए. कर रहा है। भारतीय पेट्रो कैमिकल्स निगम 4228 करोड़ रुपये के निवेश से पानीपत में एक पेट्रो कैमिकल्स काम्प्लैक्स भी स्थापित कर रहा है। राज्य सरकारने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए जिला पानीपत के गांव बलजाटन में 750 एकड़ भूमि अधिगृहीत की है। इस परियोजना के क्रियान्वित होने से पालिस्टर, स्टैपल, फाइबर, फिलामेंट यार्न तथा अन्य प्रकार के इस तरह का कच्चा माल तथा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास के काफी अवसर उपलब्ध होंगे। निगम पानीपत में 2585 करोड़ रुपये के निवेश से इन उद्योगों के फीड स्टॉफ पर आधारित 360 मैगावाट की बिजली

परियोजना भी स्थापित कर रहा है। भारतीय तेल निगम पर्यावरण के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाली मोअर स्पिरट के उत्पादन के लिए पानीपत में 467 करोड़ रुपये के निवेश से गुणवत्ता सुधार परियोजना भी स्थापित कर रहा है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वित होने पर आगामी पांच वर्षों में डेढ़ लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हरियाणा सरकार कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के समग्र, समन्वित विकास के लिए नीतिगत निर्देश देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आर्थिक विकास बोर्ड पहले ही स्थापित कर चुकी है। सरकार प्रदेश में आधारभूत संरचना के समेकित विकास के लिए एक दीर्घकालीन आर्थिक विकास परिकल्पना तैयार करेगी। प्रदेश में मूल संरचना के विकास के लिए निजी संसाधन जुटाने हेतु शीघ्र ही आधारभूत संरचना विकास कोश स्थापित किया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत तथा अनुमोदित समझा जाए की प्रणाली अपनाई है। परियोजनाओं का आवश्यक स्वीकृति, अनुमोदन प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के लिए समय सूची निर्धारित कर दी गई है। औद्योगिक इकाईयों में निरीक्षकों का दौरा उस सीमा तक कम कर दिया गया है, जितना कि कानूनी तौर पर लाजिमी है। राज्य सरकार ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवीक्षण करने तथा शिकायतों का निवारण करने के लिए

एक प्रभावी प्रक्रिया भी स्थापित की है। सूचना प्रौद्योगिकी के गहन प्रयोग से आधुनिक प्रबन्ध प्रणाली शुरू की जा रही है। प्लॉटों के आबंटन तथा हस्तांतरण की प्रणाली युक्तिसंगत बना दी गई तथा किशतों के भुगतान को भी आसान बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रवासी भारतीयों तथा निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए 20 प्रतिशत प्लॉट आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4000 एकड़ का एक भू-बैंक स्थापित किया गया है और कुछ विशेष क्षेत्रों में ऐसे भू-बैंक स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्यम नवीनीकरण कोश स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य इन उद्योगों की तकनीक को सुधारना, इनको उच्च गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना, उन्नत प्रबन्धन व्यवस्था अपनाना और इनकी क्षमता में वृद्धि करना है। इस कोश से लघु एवं मध्यम उद्यमियों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय क्षमताओं में सुधार होगा और प्रौद्योगिकी उन्नत होगी। 30 करोड़ तथा इससे अधिक के स्थिर पूंजीगत निवेश वाली प्रतिष्ठित परियोजनाओं को एकमुश्त प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। होंडा स्कूटर लिमिटेड द्वारा दो पहिया वाहनों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक मॉडल टाउनशिप मानेसर में स्थापित की जा रही है इसकी कुछ परियोजना के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज पहले ही दिया जा चुका है। कुछ अन्य प्रतिष्ठित

परियोजनाओं को भी ऐसा पैकेज दिए जाने के लिए विचार किया जा रहा है।

श्री सूरजमल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि औद्योगिक नीति में लाइसेंस की ठेकेदारी की जो पोलिसी चली हुई है, उसको रद्द करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के सभी उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में बिजली की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इंसपैक्ट्रीराज का खात्मा किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश के सभी औद्योगिक घराने संरक्षण में हैं। दूसरे देशों से हमारे यहां लोग इन्डस्ट्रीज लगाने के लीए आ रहे हैं। (शोर)

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 15.11.1999 से लागू हो गई है। इन्डस्ट्री सैक्टर में जितने भी उद्योग लगेंगे उनका सर्वांगीण विकास हो जाने पर उनमें प्रदेश के कुशल रोजगारों को काम मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त राज्य का समेकित विकास करना तथा उद्योगों के विकास के लिए निवेश सहयोगी वातावरण तैयार करना राज्य के निवल/सकल घरेलू उत्पादों में उद्योगों का हिस्सा बढ़ाना,

आगामी पांच वर्षों में औद्योगिक और सहायक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत तक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, (शोर) अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेशों के माध्यम से स्थिर आर्थिक विकास करना, सरल नियमों और पद्धतियों को अपनाना ताकि उद्योग सफलतापूर्वक कार्य कर सके, संस्थागत ढांचे को फिर से तैयार करना और उनकी गतिविधियों का पुनः निर्धारित करना ताकि काम तुरन्त निपट सके, सेवा क्षेत्र व कृषि क्षेत्र के विविधिकरण पर विशेष ध्यान देना, (शोर) उद्योग और तकनीकी संस्थाओं के बीच अधिक समन्वय के माध्यम से योजनाबद्ध मानव संसाधन विकास करना और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जुटाना, भावी अर्थ-व्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के मदेनजर सेवा क्षेत्र का विकास होगा, (शोर) देखरेख और शिकायत निवारक तंत्र की स्थापना वर्तमान अवस्थापना को अपने ही संसाधनों से सुदृढ़ बनाना और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके अवस्थापना का विकास करना और लघु एवं मध्यम उद्योग के नवीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना और अर्थ-व्यवस्था के नये उभरते क्षेत्रों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की मौजूदा सरकार से जानना चाहूंगा कि संशोधित औद्योगिक नीति के तहत मेरे पड़ोस में लगते फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों जहां पर आदर्श शहर और आदर्श औद्योगिक नगर बनाने जा रहे

हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और आज तक सरकार न इस बारे में क्या कदम उठाये हैं? (शोर)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी रावत साहब ठीक ही कह रहे हैं कि गुड़गांव और फरीदाबाद औद्योगिक शहर हैं। यहां पर बिक्री कर में रियायतें प्रदान करने के उद्देश्य से ही राज्य को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे गुड़गांव शहर की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, जिला गुड़गांव का (मानेसर को छोड़कर) पूरा गुड़गांव ब्लाक, फरीदाबाद नगरपालिका कम्पलैक्स की नगरपालिका सीमाएं और फरीदाबाद जिले का फरीदाबाद व बल्लबगढ़ ब्लाक, कुण्डली, बहादुरगढ़ और पानीपत नगरों के नियंत्रित क्षेत्र, औद्योगिक मॉडल टाऊन, मानेसर और पंचकूला शहरी संपदा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रमेश खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा में बाहर से नये कितने उद्योग लग रहे हैं और कितने रजिस्टर्ड हुए हैं तथा उन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने नई इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी को लागू किया है। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। (शोर)

स्पीकर सर, मेरे साथी श्री रमेश खटक ने नई औद्योगिक नीति के बारे में पूछा है जिसके जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार हरियाणा प्रदेश में नई औद्योगिक नीति के तहत 2005 तक ई-गवर्नेंस लागू करने जा रही है और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने जा रही है (शोर) जिसके ऊपर दिनांक 31.3.2001 तक पंचवर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने के लिए कहा गया है (शोर) विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों को सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश देने को अंतिम रूप दे दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का एकीकरण कर एक ही बिन्दु पर नागरिकों से सम्पर्क जोड़ने के लिए एवं सेवाएं प्रदान करने की प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था की जायेगी। (शोर) सभी विभागों, बोर्डों और निगमों की प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करने एवं जिम्मेवारी नियत करने हेतु सूचना सुगमतापूर्वक आदान प्रदान करने एवं सूचना डाटा बैंक के गठन की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया वर्ष 2003 तक पूरी कर ली जायेगी। (शोर)

फ्लैगशिप एप्लीकेशन की पहचान कर ली गई है, जिसमें लेखा कोशों का कम्प्यूटरीकरण आबकारी व कराधान विभाग का कम्प्यूटरीकरण, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं रजिस्ट्री का कम्प्यूटरीकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना आदि शामिल हैं। (शोर एवं व्यवधान) सभी विभागों, बोर्डों तथा निगमों के सूचना प्रौद्योगिकी की एप्लीकेशन के लिए उनके

बजट का 5 प्रतिशत रखने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। निर्धारित बजअ को हार्डवेयर खरीदने के लिए साफ्टवेयर सिस्टम के लिए, आई.टी. सेंटर की स्थापना के लिए, नैटवर्किंग के लिए, वैब तकनीकी के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशनज के लिए प्रशिक्षण हेतु और तकनीकी सलाह आदि के लिए खर्च किया जाएगा। (शोर) ई-गवर्नेंस हेतु लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारी संस्थाओं तथा दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों से 10 करोड़ के कोश, की स्थापना की जा चुकी है। इस फण्ड को ई-गवर्नेंस के माडल के विकास के लिए, आई.टी. जागरूकता लाने के लिए, एम. आई.एस. इंटरनेट और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। डाटा विडियो एवं ध्वनि के प्रसारण एवं विवरण के लिए बैकबोन और हरनेट की स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। (शोर) इस नैटवर्क के माध्यम से विभागों को जोड़ने, बहुउद्देशीय सुविधाएं प्रदान करने वीडियो सम्मेलन, फाइल स्थानान्तरण सुविधा हेतु ई-मेल आन लाइन जन सेवाएं और पूछताछ एवं उनका उत्तर आदि सेवाएं प्रदान करने में सूचना इकट्ठा करने में, प्रशासन में लोगों को अधिक दुरुस्त सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। स्मार्ट कार्ड पर आधारित नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू करने का प्रस्ताव है इससे कई प्रकार की नागरिक सेवाएं सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं जैसे भुगतान करना, वोटर आई.सी. के रूप में कार्य, राशन कार्ड प्राप्त करना, ड्राइविंग लाईसेंस और वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना इत्यादि। यह कार्य 2003 तक निजी क्षेत्र के

सहयोग से लागू किये जायेंगे। स्मार्ट कार्ड से जुड़ी अग्रणी कम्पनियों द्वारा प्रोजेक्शन भी दिया गया है। राज्य में विभागों तथा राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए वैबसाईट भी तैयार की गई जिसमें सभी सरकारी निविदाएं, रोजगार समाचार, सार्वजनिक हित की सूचनाएं तथा ज्ञापन जो सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं जनता के लिए यही इस वैबसाईट पर प्रकाशित किये जायेंगे। (शोर) राज्य सरकार का उद्देश्य वर्ष 2002 तक सभी सरकारी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी में शत-प्रतिशत साक्षरता लागू करना है। यह प्रोग्राम हारट्रोन और एन.आई.सी. दोनों संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाएगा (शोर) तथा दोनों संस्थाओं ने पहले से ही प्रशिक्षण देना आरम्भ किया हुआ है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण के लिये विस्तृत प्रोग्राम तैयार किया हुआ है। एन.आई.सी. के सहयोग से सचिवालय में ही मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा सचिवालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और हरट्रोन द्वारा विभागों, बोर्डों तथा निगमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा सिविल सचिवालय में इ-गर्वनैस का एक विशेष केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) इस केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, वैब स्टुडियो, वीडियो सम्मेलन स्टुडियो, डाटा केन्द्र, डी.टी.सी. केन्द्र, डिजीटल पुस्तकालय, डिजिटल गैलरी और तकनीकी प्रदर्शन इत्यादि सम्मिलित हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश सरकार के इस इंफोर्मेशन एंड टैक्नोलोजी सेंटर का उदघाटन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सिविल सचिवालय में

करेंगे। मेरे विपक्ष के साथी हमेशा उल्टे काम करने में लगे रहते हैं इसलिये प्रशिक्षण के लिए मैं इन सबको भी आमंत्रित करता हूँ ताकि ये उल्टे कामों की बजाय कुछ सुलटे काम करना सीख सकें। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा सिविल सचिवालय में ई-गर्वनैस का एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। जिसका 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला द्वारा शुभारम्भ किया जाएगा। इन केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, वैब स्टूडियो, वीडियो सम्मेलन स्टूडियो, डाटा केन्द्र, डी.टी.पी. केन्द्र, डिजीटल पुस्तकालय, डिजीटल गैलरी और तकनीकी प्रदर्शन इत्यादि सम्मिलित हैं। सभी विधायकों को उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी यही कहूँगा कि वे भी इसका प्रशिक्षण लेने के लिए आएँ। स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश ने बढ़ते हुए विकास की ओर बहुत प्रगति की है। आप सभी को इस बात का अन्दाजा हो गया होगा कि हरियाणा प्रदेश में नए उद्योग आने से लगभग पांच लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ेगा। नए उद्योग लगने के बाद हरियाणा प्रदेश का जो रेवेन्यू बढ़ेगा वह हरियाणा प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। वह पैसा मेरे विपक्ष के भाईयों की तरफ अपने घरों में खर्च नहीं किया जाएगा। (शोर) जब विपक्ष के भाइयों की सरकार थी उस समय से स्टेट का रेवेन्यू अपने घरों में खर्च करते थे। स्पीकर साहब, इनके आईम में प्रदेश के अन्दर सड़कों की खस्ता

हालत थी। इनके टाईम में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि ये स्टेट का सारा रेवेन्यू अपने घरों में खर्च करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने नेतृत्व में बनी सरकार स्टेट का सारा रेवेन्यू स्टेट का विकास के लिये खर्च करती है। हमारी सरकार ने अपनी स्टेट के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। विपक्ष के भाइयों को इस बात के लिए सरकार को एप्रिशिअट करना चाहिए। (शोर) रघुबीर सिंह जी आप तो इन गुनाहगारों में से एक हैं आप यहां क्या नारे लगाते हों। (शोर)

श्री रणबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में नई औद्योगिक नीति आने से स्टेट के राजस्व में कितनी बढ़ौतरी होगी? (शोर)

Completion of Sixth Unit of Panipat Thermal Power Plant

***147. Sh. Lila Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the sixth unit of Panipat Thermal Power Plant is likely to be completed togetherwith the quantum of electricity to be generated therefrom?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): पानीपत थर्मल पावर प्लांट की छठी ईकाई जनवरी, 2001 में ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होना सम्भावित है जिससे कुछ बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोल फायरिंग मार्च 2001 के दौरान शुरू

होनी सम्भावित है। स्थिर होने पर इस इकाई से प्रतिदिन 45/50 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होने की सम्भावना है।

श्री राम कुंवार सैनी: स्पीकर साहब, में आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड ने किसानों की सहूलियत के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

श्री राम पाल माजरा: हरियाणा प्रदेश की पिछली सरकारों ने 16 वर्षों से जो टयूबवैल के कनैक्शंज किसानों को देने बंद कर रखे थे हमने वे तत्काल योजना के तहत देने शुरू कर दिए हैं। यह कनैक्शंज कांग्रेस पार्टी और विकास पार्टी के समय में बंद पड़े थे। मौजूदा सरकार ने तत्काल योजना के तहत लोगों को टयूबवैल के कनैक्शंज दिए हैं। पिछली सरकार के समय नॉन-पेमेंट ऑफ बिल्ज का जो आंदोलन चला था। उस आंदोलन के दौरान इनके समय में नारनौल, कादमां, टोहाना, नीसिंग आदि जगहों पर किसानों पर दनदनाती गोलियां चली थीं। जबकि इसके विपरीत चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने नॉन-पेमेंट ऑफ बिल्ज के बारे में किसानों से बातचीत की हरियाणा के किसानों ने चौ. ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर ही 273 करोड़ रुपये के बिल्ज अपने आप जाम कराये हैं जो कि एक रिकार्ड है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, ये सवाल का जवाब दे रहे हैं या भाषण कर रहे हैं।

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के किसानों ने अपनी मर्जी से बिल अदा किए हैं। इस पैसे को लेने के लिए चौ.ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के समय न कोई आन्दोलन चला और न कोई गोली चली बल्कि किसानों ने अपनी मर्जी से बिल अदा किए हैं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंटरी आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि किसानों को बिजली के बिल न देने के लिए किसने उकसाया था?

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसी लाल जी की सरकार के समय हरियाणा प्रदेश में किसानों का जो नॉन-पेमेंट ऑफ बिल्ट का आंदोलन हुआ था वह भारतीय किसान यूनियन ने किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकी सरकारों के समय में मण्डियाली में, सतनाली में व दूसरी जगहों पर किसानों पर गोलियां चली थी। इस गोलीबारी के दौरान किसान मारे गए थे। जब इनकी सरकार के समय में किसान लोग मारे गए थे तो इनकी सरकार का कोई आदमी वहां पर गोडा निवाण तक भी नहीं गया था। मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने चौ. ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर 273 करोड़ रुपये के बिल अपनी मर्जी से सरकारी खजाने में जमा करवाये।

प्रश्न संख्या न. 115

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य राव नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

प्रश्न संख्या न. 8

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव सदन में उपस्थित नहीं थे)

Investment attracted after adoption of New Industrial Policy

***205. Sh. Mula Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total Foreign Direct Investment, if any, attracted/received so far since the adoption of new Industrial Policy by the State Govt.; and

(b) the details of steps, if any, proposed to be taken to ensure continuous flow of industrial investment in the State.

Chief Parliamentary Secretary (Sh. Ram Pal Majra): (a) & (b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Since the adoption of Haryana's new Industrial Policy, 1999 (i.e. 15.11.1999), the Government of India have accorded approval for 39 projects of foreign direct investment

for Haryana State involving an investment of Rs. 331.02 crores.

(b) The State Government have taken a number of steps to ensure continuous flow of industrial investment in the State, These are;

(I) Industrial Policy, 1999

The State Government adopted new Industrial Policy, 1999 with effect from 15.11.1999 to accelerate the pace of development of industries in the State. The State had to respond to changing global and domestic scenario and the growing needs of the industry and hence new Industrial Policy has been formulated to promote the industrial growth in the context of overall economic development of the State and to create investor-friendly enabling environment to facilitate the industry to move strongly to the front ranks of global competition.

(II) Economic Development Board

An Economic Development Board under the Chairmanship of Chief Minister for planning and deciding policy directions for overall and integrated development of the State has been constituted on 31.12.1999. It is proposed to lay down a long term economic development vision for next 20 years.

(III) Empowered Committee and strengthening of other institutions

The newly constituted Empowered Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary has started

functioning to suggest policy initiatives and to monitor implementation of Policy apart from facilitating smooth coordination amongst various departments of the Govt. to achieve the objectives set forth in the policy. Industrial Assistance Group (IAG) and Single Window Services (SWS) has also been strengthened to improve upon delivery mechanism.

(IV) Simplification of Rules and Procedures

Facilitation of industrial investment is planned through a system of deemed clearances/approvals for speedy implementation of projects and fixing up time schedule for various departments for giving necessary sanctions/approvals. The administrative system of the State is in the process of being modernised to match the expectations of the private sector by introducing extension computerisation and systems improvement through an IT plan for the State covering critical areas.

(V) Infrastructural Development Fund

The process of setting up of Infrastructural Development Fund and Infrastructural Development Authority has begun which will act as a catalyst for mobilising, and attracting private resources into infrastructural sector. Private investment is also proposed in industrial infrastructure including Integrated Industrial Townships and Software Technology Parks.

(VI) Development of Industrial Infrastructure

Haryana State Industrial Development Corporation is developing industrial estates in about 5000 acres of land at

various locations in the State and developed industrial plots will be allotted to the entrepreneurs.

(VII) Estate Management

Estate Management Procedures have been simplified with off-the-shelf and across the table allotment of Industrial Plots.

(VIII) Special Incentives for NRIs.

Special efforts are being made to attract Non-Resident Indians investment. 10% of plots in the newly developed Industrial Estates, Growth Centres and Integrated Infrastructure Development Centres are being reserved for NRIs.

(IX) Thrust Areas

Agro-based & food processing industry, information technology & telecommunications, automobiles, automotive components and light & medium engineering, handloom, hosiery, textiles and garments manufacturing and export-oriented units have been identified as thrust areas.

(X) Special Package for Prestigious Projects

The scheme of incentives include packages for prestigious projects having investment of Rs. 30 crores and above, and sales tax concessions to the units in pipeline who have taken effective steps for implementing the project by 30-4-2000 have been provided.

(XI) Export Service

Industrial Assistance Groups (IAG) is providing Assistance to investors, escort services for venture location, information on investment policies, procedures and clearances. Industrial Assistance Group (IAG) has its offices located at Chandigarh and Delhi.

(XII) Organising Seminars, Workshops and Business meets

Attempts are being made to organise Business meets to attract foreign investment within and outside the country. Seminars and Workshops are planned to be organised on different subjects to provide technical information on latest marketing trends. There is regular inter-actions with various State and District level Industrial Associations to mitigate the problems of entrepreneurs.

(XIII) Participation in Trade Fairs/Exhibitions

The State Government have been participating in the National and International trade fairs/exhibitions. In these fairs/exhibitions, various policy initiatives and infrastructural facilities available with the State Government are highlighted and industry related information is also disseminated to the entrepreneurs.

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति, 1999 लागू करने से अब तक भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में सीधे विदेशी निवेश के लिए 39 परियोजनाएं

अनुमोदित की हैं जिनमें 331.02 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (विधन एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर में प्वायंट आप आर्डर नहीं होता इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विधन एवं शोर)

श्री रामपाल माजरा: सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश के निरन्तर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कई पग उठाए हैं। वे इस प्रकार हैं औद्योगिक नीति, 1999 सरकार ने राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु नई औद्योगिक नीति 1999 दिनांक 15.11.99 से लागू की है। बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिदृश्य का सामना करने तथा उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के मदेनजर नई औद्योगिक नीति की संरचना की गई ताकि राज्य के सम्पूर्ण आर्थिक विकास के संदर्भ में औद्योगिक विकास के लिए निवेश सहयोगी वातावरण बन सके और राज्य के उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले हेतु खड़ा किया जा सके। (विधन)

आवाजें: यह कोई तरीका नहीं है आपको हमारी बात सुननी चाहिये। (विधन एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: आप लोग मेरी नरमाई का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप सभी पुराने एम.एल.एज. हैं। विपक्ष के जो नेता

हैं वे भी खड़े हुए हैं। (विध्न एवं शोर) आप किसी भी बात को नहीं मान रहे हैं (विध्न) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। आप सभी लोगों की बात भी सुनेंगे। (विध्न) आपकी पार्टी के नेता की बात भी सुनेंगे और सीमा एम.एल.एज. की बात भी सुनेंगे। फिलहाल आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (विध्न)

श्री रामपाल माजरा: राज्य के पूर्ण व समन्वित विकास के लिए योजना बनाने व नीति निर्देश निर्धारित करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक आर्थिक विकास बोर्ड का गठन 31.12.1999 को किया गया है। आने वाले 20 वर्षों के लिए आर्थिक विकास विजन बनाए जाने का प्रस्ताव है। (विध्न एवं शोर)

सशक्त समिति तथा दूसरे संस्थानों को सुदृढ करना: नीतिगत शुरूआतें व नीति की कार्यान्विति की देख रेख और सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक नवगठित सशक्त समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है ताकि नीति के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। औद्योगिक सहायता समूह व एकल खिड़की सेवा को सहूलियतें प्रदान करने के तरीको में सुधार लाने के लिए सुदृढ बनाया गया है।

नियमों तथा प्रणालियों का सरलीकरण: औद्योगिक निवेश का सुगमीकरण तथा परियोजनाओं को तत्परता से लागू

करने के लिए मंजूरी समझो प्रक्रिया व विभिन्न स्वीकृतियां मंजूरिया प्रदान करने के लिए समयावधि निश्चित की गई है। राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तृत कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी योजना द्वारा प्रशासनिक ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि उसे निजी क्षेत्र की आशाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

आधारभूत विकास कोश: आधारभूत विकास कोश तथा आधारभूत विकास प्राधिकरण को स्थापित करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है जोकि निजी संसाधनों को राज्य के आधारभूत विकास के लिए धन जुटाने व निवेश के लिए उठोरक का कार्य करेगा। इन्टिग्रेटिड इण्डस्ट्रीयल टारुनशिप तथा सोफटवेयर टैक्नॉलोजी पार्क सहित औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के लिए निजी निवेश भी प्रस्तावित है।

औद्योगिक आधारभूत सेवाओं का विकास: हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम राज्य में 5000 एकड़ भूमि पर विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक सम्पदाओं का विकास कर रहा है और विकसित औद्योगिक प्लॉट उद्यमियों को आबंटित किये जाएंगे।

सम्पदा प्रबन्ध: सम्पदा प्रबंध प्रक्रियाएं सरल बना दी गई है तथा औद्योगिक प्लॉटों का आबंटन ऑफ दि सैल्फ तथा आमने सामने बैठकर किया जा रहा है।

अप्रवासी भारतीयों के लिए विशेष प्रोत्साहन: अप्रवासी भारतीयों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। नई विकसित औद्योगिक सम्पदा, विकास केन्द्रों तथा इंटिग्रेटिड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमेंट सैंटर में अप्रवासी भारतीयों के लिए 10 प्रतिशत प्लेटों को सुरक्षित रखा जा रहा है।

प्रणोद, क्षेत्र: ऐग्रो-बेसड तथा फूड-प्रोसेसिंग उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार आटो-मोबाईल, आटोमोटिव कम्पोनेंट तथा हल्की तथा मध्यम इंजीनियरिंग, हैंडलूम, हौजरी, टैक्सटाईल तथा गारमेंट उत्पादन तथा निर्यात संवर्धन इकाइयों को एक प्रणोद क्षेत्र के रूप में जाना गया है।

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों की बात को सुनें (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग अपनी सीटों पर जाकर बात करें तो आपकी बात सुनी जाएगी (विधन एवं शोर)

श्री रामपाल माजरा: प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज: इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठित परियोजनाओं जिनमें निवेश 30 करोड़ रूपये या उससे अधिक है, को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है तथा ऐसी इकाइयां जिन्होंने 30.4.2000 तक प्रोजैक्ट लगाने हेतु उचित कदम उठा लिए थे, उन्हें बिक्री कर प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।

एस्कॉर्ट सर्विस: औद्योगिक सहायता समूह (आई.ए.जी.) निवेशकों को सहायता, भूमि के चयन के लिए एस्कॉर्ट सर्विस, निवेश की पॉलिसी, प्रणालियां तथा निकासों के बारे में सूचना प्रदान करता है। औद्योगिक सहायता समूह के कार्यालय चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में स्थित हैं (विघ्न एवं शोर)

सेमिनार, वर्कशॉप तथा बिजनैस मीटस की व्यवस्था करना: राज्य के अन्दर तथा बाहर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बिजनैस मीटस की व्यवस्था की जा रही है। तकनीकी सूचना व आधुनिक मार्केटिंग ट्रेंड्स को जानने के लिए विभिन्न विशयों पर सेमिनार तथा वर्कशॉप की व्यवस्था की जायेगी। (विघ्न) राज्य स्तर तथा जिला स्तर के औद्योगिक संगठनों से समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उद्यमकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना: राज्य सरकार राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेती रही है। इन मेलों/प्रदर्शनियों में विभिन्न नीतियां तथा आधारभूत सुविधाएं जो राज्य सरकार प्रदान करती हैं, को दर्शाया जाता है और उद्योग संबंधी सूचनाएं भी उद्यमियों को प्रदान की जाती हैं, (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम-45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों
के लिखित उत्तर

Exploitation of Child Labour

***14. Sh. Jai Parkash Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start conducting survey at large scale in regard to present position of Exploitation of Child Labour in the State.

(b) whether the State Government have taken any steps to monitor implementation of the provision of Exploitation of the Child Labour Act, 1986; and

(c) if so, whether any case has been filed against employers for violation of the aforesaid Act during the each of the last two years and as on 30th April, 2000?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) जिला न्यायाधीशों की देख-रेख में वर्ष 1997 में एक गहन सर्वे करवाया गया था।

(ख) हां, अधिनियम की परिपालना हेतु श्रम विभाग के श्रम निरीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों को निरीक्षण घोषित/अधिसूचित किया हुआ है और उन द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान बाल श्रम (प्रतिवेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 की उल्लंघना करने पर किसी नियोक्ता के विरुद्ध कोई केस दायर नहीं किया गया है।

Construction of Flyover

***18. Sh. Dev Raj Dewan:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Flyover on Railway crossing near Sugar Mill in Sonipat City?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नहीं, श्रीमान् जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

1. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether any Agricultural Land of certain village Panchayats in District Rewari is under illegal possession at present, if so, the detail thereof; and

(b) the steps taken or proposed to be taken so far to get the said land vacated?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां श्रीमान् जी, जिला रिवाड़ी में 163 एकड़ 3 कनाल 18 मरले कृषि योग्य शामिल भूमि नाजायज कब्जे में है जिसका विवरण अनुबन्ध 'क' में दिया गया है, तथा

(ख) कथित पंचायत भूमि से नाजायज कब्जे हटाने बारे पग उठाए जा रहे हैं। प्रत्येक केस का विवरण भी अनुबन्ध 'क' में दिया गया है।

अनुबंध "क"

जिला रिवाड़ी में कृषि योग्य भूमि जो नाजायज कब्जे में है, के बारे कैप्टल अजय सिंह यादव, विधायक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न नं.।

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	एरिया ए.क. म.	नाजायज कब्जों को हटाने बारे उठाए गए पग
1	2	3	4	5
1	रिवाड़ी	डावड़ी	10.1.03	नाजायज कब्जे हटाने बारे कार्यवाही की जा रही है।
		सहारनवास बाढ सन्दरोज गगौली	1-0-00 2-0-00	उक्त उक्त
2	बावल	लालपुर (गुजरीवास)	3-3-0	पंजाब विलेज कामन लैंड (रैगुलेशन) एक्ट 1961 के

				तहत न्यायालय में केस दायर किया हुआ है।
		रानौली	10-0-00	उक्त
		जडथल	11-0-00	नाजायज कब्जे हटाने बारे कार्यवाही की जा रही है।
3	जाटूसाना	दड़ोली	10-0-00	जुमला-मालकान की जमीन है तथा उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ है।
		देहलावास	5-0-00	पंजब विलेज कामन लैंड एक्ट 1961 की धारा 7 के तहत केस न्यायालय में लम्बित है।
4	नाहड़	नेहरूगढ़	100-0-00	सी.डब्ल्यू.पी. नं. 799/89-किशोरी लाल बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य उच्च न्यायालय में लम्बित है।
		नेहरूगढ़	2-1-18	सिविल सूट शेर सिंह बनाम ग्राम पंचायत सिविल कोर्ट में लम्बित है तथा कोर्ट से स्थगन आदेश है।

		नेहरूगढ़	6-1-10	सिविल याचिका नं. 1238 / 99- प्रभाती लाल बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य उच्च न्यायालय में लम्बित है।
		गुडयानी	1-.0-00	सिविल याचिका नं. 12524 / 99- श्योदास बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य उच्च न्यायालय में लम्बित है।
		सुदराना	1-4-07	पंजाब विलेज कामन लैंड एक्ट 1961 की धारा 7 के तहत सहायक क्लैक्टर प्रथम श्रेणी की कोर्ट में केस लम्बित है।
		कुल	163-3-18	

Accidents occurred on National Highway

2. Sh. Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the year-wise number or accidents occurred on National Highway No. 1 Between Ambala Cantt. and Delhi during the last five years; and

(b) the number of persons injured, died alongwith vehicles damaged in the accidents referred to in part (a) above?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 1 पर अम्बाला से दिल्ली के बीच हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	दुर्घटनाएं	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृतकों की संख्या	क्षतिग्रस्त वाहनों की संख्या
1	2	3	4	5
1995	1015	1212	527	1797
1996	971	1335	548	1738
1997	951	1130	568	1750
1998	1195	1378	664	2055
1999	1068	1611	581	2027

Amount spent on Development Schemes

3. Sh. Dharambir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the block-wise detail of the allocated funds utilized on various development works/schemes in the State by the Panchayat and Development Department during the period from July, 1999 to June, 2000?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted, the communication received from the Chief Minister in this connection reads as under :-

“Interim reply”

अ. पत्र क्र.-47092

मुख्यमंत्री, हरियाणा

चण्डीगढ़।

“ओम प्रकाश चौटाला

दिनांक 5.9.2000

विशय:- श्री धर्मवीर सिंह विधायक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न न. 3 विकास तथा पंचायत विभाग द्वारा जुलाई, 1999 से जून, 2000 तक की अवधि में दी गई अनुदान की राशि व उसके प्रयोग बारे।

प्रिय अध्यक्ष जी,

उपरोक्त विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवा कर यह कहना चाहूंगा कि विषयाधीन प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु जिला स्तर व खण्ड स्तर के कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जानी है लेकिन समय के अभाव के कारण यह सूचना निश्चित तिथि 6.9.2000, तक एकत्रित करना सम्भव नहीं है। अतः अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु तीन मास का समय बढ़ाने का कष्ट करें। यह प्रश्न 6.9.2000 को निश्चित है।

आदर सहित

आपका

हस्ता./—

(ओम प्रकाश चौटाला)

श्री सतबीर सिंह कादियान,
अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़।”

Cases of Robberies, Dacoities registered in the State

4. Sh. Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the year-wise number of cases of Robberies, Dacoities, Murders, Rapes & Dowry registered in the State during last five years; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above in which accused have been arrested alongwith the number of such cases which have been solved?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): तालिका सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

(क) पिछले पांच सालों के लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार व दहेज के दर्ज मुकदमों की प्रतिवर्ष संख्या निम्नलिखित है:—

अपराध	1995	1996	1997	1998	1999
लूट	253	245	197	343	402
डकैती	63	57	48	73	114
हत्या	733	589	647	827	837
बलात्कार	300	396	365	377	363
दहेज	494	541	630	1084	1305

विधान सभा अतारांकित प्रश्न 4 में भाग "ख" के उत्तर की

तालिका

भाग "क" में दर्शाये गये मुकदमों में गिरफ्तार दोशियों तथा जितने मुकदमों सुलझाए गये का विवरण :—

वर्ष	विवरण	लूट	डकैती	हत्या	बलात्कार	दहेज
1995	कुल दर्ज मुकदमें	253	63	733	300	494
	कुल मुकदमें जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए	164	41	555	285	480
	हल किए गए कुल मुकदमें	164	41	555	285	480
1996	कुल दर्ज मुकदमें	245	57	589	396	541
	कुल मुकदमें जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए	162	33	469	310	509
	हल किए गए कुल मुकदमें	162	33	469	310	509
1997	कुल दर्ज मुकदमें	197	42	645	365	630
	कुल मुकदमें जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए	145	33	492	346	494
	हल किए गए कुल मुकदमें	145	33	492	346	494
1998	कुल दर्ज मुकदमें	343	73	827	377	1084

	कुल मुकदमें जिनमें दोशी गिरफ्तार हुए	241	53	634	349	957
	हल किए गए कुल मुकदमें	241	53	634	349	957
1999	कुल दर्ज मुकदमें	402	114	837	363	1305
	कुल मुकदमें जिनमें दोशी गिरफ्तार हुए	256	75	652	360	1137
	हल किए गए कुल मुकदमें	256	75	652	360	1137

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a calling attention motion from Capt. Ajay Singh Yadav, regarding the various Industrial Units of Bhiwadi (Rajasthan) which are discharging chemical water full of poisonous effluents into the Sahibi Nadi in Haryana. I admit it. Now, I request Capt. Ajay Singh to read out his motion (शोर एवं व्यवधान) Capt. Ajay Singh please read out your motion. (शोर एवं व्यवधान) (इस समय सदस्य नारे लगाते रहे) आप अपनी मोशन नहीं पढ़ रहे हैं मैं इसको खत्म करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप क्या चाहते हैं। आप सब अपनी सीटों पर बैठें। (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा नहीं गया)

स्थगन प्रस्ताव / विशेशाधिकार भंग की सूचना

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने आपको 6 काम रोको प्रस्ताव दे रखे हैं पहे उन पर भी बहस होनी चाहिये और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप अपने लोगों पर काबू करें। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप यह बताएं कि हमें भी बोलने का मौका देंगे, मैंने भी आपसे एक निवेदन विशेशाधिकार भंग की सूचना के बारे में किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपका निवेदन मेरे पास आया हुआ है वह विचाराधीन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष: अभी तो कुछ हुआ नहीं हे। आप किस बात पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री जी को किस बात पर बोलने के लिए कहा है। हमने आपके पास 6 काम रोको प्रस्ताव दे रखे हैं पहले आम उन पर चर्चा करवाएं और साथ में हमने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी दे रखा है उस

पर भी चक्र करवाएं। आज प्रदेश में हर डिपार्टमेंट और हर वर्ग में बड़ी बेचैनी है। चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, बैकवर्ड क्लास हो या एस.सी. हो, आज हर वर्ग में सरकार के प्रति असन्तोश है। ये जो 6 प्रस्ताव दे रखे हैं इसमें मेरा भी प्रस्ताव है। पहले आप इन पर बहस करवाएं उसके बाद ही हम किसी और की बात सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना प्रस्ताव कब दिया था।

श्री भजन लाल: सर, कल 2 बज कर 46 मिनट पर दिया था।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिस-अलाउ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडजर्नमेंट मोशन सदन के शुरू होने से एक घंटा पहले दिया जाता है लेकिन आपने कल दिया था इसलिए मैंने उसको डि-अलाउ कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर सर, अगर आपको हमारा यह मोशन डिस-अलाउ ही करना था तो आपको कल ही सेशन खत्म होने के बाद ही हमको इस बारे में बताना चाहिये था। हमने आपकी सेवा में रूल 66 के तहत 6 एडजर्नमेंट मोशन दी हैं लेकिन आपने इनके बारे में भी नहीं बताया है। कल भी लीडर ऑफ दी अपोजीशन अपनी सीट पर खड़े होकर अपनी बात कहना चाह रहे थे लेकिन आपने उनकी बात ही नहीं सुनी। (शोर एवं व्यवधान)

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप पहले इस बारे में अपना फैसला दीजिस कि क्या आपने यह स्पीकर कर लिया है या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इस अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ दीजिए।

श्री भजन लाल: ठीक है, मैं अपने इस अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ देता हूँ।

“अध्यक्ष महोदय, हम हरियाणा विधान सभा के सदस्य जिसमें मैं, कैप्टन अजय सिंह, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, राव इन्द्रजीत सिंह, लक्ष्मण दास अरोड़ा, मांगेराम गुप्ता, बलबीर पाल शाह, ओ. पी. जिंदल, डा. रघुबीर सिंह कादियान, धर्मबीर, राव धर्मपाल, जय प्रकाश, चन्द्र मोहन, राव नरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, जाकिर हुसैन, डा. जे.पी. शर्मा, दान सिंह, जे.एस. मलिक, शादीलाल बत्तरा तथा श्रीमती अनिता यादव हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 65 के तहत श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं ओर आपसे अनुरोध करते हैं कि सदन के सभी अन्य कार्य निलम्बित करते हुए मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करायी जाए।”

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): स्पीकर सर, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है। कल ये जो अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए थे उसको इन्होंने आज पूरा करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन का भी जिक्र किया। स्पीकर सर, इनमें से किसी को भी रूलज के बारे में पता ही नहीं है। इनको इन रूलज के बारे में पता होना चाहिए। इनको यह पता ही नहीं कि जीरो ऑवर कब होता है। कल जब ये आपरचुनिटीज मिस कर गए तो आज ये इस तरह की बात कह रहे हैं लेकिन इनको किसी भी रूलज का पता ही नहीं है, कोई सिस्टम का पता नहीं है। इन्होंने तो केवल अखबारी खबर बनाने के लिए प्रश्न काल में यह सारा तमाशा किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह इनका बात करने का कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता से कहें कि वे अपनी मैम्बर को काबू में रखें। (शोर एवं व्यवधान) ये बाद में जवाब दे दें लेकिन पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। (विघ्न) स्पीकर सर, एज ए पार्लियामेंटरी अफैयर्स मिनिस्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं इनकी बात का जवाब दूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जब पहले ये बोले हैं तो मुझे इनकी बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। असैम्बली किसी एक मैम्बर या किसी एक पार्टी से नहीं चलती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जीरो ऑवर में तो कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं होता। (विघ्न) जो इन्होंने बोला है उसका जवाब देना तो हमारा फर्ज है।

श्री इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप के विश्वास पर हम अपनी सीटों पर आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: मुझे अपनी बात तो कह लेने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठ जाइये। (शोर एवं विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, नो कांफीडेंस मोशन पढ़ दी गई है और मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। We want ruling from the Chair.

प्रो. सम्पत सिंह: I am coming to this. हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है आप मेरी बात तो सुन लें उसके बाद अपनी कहें। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Raghuvir Singh Kadian: I want to speak on a point of personal explanation.

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): रघुबीर कादयान जी, आपके लिए किसी ने प्वायंट आउट नहीं किया है फिर आप किस बात की पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: रघुबीर कादयान जी, आप कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं आप बैठ जाइये। Please take your seat.

Sh. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, it is my humble submission that you are the custodian of the House. You have to protect our rights.

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हर मैम्बर को अपनी बात कहने का अधिकार है आप कादयान साहब की बात सुनिये।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दें, मेरी बात सुन लें (शोर एवं विघ्न) मेरी बात पहले सुन लें उस पर यदि कुछ कहना होगा तो आपके लीडर आफ दि अपोजीशन बोल लेंगे या कोई और बोल लेंगे। मैं आपके विपक्ष के नेता होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी

के मैबर्ज को व्यवस्थित करें। ये सारे बहुत समझदार हैं मैं यह कह रहा था कि जब आप लोग बोलते हैं तो हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसलिए आप मेरी बात सुन लें आपने क्योंकि प्रस्ताव रखा है तो इसके ऊपर मुझे कहने का पूरा हक है इसलिए मैं स्पीकर साहब की इजाजत लेकर बोल रहा हूँ। (शोर एवं विघ्न) आप स्वयं सरकार में रहे हैं जो आपने मोशन दिया है पहले उसके असैपटैंस पर चर्चा होगी। Then it will be decided by the Chair whether it is to be accepted or not?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपका काम ये आपको ही करने दें (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, अभी दो मिनट में रूलिंग आएगी बड़ी अच्छी रूलिंग आएगी (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: मैं जैसा आपको बता रहा था रूलज एंड रैगुलेशंज से असैम्बली चलती है और इसके लिए बाकायदा रूलज आफ प्रौसीजर नामक बुक बनी हुई है हर आदमी का फर्ज बनता है कि उसको पढ़कर आयें और ये पढ़कर आए भी होंगे लेकिन बात यह है कि इनको विपक्ष में रहने का ज्यादा मौका नहीं मिला और इस मौके के न मिलने की वजह से आज सुबह जो क्वेश्चन ऑवर में तमाशा किया गया that was all drama. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइए हुड्डा साहब, आप भी बैठ जाएं। प्रो. साहब की बात खत्म होते ही मैं रूलिंग देता हूँ।

श्री भजन लाल: स्पीकर सर, आपने हमें कहा कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाइये उसके बाद जो प्रस्ताव आया है उस पर आप अपना फैसला देंगे। आपने मुझे अविश्वास का प्रस्ताव मूव करने के लिए कहा मैंने अविश्वास का प्रस्ताव मूव कर दिया। उसके बाद आपकी रूलिंग आनी चाहिए थी, आप अपनी रूलिंग दीजिए। यह सदन का कायदा है।

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, मेरी रूलिंग दो मिनट के बाद आ जायेगी। आप दो मिनट के लिए चौ. सम्पत सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री भजन लाल: स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप बैठिये।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर सर, चौ. भजन लाल जी को विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने में खासा कष्ट हो रहा है (विघ्न) क्योंकि आप तक वे हमेशा जहां मौजूद थ्याई वहीं रहे हैं लेकिन कायदा यह है कि आपने जो रेजोलूशन मूव किया है उस पर चर्चा हो सकती है अगर चौ. भजन लाल जी को इस बारे में पता नहीं तो वे चौ. कर्ण सिंह दलाल जी से पूछ सकते हैं। चर्चा के बाद जो उसकी रूलिंग आयेगी वह सभी

सदस्यों को मान्य होगी। चौ. भजन लाल जी अपनी पार्टी के सदस्यों को कहें कि वे बीच में इंटरुप्ट न करें (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइये। (विघ्न)

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं ऑन प्वायंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: जो कादयान साहब कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये और जो मैम्बर्स बगैर चेयर की परमिशन के बोल रहे हैं उसे भी रिकार्ड न किया जाये।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी आप बैठ जाइये। भजन लाल जी, आप अपने मैम्बर्स को भी बैठने के लिए कहें। पहले चौ. सम्पत सिंह जी बोलेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन विपक्ष के भाइयों को कहें कि जनता में तो इनका प्रदर्शन जैसा है वह सबको पता है कम से कम इस सदन में तो यह ठीक तरह से पेश आये।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के कायदे-कानून की जो बात की है (विघ्न)

(इस समय कइ सदस्य खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने जब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर को बोलने के लिए कहा है तो फिर दूसरे सदस्य बीच में बोल रहे हैं?

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, आप कम से कम फ़ैसला तो ठीक कीजिये।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, हमारी बात तो सुनिये। (विध्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, सारे फ़ैसले ठीक होंगे, गुप्ता जी, आप बैठिये, आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के कायदे कानून की बात की है ****

श्री अध्यक्ष: जो श्री मांगे राम गुप्ता जी बोल रहे हैं और दूसरे मैम्बर बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री रामकुमार कटवाल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: जो कटवाल साहब बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। आप अपनी सीअ पर बैठ जाइये।

श्री इंद्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। (इस समय कांग्रेस पार्टी के काफी सदस्य अध्यक्ष महोदय के सामने वैल में इकट्ठे हो गये) (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह: भजन लाल जी, जब स्पीकर साहब खड़े हों तब तो आप अपने साथियों को बैठने के लिए कहें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मेरी सभी पक्षों से अनुरोध है कि कोई भी मैम्बर चेयर की परमिशन के बिना न खड़ा हो। इसलिए आप सभी बैठ जाएं।

श्री मांगे राम गुप्ता: स्पीकर साहब, आप हमें बोलने के लिए परमिशन नहीं दे रहे लेकिन कटवाल साहब सदन में खड़े होकर कुछ भी अनाप-शानाप बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: रामकुमार कटवाल ने जो भी गलत बात कही है उसको रिकार्ड न करने के आदेश मैंने पहले ही दे दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: स्पीकर साहब, हाउस में ठीक भाशा का तो प्रयोग होना चाहिये। कटवाल साहब खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं, यह ठीक तरीका नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, कटवाल साहब ने जो भी गलत बात कही है उसको रिकार्ड न करने के आदेश जब

आपने पहले ही दे दिये हैं तो ये सभी मैम्बर बार-बार क्यों खड़े होकर बोल रहे हैं? (शोर)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठें और संयम रखें क्योंकि आप भी बोल रहे थे और वे भी बोल रहे थे। सदन की कार्यवाही को ठीक तरह से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दीजिये। हाउस का माहौल शान्त करने के लिए हम सरकार को कोपरेट करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार हमारा साथ दे या न दे यह इनकी मर्जी है। सरकार का रवैय्या फेयर होना चाहिये जोकि मुझे लगता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था कि आप बैठ जाएं उसके बदा में रूलिंग दूंगा लेकिन हम अपनी सीट पर बैठ भी गए फिर भी अभी तक आपने अपनी रूलिंग नहीं दी। कादयान साहब को आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर भी बोलने की इजाजत नहीं दी। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मेरी रूलिंग अभी आने वाली है और जहां तक कादयान साहब की पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात है उनकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात ही नहीं थी। पहले सम्पत सिंह जी को बोलने दें उसके बाद मैं अपनी रूलिंग दूंगा।

प्रो. सम्पत सिंह: विपक्ष के नेता लम्बे अर्से तक ट्रेजरी बेंचिज में रहे हैं, उनके खिलाफ भी नो कांफीडेंस मोशन आया था और जब नो-कांफीडेंस मोशन पढ़ा गया and now it is upto the

Speaker to decide whether it should be accepted or not? उसके लिए भी सरकार अपनी बात कहती है (शोर) पहले मेरी बात सुन लीजिये उसके बाद स्पीकर साहब अपनी रूलिंग देंगे। (शोर) मेरे बोलने से पहले ही ये खड़े हो जाते हैं। स्पीकर सर, हम चाहते हैं कि अपोजीशन स्ट्रॉंग हो। डेमोक्रेसी के अन्दर अपोजीशन का स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है। अगर अपोजीशन स्ट्रॉंग होगी तभी सरकार की बाकायदगियों का पता चलता है। हम चाहते हैं कि अपोजीशन के भाई अगर सरकार को अपना सुजेशन देना चाहते हैं तो वह दें, हम उन्हें एप्रीशियट करेंगे। इसी तरह से विधान सभा के अन्दर भी अपोजीशन अपने जो सुजेशन देना चाहती है या हैल्दी क्रीटिसिजम करना चाहती है वे दें। हम उन्हें रैडीली स्वीकार करेंगे। ऐसा हमने पहले भी किया था और आज भी करेंगे। लेकिन मेरे विपक्ष के भाई हाउस की कार्यवाही को ठीक तरह से चलने ही नहीं दे रहे हैं। प्रश्नकाल विशेषतौर से अपोजीशन के लिए होता है। उसके अन्दर अपोजीशन के भाई जो प्रश्न पूछते हैं सरकार उसका जवाब देती है। इसी तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आते हैं, स्थगन प्रस्ताव भी आते हैं, नो-कांफीडेंस प्रस्ताव भी आते हैं और सरकार इन सभी का जवाब भी देती है, यह सब एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। लेकिन मेरे विपक्ष के भाई तो प्रश्नकाल के अन्दर ही नो-कांफीडेंस मोशन लेकर आ गये। अगर स्पीकर साहब नो-कांफीडेंस मोशन को स्वीकार करेंगे तो सरकार उसका सामना करेगी। स्पीकर सर, मेरे विपक्ष के भाई तो केवल मात्र चीप

पब्लिसिटी ही चाहते हैं और प्रश्नकाल के अन्दर ही शोर मचा दिया। (विघ्न)

श्री इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी, हमें चीप कह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये तो एक तरह से हमें गाली दे रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: राव इन्द्रजीत जी, ये आपको चीप नहीं कह रहे। ये तो चीप पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चर्चा इस बात को लेकर के हो रही थी कि विपक्ष के नेता ने अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ा और उसे स्वीकार करने के बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन मेरे विपक्ष के साथियों ने पता नहीं यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि सरकार इसका सामना नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा राजनीति में चुनौतियां दी हैं और चुनौतियों को स्वीकार भी किया है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) हमें विपक्ष के भाईयों की चुनौती स्वीकार है लेकिन यह फैसला अध्यक्ष महोदय ही करेंगे कि वे अविश्वास प्रस्ताव को एडमिट करते हैं या नहीं और यदि करते हैं तो अभी करेंगे या बिजनैस होने के बाद करेंगे या किसी और दिन करेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो कहा है हम उसे मानते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने आप सभी की बातें सुन ली हैं, अगर 18 मँबर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते हैं तो इसे स्वीकार कर लिया जायेगा। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को मानता हूँ जो इसके पक्ष में हैं वे मँबर अपनी सीटों पर खड़े हो जायें। (इस समय 21 मँबर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए)।

Leave is granted. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय रख देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप फिर मामला उलझा रहे हैं। अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 22 आदमी खड़े हुए हैं। अगर एक-एक आदमी 10-10 मिनट भी बोले तो 220 मिनट बनते हैं और 220 का मतलब है चार घंटे। जबकि आप 1 घंटे का समय कह रहे हैं। उसके बाद उधर से भी कुछ सदस्य बोलेंगे। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि आप हाउस का एक दिन का समय बढ़ा दीजिए। जैसे कल नोन-ओफिशियल डे है उसको आप ओफिशियल डे में बदल करके सेशन तीन दिन का कर दीजिए। यह मेरी आपसे राय है ताकि सब को बोलने का मौका मिल सके।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह मैं पहले कह चुका हूँ कि चर्चा आज होगी और विश्वास प्रस्ताव का फैसला आज ही होगा। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए आप समय तय कर दें

और यह भी तय कर दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बाकी बिजनैस के बाद होगी या बिजनैस से पहले होगी। (शोर)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कायदा यह होता है कि सरकार को विश्वास पहले लेना चाहिये (शोर) उसके बाद आगे की कार्यवाही होनी चाहिये। यह हमेशा होता रहा है।

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप बैठिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे अलॉट किये जाते हैं और आज के बिजनैस के बाद लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। (शोर)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार विश्वास तो पहले ले।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं ओफिशियल बिजनैस के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। (शोर) भजन लाल जी, अभी तो आप कल की बात कर रहे थे कि नो-कोंफिडेंस मोशन कल को लें (शोर) आप किसी चीज को तो मानें। (शोर) आज ही नो-कांफीडेंस मोशन पर चर्चा होगी।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रोपोजल और रखता हूँ। डेमोक्रेसी में गिनती सिरों की होती है, बहस की आवश्यकता ही नहीं है। अभी हाथ खड़े करवा दो, सबको पता चल जाएगा। बहस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हाउस की कीमती समय खराब किया जाए। (शोर)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इनको बताएं कि इनकी कितनी बदनामी हो रही है।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हाउस छोड़कर भागेंगे। (शोर) इनसे कहें कि ये हाउस का बहुमूल्य समय खराब करने की कोशिश न करें। अविश्वास प्रस्ताव देकर भी ये भागने का प्रयास कर रहे हैं। बकायदगी से इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करवाई जाएगी। 90 के 90 सदस्यों को इस मोशन पर बोलने के लिए कितना कितना समय मिलेगा यह स्पीकर साहब ने तय करना है।

श्री भजन लाल: चार घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: जितना भी समय तक होगा वह स्पीकर साहब ने तय करना है, आप लोगों ने थोड़ी तय करना है।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, दो घंटे का समय फिकस किया जाता है (शोर) प्रोपोर्शनेट टू दी स्ट्रेंग्थ बोलने का समय मिलेगा।

श्री भजन लाल: नहीं—नहीं दो घंटे का समय नहीं होगा। दो घंटे का समय बहुत कम है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आज का बिजनैस पूरा होने के बाद दो घंटे का समय फिक्स किया जाता है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हमें अध्यक्ष महोदय की रूलिंग मन्जूर है। (शोर)

श्री इंद्रजीत सिंह: स्पीकर महोदय, मुझे बोलने का मौका दें, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। (शोर) स्पीकर सर, मैं नो—कांफीडेंस मोशन से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे टाइम दें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, ये तो सीनियर पार्लियामैंटेरियन हैं। आपकी रूलिंग के बाद अब ये क्या बोलेंगे। अब तो ये नो—कांफीडेंस मोशन पर बोलें, वो भी तब जब इनकी पार्टी इनको बोलने का समय दे।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move -

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is –

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखा गया कागज-पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay the papers on the table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the table –

The 32nd Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1998-99 (upto 14-8-98), as required under Section 69(5) (a) of the Electricity (Supply) Act, 1948 –

(i) दि हरियाणा विधान कार्य पंचायती राज सैकिंड अमैंडमैंट बिल,
2000

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.
(Interruptions)

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

वाक आउट

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात ही नहीं सुनते और अविश्वास प्रस्ताव पर अभी चर्चा नहीं करते तो हम एज.ए. प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं। (शोर एवं विघ्न)

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2000
(पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the Bill at Sr. No. 3 of the List of Business is taken up first and the Bill at Sr. No. 2 will be taken thereafter.

(ii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकिंड अमेंडमेंट) बिल,
2000

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill 2000 and will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2000/— प्रस्तुत करता हूँ।

में यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि -

दि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ****

Mr. Speaker: Nothing to be recorded whatever has been spoken by Mr. Dalal.

श्री कर्ण सिंह दलाल: आपने मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए कहा था। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ****

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये, कृष्ण पाल जी आप बोलिए।

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, जो नगरपालिका संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस बारे में मेरा सुझाव है कि इस बिल के संशोधन के तहत जुर्माने की राशि जो दो गुणा से 10 गुणा की गई है उसको कम किया जाये। यह संशोधन लोकहित में नहीं है। इस संशोधन के तहत ढाबे वाले से

लेकर रिक्शा वाले तक सभी पर टैक्स लगा दिए गए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो टैक्सज लगाये गए हैं उन्हें सरकार वापस ले क्योंकि ये टैक्सज जनहित में नहीं हैं। इस टैक्सज पर मैं विरोध प्रकट करता हूँ और मेरा पुनः सरकार को सुझाव है कि सरकार इन बढ़ाये हुए टैक्सज को वापस ले। (शोरर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: ****

प्रो. सम्पत सिंह: आदरणीय स्पीकर साहब, आप इनको बैठने के लिए कहें। आप पहले इनको बैठाये। आप पहले भी कह चुके हैं कि जो ये बोलें वह रिकार्ड न किया जाये। आपकी तरफ से जब रूलिंग आ गई तो फिर इनके बोलने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता। जो नगरपालिका बिल पेश हुआ है उस पर तो ये बोल सकते हैं। इस बिल पर भी पहले आपने बी.जे.पी. के लीडर कृष्ण पाल जी को बोलने के लिए कहा हुआ है। अब जो ये बोल रहे हैं यह कोई जीरो आवर तो है नहीं। ये इस तरह की अनर्गल बातें करें तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ****

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाएं। जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। कृष्ण पाल बोलेंगे।

Sh. Bansi Lal: Either he should sit down or he should speak at a proper time.

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जायें। Mr. Dalal please take your seat.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ****

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जायें आप बिल पर बोल लेना।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ****

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, बीच में बार-बार बोलने की आपकी पुरानी आदत है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) आपको अगर कुछ बोलना होता है तो आप कोई कन्स्ट्रक्टिव बात कीजिए। (विघ्न) आप तो स्टेज पर जा कर बोलें तो आपके लिए बेहतर होगा (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, आप इनको चुन कराइये। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, अब आप अपनी सीट पर बैठिए। अब आपका बोलने का समय नहीं है (विघ्न) दलाल साहब, विशेषाधिकार भंग का मैटर अंडर कंसिड्रेशन है, इसलिए अब आप बैठें। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि अपोजीशन पार्टीज अपना कोई रोल अदा नहीं करना चाहती हैं। अपोजीशन की सारी पार्टीज के हालात कल से देख रहे हैं, चाहे अपोजीशन की कांग्रेस पार्टी है या दूसरी अपोजीशन की पार्टीज हैं इनका रोल और व्यवहार लगभग एक जैसा ही है। अब चौ. बंसी लाल जी कह रहे हैं कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं और बात सुनना चाहते हैं। आप दलाल साहब को इन आर्डर करें। अपोजीशन पार्टीज के जो दो-चार मैम्बरज बैठे हैं उनको छोड़कर बाकी पार्टीज चाहे वह कांग्रेस पार्टी थी या दूसरी पार्टीज थी उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। ये लोग कोई टाइम नहीं देखते। हर चीज का और हर बात कहने का टाइम होता है। हर प्रस्ताव रखने का टाइम होता है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के समय इनका रवैया ठीक नहीं था। उन लोगों ने प्रश्नकाल में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इनकी तरफ से कई प्रश्न आए लेकिन कोई भी प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा। पार्लियामैंटरी प्रोसीजर में ये लोग बिलीव नहीं करते और टाइम बेटाईम बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। दलाल साहब का यह बोलने का टाइम नहीं है ये बेमतलब ही खड़े हो जाते हैं। ये केवल मात्र अपनी हाजिरी दर्ज करने के लिए ऐसा व्यवहार करते रहते हैं और बाहर अखबारों में भी कई तरह के ब्यान देते रहते हैं और यहां पर असैम्बली में भी इसी प्रकार की बात करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हें पता होना चाहिए कि असैम्बली रूलज तथा प्रोसीजर से गवर्न की जाती है न कि किसी आदमी के पर्सनल व्यू से गवर्न की जाती है। ये

सारे हाउस का टाईम बर्बाद कर रहे हैं। एक पूरा आवर कांग्रेस पार्टी ने खामखाह बर्बाद कर दिया। बाहर तो ब्यान देते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे, पार्टी ने खामखाह बर्बाद कर दिया। बाहर तो ब्यान देते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे, पार्टी यह मुद्दे उठाएगी लेकिन यहां पर आ कर इनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी, उठाने के लिए कोई मुद्दा था नहीं इसलिए वे लोग वाक आउट करके चले गए, रादर बॉयकॉट करके चले गए। मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया था और कहा था कि हमें चैलेंज देने और लेने की आदत है और हम चैलेज एक्सैप्ट करते हैं। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता कुछ कहने की हिम्मत होती तो वे लोग सरकार के खिलाफ कोई बात कहते, उसके बाद वोट करते तो उनको अपनी औकात का पता चल जाता और यह बात क्लीयर हो जाती कि उनके साथ कितने मैम्बरज हैं। सरकार को छः महीने में हटा देंगे, सरकार को दो महीने में गिरा देंगे ऐसा प्रचार से लोग बाहर करते रहते हैं और इन्ही चीजों का शिकार चौ. कर्ण सिंह दलाल जी हैं। ये डायरैक्टली तो उनके साथ नहीं हैं लेकिन इनडायरैक्टली रूप से उनके साथ जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको बार-बार सस्पेंड होने की आदत है इसलिए मैं आपसे इतनी अपील जरूर करूंगा कि आप इनको आप सस्पेंड न करें लेकिन इनको इन आर्डर जरूर करें। इस प्रकार से पब्लिसिटी लेने की इनकी आदत है। इसके साथ ही मैं यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर यह हाउस इन-आर्डर चले। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत बहुमूल्य है,

सैशन की कार्यवाही पर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है और यह पैसा पब्लिक एक्सचेंजर में से खर्च हो रहा है। लोगों का पैसा खर्च हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि विधान सभा के अन्दर कौन से बिल पारित होंगे, क्या सुझाव नेता लोग देंगे। बी.जे.पी. के लीडर कुछ सुझाव दे रहे थे और अपनी बात कह रहे थे, जनता की बात कह रहे थे। कोई भी बात सरकार की समझ में आ जाए तो सरकार उसको मान सकती है। हो सकता है कोई बात या सुझाव बाद में सरकार कंसीडर कर ले। चौं. बंसी लाल जी बैठे हैं यह भी कोई अच्छा सुझाव दे सकते हैं। सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने आपसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप इनको पूरा मौका दें। इसके बावजूद भी ये बेमौका और बेमतलब खड़े हो गये और अपनी कोई पुरानी बात छेड़ दी। आपको याद होगा कि इनका वजब टाइम था, उस वक्त तो यह आपके पास टेबल के पास खड़े थे। जब टाइम निकल गया तो अपनी बात को उठाते की कोशिश कर रहे हैं। हाउस की कार्यवाही रूल्ज के हिसाब से चलाई जाए, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न) कृष्ण पाल जी आप अपनी बात कहें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, आप पहले दलाल साहब को चुप कराइये। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (चौ. ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर सर, मेरी एक सबमिशन है। श्री कर्ण सिंह दलाल का फैसला हमारे सदन के सबसे सम्मानित और सबसे ऐजड मैम्बर चौ. बंसी लाल जी पर ही छोड़ देते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप अपनी सीट पर बैठिए (विघ्न) कृष्ण पाल जी, आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, आप पहले इनको चुप तो करवाईये ताकि मैं जो बात बोलूँ वह सुनाई दे सके। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए इनका तो ऐसे ही चलेगा। (विघ्न) मैं इनको हाउस से निकालना नहीं चाहता। (विघ्न) दलाल साहब आपको कोई गाली नहीं दी गई है। कोई गलत बात आपको नहीं कही गई है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। आपने गलत तरीका क्यों अपना रखा है (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, **** (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष के बारे में यह कहना कि आप जैसे कई आए और आकर चले गए। आप हमारे कस्टोडियन हैं आपके खिलाफ इस तरह की बात ये कहेंगे तो हमें यह बर्दाश्त नहीं होगी। यह गलत बात कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात का जवाब दें। मेरे विशेषाधिकार भंग के नोटिस का क्या बना?

श्री अध्यक्ष: यह मैटर अन्डर कंसिडरेशन है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। कृष्ण पाल जी आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह दलाल जो भी अब बोलें वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: ****

श्री अध्यक्ष: कृष्ण पाल जी आप बोलें।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार की सहयोगी पार्टी का सदस्य हूँ। (शोर एवं व्यवधान) जहां पर सरकार की कोई अच्छी नीति होगी मैं उसका समर्थन करूंगा, यह मेरा फर्ज है और जहां पर सरकार की कोई नीति होगी जो जनहित में नहीं होगी तो उसके खिलाफ बोलना भी मेरा फर्ज है। (शोर एवं व्यवधान) यह जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसमें 1973 के मूल अधिनियम की धारा 129 की उप धारा (3) में, 100 रूपए, 1000 रूपए तथा 100 रूपए शब्दों के स्थान पर, क्रमशः 2000, 10000 और 1000 रूपये शब्द रखे जाएंगे। मूल अधिनियम की धारा 130 की उप धारा (2) में, 25, 200, 50 रूपए शब्दों के स्थान पर क्रमशः 250, 2000 और 100 रूपए शब्द रखे जायेंगे। इसी तरह मूल अधिनियम की धारा 131 की उप धारा (2)

में 50, 500 और 50 रूपए शब्दों के स्थान पर क्रमशः 500, 50 और 500 रूपए शब्द रखे जाएंगे। इसी तरह से 1973 के अधिनियम 24 की धारा 131 की उप धारा (2) में 25, 200 और 10 रूपए शब्दों के स्थान पर क्रमशः 200, 2000 और 100 रूपए शब्द रखें जाएंगे। इसी तरह से अनेक धाराएं हैं अगर मैं उनको पढ़ने लगूंगा तो मामला काफी लम्बा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन सब धाराओं में यह जो पैनल्टी रखी गई है इसको कम किया जाए यह मेरा सरकार को एक सुझाव है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: मेरा एक विशेषाधिकार का मामला भी आपके पास है। ****

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आप अपनी सभ्यता से बाहर जा रहे हैं। आपको बोलना ही नहीं आता है आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका मामला अन्डर कंसिडरेशन है। (शोर एवं व्यवधान) यह मेरी जिम्मेदारी है आपको इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सदन की कार्यवाही चलने दें। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जो यह बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, आप मेरी बात सुन लें। आप बताएं कि आप मेरे नोटिस का जवाब देंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपका नोटिस रूल के तहत एग्जामिन किया जाएगा। अब आप बैठें।

श्री कृष्ण पाल: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि आज जो यहां पर हरियाण नगरपालिका संशोधन विधेयक (द्वितीय) रखा गया है उसमें जुर्माने की राशि दुगुनी से लेकर 25 गुना तब बढ़ा दी गयी है जोकि जनहित में नहीं है इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर इस बारे में सदन की एक कमेटी बनायी जाए जो इस बिल पर पुनर्विचार करे तो यह हरियाणा की जनता और सरकार के लिए अच्छा रहेगा। सरकार ने नगरों और महानगरों में प्रोफेशनल टैक्स, टोकल टैक्स तो लगाए ही हैं लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरे तरह के टैक्सज लगा दिए गए हैं जो मैं समझता हूं कि जनहित में नहीं हैं इसलिए इन पर पुनर्विचार होना चाहिए। इन टैक्सों को लगाने के बाद परचून की दुकान लगाने वो से लेकर रेहड़ी वाले तक सभी पर इनका भार पड़ा है किसी को भी सरकार ने नहीं छोड़ा है। सौ रूपये, एक हजार रूपये, 1500 रूपये एवं 2500 रूपये के सालाना टैक्स लगा दिए गए हैं इससे लोगों में भीर जन आक्रोश है। मेरा यह फर्ज है कि मैं आपके माध्यम से जन भावनाएं सरकार के सामने रखूं। एक बार चन्द्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि राजा का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है तो चाणक्य ने उसको बताया कि राजा का मित्र वही होता है कि जो जन भावनाएं राजा तक पहुंचाए। इसलिए टैक्सों को लगाने के बाद जो जन भावनाएं भड़क रही हैं उनके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस बिल पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह बिल अभी पास नहीं करवाना चाहिए। अगर यह बिल पास करवाने की कोशिश की

जाती है तो इस पर हमारी पार्टी का विरोध दर्ज किया जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल जी ने जो बातें इस बिल के बारे में कही हैं वह बिल्कुल सही बातें हैं। आज टैक्सों की भरमार हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार ने म्यूनिसिपल एरियाज में ड्राईविंग लाईसैंस बनवाने पर सौ रूपये म्यूनिसिपलटी टैक्स लगा दिया और जैसा अभी गुर्जर साहब ने बताया कि प्रोफेशनल टैक्स एक हजार रूपये, 1500 रूपये और 2500 रूपये भी लगा दिए। इसके अलावा व्हीकल्ज टैक्स भी लगा दिया गया और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि म्यूनिसिपल लिमिट में जो बिजली की कंजमप्शन पर एक पैसा यूनिट म्यूनिसिपल टैक्स लगाने थे उसको बढ़ाकर मौजूदा सरकार ने चार पैसे कर दिया। इसी से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़ जैसे एक ही कम्लैक्स हैं, तथा हिसार, गुड़गांव, सोनीपत और यमुनानगर जहां पर इंडस्ट्रियल टाउन्ज हैं उनमें कितना पैसा बनेगा एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, जो बैकवर्ड हरिजन आदमी मुश्किल से एक कमरा बनाकर रहता है उस पर भी यह एक पैसे के बजाए पांच पैसे टैक्स के हो गये। अब वह गरीब आदमी कहां जाए इतने टैक्स लगाने के बाद सरकार को यह टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी और अगर ये टैक्स बढ़ते भी हैं तो आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम शिडयूल्ड कास्टस एवं बैकवर्ड

क्लासिज के लोगों को तो सरकार को इन टैक्सिज से छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे गरीब आदमी होते हैं ओर गली मौहल्लों में रहते हैं। (विघ्न) हमने तो कोई टैक्स नहीं लगाया था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि जो प्रेजेंट लैंड वैल्यू है और अगर मकान आज बनाओ तो उस पर कितनी लागत आए। उस पर दस परसेंट डिडैक्शन दे दी और उसके हिसास से टैक्स लगेगा। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इसमें लोग गलत समझ रहे हैं तो सरकार उसको ठीक करें, उस गलतफहमी को सरकार ठीक कर दे। अगर किसी के बाप-दादा दो-दो चार-चार मंजिल की हवेलियां बनाकर चले गए और उनके बच्चे गरीब हैं या मालिक बाहर रहते हैं या किसी के मां-बाप बैठे हैं उनको 10-10 रूपये महीना किराया मिलता है तो वे कहां से इतना टैक्स देंगे? यह अनॉमली बहुत बड़ी है इसको ठीक किया जाए। मैं टैक्स लगाने के खिलाफ नहीं हूँ हर फ़ैसिलिटी हम मुफ्त में नहीं दे सकते मुफ्त में फ़ैसिलिटी दे देकर हम थक गए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हाउस टैक्स का इवैल्यूएशन ठीक होना चाहिये। (इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय अब मैं हलवाईयों पर टैक्स के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हलवाईयों पर जो टैक्स लगाया गया है वह एक हिसाब से नाजायज है क्योंकि हलवाई, आटा, मैदा, दूध, दाल, घी आदि खरीदकर लाता है और उसके ऊपर सेल्ज टैक्स देता है और मजदूरी करके उसे थोड़ा बहुत ठीक करके आगे बेचता है वह तो गरीब आदमी है सुबह से शाम तक लगा रहता है फिर भी पेट नहीं

भर पाता है इसलिए हलवाई पर लगाया गया टैक्स नाजायज है। टैक्सों के बगैर सरकार का काम नहीं चलता लेकिन ये टैक्स इतने लग गए कि इतने टैक्सों के बाद गुजारा कैसे हो, कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स न हो, शहरों में पब्लिक पर जो बिजली पर सैस लगाया है वह ज्यादा है वह एक पैसा ही रहना चाहिये और शिडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज को इससे माफ करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाइए। चन्द्र भाटिया जी आप बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का हक है। चन्द्र भाटिया के बाद आप मुझे मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष: अभी से आप मेरे से सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अभी मेरे से पहले कुछ जो टैक्स बढ़ाए गए उसके ऊपर भाई कृष्णपाल गुर्जर और चौ. बंसी लाल जी बोले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से अपने विपक्ष के साथी जो कि इस समय अपनी बेंचों पर नहीं हैं कुद साथी बैठे हैं काफी समय से अपनी बातों

को कह रहे हैं। लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है कि काफी पुराने साथी जो कई बार इस विधान सभा के अन्दर चुनकर आये हैं वे भी सदन को गुमराह करने वाली बात कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के साथी जो इस समय सदन में बैठे नहीं हैं उनकी सिकी समय सरकार हुआ करती थी और विपक्ष के नेता उस सरकार के मुखिया होते थे। मैं उन विपक्ष के साथियों से कहनाप चाहूंगा कि वे सदन में आयें और अपने हल्के की बात और अपने सुझाव सदन के सामने रखें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी फरीदाबाद की जनता ने दूसरी बार चुनकर इस विधानसभा में भेजा है। हमने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखते थे उस समय कांग्रेस पार्टी की हुकुमत इस प्रदेश में थी। जब मैं पहली बार विधायक बना तो उस समय भी मैंने अपने क्षेत्र के लोगों की बात सरकार के सामने रखी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बात को अनदेखा किया जाता था और हमें अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को इस सदन के सामने रखने से रोक दिया जाता था और बीच में ही बैठा दिया जाता था और हमें अपनी बात को कहने नहीं दिया जाता था। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है। चौं. बंसी लाल जी हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं हम उनका सम्मान भी करते हैं। कुछ बातें ऐसे लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। उपाध्यक्ष महोदय, आज गरीबों के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात की जाती है, झुग्गी-झोपड़ी में रहने

वालों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जाती है। यह ठीक है कि हमारा व्यक्तिगत सुझाव देने का फर्ज बनता है हम अपनी बात को सदन में रख सकते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया इस समय सदन में नहीं बैठे हैं। पहले चौ. भजन लाल जी की सरकार रही और उसके बाद चौ. बंसी लाल जी की सरकार रही है। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय गरीब लोगों पर, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता था उन पर अत्याचार किए जाते थे और आज अपनी बात कहने की बजाए सिर्फ पत्रकार भाइयों के सामने अपनी फोटो खिंचवाने के लिए इस सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना और सदन के बीचों-बीच खड़े होकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उन साथियों ने अपनी बात कहनी ही थी तो वे अपने स्थान पर खड़े होकर भी अपनी बात को कह सकते थे। जो भी बात उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहनी थी वे इस सदन में कह सकते थे लेकिन उनके पास कहने-सुनने को कोई शब्द नहीं थे। क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार के समय गरीब लोगों पर अत्याचार किए थे, उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं विधायक नहीं था उस समय की बात है उस समय गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाये जाते थे उन पर अत्याचार किए जाते थे, और आज वे लोग गरीब लोगों की भलाई की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं विधायक बना हमारे बीच चौ. बंसी लाल जी बैठे हैं वे हमारे बुजुर्ग हैं उम्र में हमारे से काफी बड़े हैं उस समय इनकी सरकार थी तो मेरे हल्के

फरीदाबाद में जो स्लम एरिया था उन स्लम बस्तियों को बनाने के लिए एक करोड़ रूपया मंजूर पड़ा था हमने चौ. बंसी लाल जी से कई बार कहा कि चौ. साहब आप इन गरीब लोगों की स्लम बस्तियों का काम बन्द मत करिये। उस समय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी हमारे साथ थे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय लोकल बॉडीज का महका भी हमारी पार्टी के मंत्री के पास था लेकिन उनके पास कोई काम करने की पावर नहीं थी। हमने लोकल बॉडीज के मिनिस्टर से इस बारे में बात की और उन्होंने उस समय चौ. बंसी लाल से दो बार बात की लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलने वाली ग्रांट को खोला नहीं गया। मैंने माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने यह बात रखी तो उन्होंने आदेश दिया कि हम गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने नहीं देंगे और कहा कि हम इस ग्रांट को चालू करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो आदेश दिए थे उन आदेशों के अनुसार नगर निगम के कमिश्नरज ने एक रिपोर्ट बनाकर यहां चण्डीगढ़ में भेजी है कि स्लम बस्तियों की ग्रांट को चालू करवाया जाए। मैं मुख्यमंत्री चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी से कहना चाहूंगा कि जो यह फाइल चण्डीगढ़ में आई है उसमें कमिश्नरज ने लिखा है कि केन्द्र सरकार से स्लम बस्तियों के लिए 37 लाख रूपये आए हुए हैं, इसलिए इस ग्रांट को खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद से दो बार विधायक चुनकर आया हूँ और मुझे लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। हमने हमेशा लोगों के दुःख तकलीफों को यहां सदन में कहा है। मैं यहां दूसरी बारी चुनकर आया हूँ और मैं जब यहां पर पुराने सुलझे हुए साथियों से इस प्रकार की बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है। उपाध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी काफी बुजुर्ग हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने साढ़े 3 साल के समय में हमारी पौने 3 साल तक कही गई बात को नहीं सुना।

श्री बंसी लाल: स्पीकर सर, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: बंसीलाल जी, आप बैठ जाएं, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा।

श्री चन्द्र भाटिया: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे काफी समय के बाद बोलने का मौका दिया गया है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे जल्दी बैठाने की कोशिश न करें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को देखकर दुःख होता है कि यहां हाउस में सुलझे हुए साथी बैठे हैं उनमें से कुछ मुख्यमंत्री के पद पर चुके हैं और कुछ मिनिस्टर के पदों पर रह चुके हैं लेकिन उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं करवाया। जब माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी जनहित के काम करने लगे तो ये उनका विरोध कर

रहे हैं। विपक्ष के नेता यह नहीं बता सकते कि उन्होंने अपने समय में हरियाणा के लिए कोई जनहित का काम किया हो तो विपक्ष के साथियों को फर्ज बनता था कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के लिए उनकी सराहना करते। अभी विपक्ष के नेता चौ. भजन लाल जी कह रहे थे तो अब यहां बैठे हुए नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जो यहां बैठे नहीं हैं उनको नाम न लिया जाए। (शोर)

श्री चन्द्र भाटिया: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बार लोगों ने चुनकार यहां हाउस में आने का मौका दिया है और मैं यहां हमेशा इन साथियों के मुंह से सेशन में एक बात सुनता हूं कि अगले 6 महीनों में आपकी रड़क निकाल देंगे लेकिन अभी तक इनकी रड़क नहीं निकली। पिछली सरकार में विपक्ष के नेता को हमेशा लगी रहती थी कि किसी तरीके से उस वाली कुर्सी पर बैठें। चौ. बंसीलाल को विपक्ष के कांग्रेस के साथी लगातार गालियां दिया करते थे, ये उनको अन्दर हाउस में भी गालियां दिया करते थे और बाहर भी गालियां दिया करते थे। जब कांग्रेस के साथियों ने देखा कि बी.जे.पी. ने बंसीलाल से समर्थन वापिस ले लिया है तो एक मिनट में ये बंसीलाल की सरकार के पुल बांधने लगे क्योंकि उनको लगा कि अब कुर्सी हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन कुर्सी उनके हाथ में नहीं आई और लोगों ने चौ. ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। उस

समय इन कांग्रेस के भाइयों ने कहा कि 6 महीने में चुनाव आने दो तब आपको मालूम हो जाएगा। 6 महीने बाद चुनाव को समय आया और हरियाणा की जनता ने चौटाला साहब को यहां पर मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज फिर 6 महीने का समय हो गया है और विपक्ष के भाइयों के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है और आज भी कहते हैं कि 6 महीने और निकाल दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 6 महीने बाद जब रोड़ी का उप-चुनाव हुआ तो उसमें भाई अभय सिंह चौटाला पहले से अधिक वोटों से जीत कर आये। इससे पता लगता है कि जनता के अन्दर चौटाला साहब की सरकार की पकड़ मजबूत है अगर ऐसा नहीं होता तो भाई अभय सिंह चौटाला जी रिकार्ड वोटों से जीतकर न आते। मेरे विपक्ष के भाइयों को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने कभी भी जनता के सामने जाकर बात नहीं की। अभी चौटाला साहब हमारे वहां फरीदाबाद में आये थे और लोग इनके मिल सकते थे और एक ऐसा भी समय था चौ. बंसीलाल जी के वक्त में कि ये मंत्रियों से भी नहीं मिलते थे जनता से मिलता तो दूर की बात है। (विधन) उस समय हमारी क्या स्थिति होती थी यह हमें पता है।

श्री बंसीलाल: उपाध्यक्ष महोदय, भाटिया जी तो मेरी गाड़ी में ही बैठे रहते थे और ये मिलने की बात कर रहे हैं यह तो बहुत गलत बात है। मैंने तो इसे बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी से उतारा था।

श्री चन्द्र भाटिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन साल तक अपनी बात बड़ी मजबूती से कहता रहा हूँ तब जाकर गाड़ी में बैठा था। मुझे गाड़ी में बैठने का शौक नहीं है। चौ. बंसीलाल जी से अपने हल्के की जनता की मुश्किलों का हल कराने के लिए मिलना पड़ता था इसलिए इनकी गाड़ी में बैठना पड़ता था, वैसे तो ये मिलते नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश का आम आदमी मुख्यमंत्री चौ. साहब से सीधा मिल सकता है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत बेचैन है, बेचैन जनता नहीं बल्कि मेरे विपक्ष के साथी हैं क्योंकि चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांवों में जाकर लोगों के कार्य किये हैं। जहां पर कमरे बनाने की जरूरत थी वहां पैसे देकर कमरे बनवाये, जहां नालियों को पक्का करना था, वहां नालियां पक्की करवाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों ने जो भी डिमांड मुख्यमंत्री जी के सामने रखी उनको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया और इसीलिए मेरे विपक्ष के साथी बेचैन हैं कि सरकार सभी तरफ विकास के कार्य कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक विपक्ष के साथी जो इस समय हाउस में बैठे नहीं हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय, उनके हल्के में गये थे और वहां पर घोशणा की थी कि अस्पताल बनाया जायेगा तो इस तरह की कोई भी घोशणा नहीं की और मुख्यमंत्री जी ने माननीय साथी को कहा कि नहीं की तो अब कर दो कि वहां पर अस्पताल बना दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अस्पताल पर 5 या 10 लाख रुपये का

खर्चा आयेगा लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने घोशणा ही नहीं कि तो वे अस्पताल कैसे बनवा दें। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रूपये की घोशणाएं की थी उन पर काम चल रहा है और जल्दी ही पूरा होने वाला है। जिस समय चौटाला साहब ने घोशणा की थी उस समय विपक्ष के भाई कहते थे कि इतना पैसा कहां से आयेगा। चौटाला साहब जो भी घोशणाएं कर रहे हैं इनमें से एक भी पूरी नहीं होगी, ये सब झूठी हैं। आज उन सब पर काम पूरा होने वाला है तो विपक्ष के भाई इस पर भी एतराज कर रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आया। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाईयों का काम पूरा हो तब भी तकलीफ होती है और न हो तब भी तकलीफ होती है। चौ. साहब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2 अक्टूबर से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि इस बार सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत करें क्योंकि लोग बड़ी बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं कि कब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी हमारे हल्के में आएं और हम उनसे सीधे मिलकर अपनी समस्याएं बता सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, फार्म 38 के सम्बन्ध में, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी बार-बार अखबारों के माध्यम से शोर करते रहते हैं और बाजार बन्द कराने की बात करते हैं कि फार्म 38 गलत लगाया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो वे मेरे साथ बैठकर बात कर लें लेकिन लोगों को बैठकर बात करने की फुर्सत ही नहीं है। विपक्ष के साथी सदन में

आते वक्त मेरे से कह रहे थे कि वे फार्म 38 की बात सदन में रखेंगे और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी बात नहीं मानी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, कल से सदन चल रहा है लेकिन विपक्ष के किसी भी साथी ने फार्म 38 की बात नहीं उठाई। ये लोग अखबारों के माध्यम से शोर मचा कर लोगों को गुमराह करते हैं और इन्होंने बाजार बन्द कराने पर भी जोर लगाया लेकिन अधिकतर जगह बाजार खुले रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार कहा कि वे इस सम्बन्ध में मेरे साथ बैठकर बातचीत कर लें अगर विपक्ष के साथियों को व्यापारियों या किसानों के प्रति कोई चिन्ता होती तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर बात कर सकते थे इन्होंने ऐसा नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले समय के अन्दर हरियाणा की जनता इन लोगों को बख्शोगी नहीं। आज विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे कि आपकी सरकार हम चलने नहीं देंगे। यह इनकी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि हरियाणा की जनता के पास जाकर बात करने की इन लोगों में हिम्मत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनकर इस सदन में भेजा है और यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी और इसके बाद आने वाले समय में भी विपक्ष के साथियों का मौका लगने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: भाटिया जी, आप कनक्लूड करें।

श्री चन्द्र भाटिया: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दे दें क्योंकि पहले कभी मुझे बोलने का पूरा मौका

नहीं मिला है। बहुत समय के बाद बोलने का मौका मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे विपक्ष के साथियों को भी इन कामों की प्रशंसा करनी चाहिये अगर कहीं कोई कमी यह गलती नजर आती है तो उसके बारे में सरकार को बतायें। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने गरीब लोगों के लिए पेंशन 100 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये कर दी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो चुंगी समाप्त करने की बात है, चौ. बंसीलाल की सरकार में हम कहते रहते थे कि चुंगी समाप्त की जाए लेकिन इनका यही जवाब होता था कि चुंगी माफ नहीं करेंगे। आज चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने चुंगी माफी के वायदे को पूरा किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कल से यह सदन चल रहा है और पिछली बार भी सदन चल रहा था तो उस वक्त पुलिस की भर्ती चल रही थी और मैंने उठकर कुछ शब्द कहे तो मेरे साथी उछल पड़े और कहने लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। उस समय हमें बिठा दिया गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की भर्ती में पैसे लिए जाने सम्बन्धी बात थी उस समय जिन जवानों की भर्ती हुई उनकी रिपोर्ट निकाल लें तो कई ऐसे जवान होंगे जिनकी या तो हाईट पूरी नहीं थी या तो फिर छाती पूरी नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बार भी पुलिस

की भर्ती हो रही है और कल से आज तक किसी ने भी पुलिस की भर्ती के संबंध में कोई बात नहीं कही। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग इसीलिए कोई बात नहीं कह सके क्योंकि पुलिस की भर्ती निष्पक्ष हो रही है और कोई भी आदमी इसे गलत नहीं मानता। कोई इक्का दुक्का आदमी वैसे ही कुछ बोल दे तो वह अलग बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कह कर एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने दो बार मुझे चुनकर इस सदन में भेजा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उससे किसी भी साथी को दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका सामना मुझे करना पड़ रहा है। जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें बनाये गए थे और जब मैं विधायक बन गया तब भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें बनाये गये लेकिन उनमें से काफी मुकदमें कोर्ट ने खारिज कर दिये हैं कुछ मुकदमें चल रहे हैं। मेरे खिलाफ कुछ मुकदमें ऐसे भी बनाए गए जे सी.बी.आई. को भेजे गए जो आज भी चल रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं उन मुकदमों में साफ होकर निकलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से पहले जिस आदमी ने प्रदेश की सत्ता सम्भाली थी उसने प्रदेश के गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा उस समय उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए, लोगों पर टैक्स लगाए। उस समय उनके हाथ में कलक की ताकत थी फिर भी उन्होंने गरीब लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए काम नहीं करेंगे,

जिन लोगों ने हमें चुनकर हमारे हाथ में ताकत दी है तो उनके हितों के काम कब करेंगे। जब फिर चुनाव होंगे और हम उनके सामने वोट मांगने जाएंगे तो उस समय अगर हम विपक्ष के भाईयों की तरह बात करेंगे तो हमारी लिए वह बात अच्छी नहीं होगी। हमें हर बात सच्ची कहनी चाहिये। मेरे क्षेत्र फरीदाबाद के अन्दर चुनावों के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी गांवों की टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत करवाई है ओर फरीदाबाद शहर की टूटी हुई सड़कों की भी मुरम्मत करवाई है। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाया है क्योंकि बीच में बरसात का मौसम आ गया जिसके कारण सड़कों की रिपेयर का काम बीच में रूक गया। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बरसात के बाद उन सड़कों का काम भी मुकम्मल करवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद क्षेत्र में गरीब लोगों की स्लम एरिय में तीन बस्तियां हैं। चौ. बंसी लाल जी ने उन बस्तियों के स्लम की सफाई का काम रूकवा दिया था। चौ. बंसी लाल जी हमारे बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं और सदन के सम्मानित सदस्य हैं लेकिन इन्होंने अपने समय में उप बस्तियों के स्लम की सफाई का काम रूकवा दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन गरीब लोगों की बस्तियों के स्लम की सफाई का काम शुरू करवाया जाए ताकि उन लोगों को राहत मिले। वे तीन बस्तियां बल्लभगढ़, एन.आई.टी. और ओल्ड फरीदाबाद में हैं। जिस समय इन बस्तियों की सफाई का काम

बन्द किया गया था उस समय प्रदेश में कहीं थी कोई काम बंद नहीं किया गया था। केवल फरीदाबाद के सारे काम बंद कर दिए गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन बस्तियों के स्लम की सफाई का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। हमें वहां की जनता ने चुन कर भेजा है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र फरीदाबाद के अन्दर डबवा कालोनी, जवाहर नहर, नगला रोड से पास कुछ जगह पड़ी है वहां पर वहां के लोगों के लिए एक पर्क बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: फरीदाबाद क्षेत्र के स्लम एरिया के लिए जो पहले पैसा भेजा गया था उस बारे में भी बता दें।

श्री चन्द्र भाटिया: उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है पिछला पैसा भी बकाया पड़ा है उसके अलावा 37 लाख रूपया और भी आया है इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, कि वहां के स्लम की सफाई का काम शुरू करवाने की कृपा करें। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हर आदमी को अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए क्योंकि हमारे विपक्ष के भाई बिना सोचे समझे बात कहे देते हैं। हमारे विपक्ष के भाईयों ने राज भोगा है इनके हाथ में भी प्रदेश की बागडोर रही है इनके हाथ में भी कलम की ताकल रही है उस समय इन्होंने प्रदेश के गरीब लोगों की भलाई के लिए एक भी काम नहीं किया। आज जिस तरह का रोल ये सदन में कर रहे हैं ऐसा इनको नहीं करना

चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भाई कृष्ण पाल जी ने जो बातें कहीं हैं उनके बारे में आपस में बैठकर विचार-विमर्श कर लिया जाए और उनका समाधान किया जाए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें।

श्री बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य चन्द्र भाटिया ने एक बात कही कि चौ. बंसी लाल ने अपने समय में बिजली के रेट बढ़ाए और लोगों पर टैक्स लगाए थे तो वह माफ नहीं किए जब मैंने उस समय बिजली के रेट बढ़ाए ही नहीं और टैक्स लगाए ही नहीं तो माफ कहां से करते। ये माननीय सदस्य जो बातें इस समय मेरे बारे में कह रहे हैं यह बातें ये आज के मुख्यमंत्री के बारे में कहा करते थे जब मैं चीफ मिनिस्टर था चाहे आप उस समय की टेप निकलवा कर सुन लें ये उस समय आज के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या कहते थे। यह तो इनकी आदत है। अब ये इनके साथ लग लिए। मैं तो आज के मुख्यमंत्री से कहता हूं कि आप भी थोड़े दिन ठहर जाओ आपके साथ भी ये वहीं धोखा करेंगे जो मेरे साथ किया था क्योंकि यह इनकी आदत है।

दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिंड अमैडमेंट) बिल,
2000 (पुनरारम्भ)

श्री चन्द्र भाटिया: उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य चौ. बंसी लाल जी ने कहा कि उन्होंने अपने समय में कोई टैक्स नहीं लगाया लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में इन्होंने हाउस टैक्स लगाया था। जब पहले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फरीदाबाद नगर निगम बनाया था और उसी समय हाउस टैक्स का एक्ट बनाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, हम चौ. बंसी लाल जी से बार-बार यही कहते थे कि आप फरीदाबाद के हाउस टैक्स को ठीक करवा दें तो चौ. बंसी लाल जी से बार-बार यही कहते थे कि आप फरीदाबाद के हाउस टैक्स को ठीक करवा दें तो चौ. बंसी लाल जी कहते थे इस बात को छोड़ो कुछ नहीं होता यह ठीक है। अभी श्री बंसी लाल जी बोलते हुए कह रहे थे कि थोड़े दिन ठहर जाओ, आपके साथ भी यही होगा तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमीर बात सुनी नहीं जाती थी और हरियाणा के हितों की अनदेखी की जाती थी तो हम लोग बोलते थे। मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला पिछले दिनों फरीदाबाद आए थे तो उस वक्त ये वहां पर खूब घोशणाएं करके आए थे। उन घोशणाओं पर काम भी हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार आपके द्वारा जो प्रोग्राम चला रही है उसके तहत ये दो अक्टूबर को फरीदाबाद में आकर वहां की

समस्याओं को देखते हुए वहां पर और योजनाओं पर काम शुरू करवाये। जब चौ. बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त लोगों के काम इनके हाथ में सत्ता होते हुए भी नहीं होते थे। इस मौजूदा सरकार ने जो प्रोग्राम सरकार आपके द्वार का चलाया है उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लोगों के काम हो रहे हैं इस बारे में मेरा आदरणीय बंसीलाल जी से निवेदन है कि जब लोग इनसे मिलने आए तो ये लोगों को यह जरूर कह दें कि जब मैं सत्ता में था तो उस वक्त आपके काम नहीं कर सका और मौजूदा सरकार "सरकार आपके द्वार कार्यक्रम" के तहत जो कार्य कर रही है उसके तहत आप लोगों के काम हो रहे हैं। लोगों को यह जरूर कहें कि यह सरकार बढ़िया काम कर रही है। धन्यवाद।

श्री अनिल कुमार विज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नगरपालिका विधेयक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर जो बोलने के लिए समय दिया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें उसके उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण करते हुए राज्य में 1.11.99 से चुंगी समाप्त किए जाने के कारण अतिरिक्त स्रोत पैदा करने के लिए ये टैक्स लगाये जा रहे हैं। चुंगी समाप्त की गई है इसलिए किसी न किसी साधन से विकास कार्य करने के लिए धन तो उपलब्ध करना ही पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो टैक्स लगाने के कारण बताए गए हैं वे अम्बाला छावनी पर लागू नहीं

होते क्योंकि अम्बाला छावनी की स्थिति अन्य स्थितियों से भिन्न है। क्योंकि 1977 में नगरपालिका कन्टोनमेंट बोर्ड से एकसिशन करके बनाया गया था। उस वक्त निर्णय लिया गया था कि नगरपालिका चुंगी वसूल करेगी और उस वसूल किए हुए टैक्स में से 40 प्रतिशत हिस्सा कन्टोनमेंट बोर्ड के पास जाएगा और उसका 60 प्रतिशत हिस्सा नगरपालिका के पास रहेगा। सरकार के ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि पिछली उगाही में से ही काफी देय राशि कन्टोनमेंट बोर्ड की रहती है उसको भी उसे दिया जाये। सरकार ने चुंगी समाप्ति की घोशणा की है। कन्टोनमेंट बोर्ड ने यह डिस्मिशन लिया है कि चुंगी समाप्ति की घोशणा सरकार की है इसलिए सरकार के ये नियम हमारे पर लागू नहीं होते इसी के तहत कन्टोनमेंट बोर्ड अम्बाला छावनी में 1 अक्टूबर से पुनः चुंगी लगाने जा रहा है। यह खबर मैंने कल यहां आने पर राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में पढ़ी हैं। एक तरफ तो सरकार की तरफ से टैक्स बढ़ाये गए हैं और दूसरी तरफ से कन्टोनमेंट बोर्ड अम्बाला छावनी में पुनः चुंगी लगाने जा रहा है। इस तरह से अम्बाला छावनी के लोगों पर दोहरी मार पड़ेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अम्बाला छावनी के बारे में जब तक पूरी तरह से स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाये तब तक वहां पर टैक्स न लगाने जाये ताकि उन पर दोहरी मार न पड़े। इतनी बात कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि हरियाणा विधान सभा के चालू सेशन में हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए चुंगी समाप्त की है। यह बी.जे.पी. की पुरानी मांग भी थी, हमारी भी थी और जनता की भी थी कि चुंगी समाप्त होनी चाहिए। जो हमारा घोशणा पत्र था उसमें भी यह बात एग्जिस्ट करती थी कि चुंगी समाप्त की जाएगी। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद 1.4.99 से चुंगी समाप्ति की घोशणा की। यह एक बधाई का कदम था और ऐतिहासिक कदम था। निश्चित रूप से राजा का परम कर्तव्य होता है कि जनहित के कार्यों को ध्यान में रखें और किसी भी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। आज जो बिल लाए हैं उसका पूरा उद्देश्य यही है कि आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। वैकल्पिक स्थिति के कारण ही यह संशोधन लाए हैं। इस संशोधन की विभिन्न धाराओं में मूल भावना को ध्यान में रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने और मौजूदा सरकार ने इस संशोधन के जरिए हमारे जो चुने हुए पार्लियामेंट के मैम्बर्ज हैं और विधायक हैं उनको नगरपालिकाओं की बैठकों में बराबर का हक देते हुए उनको समायोजित करने का निर्णय लिया गया है और एक दूरदृष्टि का परिचय दिया है और साथ में यह भी सावधानी बरती है कि लोकल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर केवल अपनी उपस्थिति

और वहां की सुपरविजन करके अपने बहुमूल्य सुझाव दें लेकिन लोकल बॉडीज में उन्हें मतदान का अधिकार या विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इसकी विभिन्न धाराओं में समाज में व्याप्त बुराइयां थीं उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के अन्तर्गत भी जो थोड़ी संख्या में आनुपातिक दृष्टि से लोग नाजायज कब्जे वगैरा करते थे और उन पर सुनियोजित ढंग से पहले झुग्गी या झोंपड़ी डालकर उन पर नाजायज कब्जा करके एक प्रोफेशनल एटीच्यूड का परिचय देते थे, उन बातों पर भी इस बिल में अंकुश लगाया गया है। इसमें जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है उसके लिए भी यह सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 158 में सड़कों या नालियों में मिट्टी या सामग्री डाल कर या वेस्ट चीजें डालकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक रूप से स्वच्छता का प्रश्न आता है। आज हमारा जीवन स्तर 20वीं शताब्दी में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में हर नौजवान और हर नागरिक चाहता है कि उसका जीवन स्तर ऊपर उठे। इस प्रकार स्वच्छता की दृष्टि से जुर्माना लगाने अथवा सजा देने का जो प्रावधान किया गया है मैं समझता हूँ कि वह एक जनहित का कार्य है और प्रशंसा के योग्य है।

इसी तरह से धारा 170 और 171 के तहत मृत जीवों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इस धारा के अधीन अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान पर अगर पशुओं का व्यापार आदि करता है या उसका वध करता है तो उसके लिए भी जुर्माने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि जब इस बिल की विभिन्न धाराओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो इसमें लोकहित की भावना परिपुष्ट होती है। आज की सरकार का जो मन्तव्य है उसको स्पष्ट करते हुए एक अनुरोध जोड़ना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सार्वजनिक रूप में पिछली सरकारों में पिक एंड चूज की पोलिसी अपना करके किसी विशेष क्षेत्र का विकास किया होगा लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जो दरबार लगाए पिछली सरकारों के प्रति जनता के दिमाग में सरकारों की जो तस्वीर बनी हुई थी वह इस सरकार के प्रति नहीं है। पिछली सरकारों के समय में तो मात्र घोशणाएं ही हुआ करती थीं। विपक्ष के नेता इस समय यहां पर बैठे हुए नहीं हैं। अगर उनके सारे शिलान्यासों को गिना जाए तो उन्हें शिलान्यास मुख्यमंत्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके शिलान्यास के पत्थर आज पता नहीं जनता में कहां पर चले गए हैं। एक वे मुख्यमंत्री थे जो जनता के बीच शिलान्यास करके आए थे और दूसरे हमारे मुख्य मंत्री चौ. बंसी लाल जी भी बैठे हुए हैं।

मैं 1972 में जिला परिशद का सदस्य होता था इस कारण से प्रजातन्त्र में उनकी आस्था के बारे में बताना चाहूंगा। चौ. बंसी लाल जी मेरे बुजुर्ग हैं और पिता के समान हैं। जब मैं पहली बार वहां पर ब्लॉक समिति का मैम्बर बनकर आया था उस वक्त की स्मृतियां आज भी मेरे मस्तिष्क से लुप्त नहीं हुई हैं। वहां पर पांच बार इलैक्शन पोस्टपोंड करवाए गए थे, आदमी उठा लिए गए थे, बैलेअ पेपर फाड़ दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत, ब्लॉक समितियां और नगर निगम और बाकी जितनी भी हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं। वे प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उनमें अधिकांश के चुनाव करवाए गए हैं और उनको एक नया गतिमान दिया गया है। फरीदाबाद की मिसाल आपके सामने है, नगर निगम का चुनाव निर्विरोध हुआ, जिला परिशद और पंचायत समितियों का चुनाव निर्विरोध हुआ इससे ज्यादा प्रजातन्त्र में आस्था व्यक्त हो नहीं सकती है। मुझे यह कहते हुए फख हो रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बीमारी कही जाने वाली समस्या की ओर ध्यान दिया है। हमारे यहां पर कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रामीण पंचायतों के क्षेत्रों और नगरपालिकाओं की जगह पर नाजायज कब्जे करने की प्रवृत्ति थी मुख्यमंत्री जी ने साहस का कदम उठाकर उन एक या परमैट लोगों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया है। राज्य की आय के साधन बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भी जिसकी स्वीकृति दी है ओर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन के मुताबिक यह हो रहा है और नाजायज कब्जे हटाने की बीमारी का कही तो अन्त होना ही

चाहिए था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे सदन में यह घोशणा करें कि हर ग्राम की फिरनी की पहले पैमाईश करवाई जाए और बगैर इस कांट छांट के कि वह चौ. बंसी लाल जी का क्षेत्र है या भगवान सहाय रावत का क्षेत्र है या हमारे सत्ता पक्ष या विपक्ष का क्षेत्र है, पैमाईश होनी चाहिए और यह पैमाईश करवा कर उसको पक्का करवा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो शमशान घाट और कब्रिस्तान की जगह है, मेरे मेवात के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जनता में जब गया तो वहां पर मुख्यमंत्री जी के कसिदे पढ़ते हुए मुझे लोग मिले कि इतिहास में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। क्योंकि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारी जो पवित्र संस्कृति है उसके द्वारा कब्रिस्तान की बाउंडरी वाल के लिए लाखों रुपये मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किए हैं। सार्वजनिक आधार पर ऐसे कार्यों के लिए हरियाणा की जनता को करोड़ों रुपये देने चाहिए। अन्त में मैं दो बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतिगत फैसला लेकर के कुछ नगरपालिकाओं को समाप्त कर दिया है। उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। विकल्प के रूप में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जिस तरह से उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ गई थी, उनकी अनिवार्यता भी बढ़ गई थी। सर, ग्राम पंचायतों से उपर जो नगरपालिकाएं भंग हैं उनमें नगर पंचायत जैसी कोई विकल्प योजना स्थापित करके वहां पर विकास कार्य करवाएं जाएं। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री बंता राम बाल्मिकि (रादौर-अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता है मैं यहां पर इनका पर्दाफाश करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र से जो पैसा मिला उसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी पार्टी के हल्कों में बांटा दिया। हमारे यहां पर जो विपक्ष के तीनों बड़े नेता श्री भजन लाल, श्री हुड्डा और श्री बंसी लाल जी हैं इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने यह कहा है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा श्री भजनलाल जी के हल्के में 1 करोड़ 40 लाख दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री बंसीलाल जी की सरकार सवा तीन साल रही थी तो इन्होंने हमारे हल्के में 24 लाख 43 हजार रुपये ही दिए थे जबकि चौटाला जी के राज में हमारे हल्के को 2 करोड़ 51 लाख 29 हजार रुपये मिले हैं लेकिन जो सवा तीन साल सरकार रही उसने सिर्फ 24 लाख 43 हजार रुपए ही दिए थे और आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं। श्री भजन लाल जी की सरकार भी 5 साल रही जो हरिजनों के खिलाफ हैं आज नकली चश्मा पहन कर हरिजनों का साथ लेना चाहते हैं उनके राज में 5 करोड़ 60 लाख ही मिले थे और चौटाला साहब की रहनुमायी में 12 करोड़ हरिजनों और बैकवर्ड क्लास की चौपालों और दूसरे कामों के लिए मिले हैं। चौ. बंसी लाल जी ने तो केवल नाममात्र के ही पैसे दिए थे। चौटाला सरकार ने एक साल में ही दलितों के प्रति इतना सोचा है इसके

लिए मैं चौटाला साहब की नेतृत्व वाली सरकार को और आफिसर्ज को बधाई देना चाहूंगा। ये जो अपोजिशन के नेता हैं आज ये हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों में सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि आज की हरिजन और बैकवर्ड क्लास जाग चुकी है और उसको पता है कि कौन उनकी भलाई का काम कर सकता है। हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग अब सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने वालों के बहकावे में आने वाले नहीं है। आदरणीय चौटाला साहब ने केवल एक ही जाति को नहीं केवल किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि 36 बिरादरियों के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। ग्रामीण आंचलों में बसने वाले लोगों के हितों की बात करने का फैसला उन्होंने किया है। अब हरिजन एवं बैकवर्ड लोगों ने यह संकल्प किया है कि वे अब और किसी के बहकावे में न आकर केवल चौटाला साहब की नीतियों का पालन करेंगे और चौटाला साहब के आदेशों की पालना करेंगे। अब वे एक छतरी के नीचे आकर इनकी नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अखबारों में जो यह खबर छपी है कि चौटाला साहब ने केन्द्र सरकार का पैसा लोगों में बाटा है, गलत है। आदरणीय चौटाला साहब ने तो एच.आर.डी.एफ. से सारा पैसा दिया है, हरियाणा प्रदेश का पैसा दिया है। इस तरह से सरकार ने ताऊ देवी लाल जी की नीतियों को ही आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौटाला साहब जैसे धरती पुत्र नेता यहां पर बैठे हों तो मेरे जैसे एक छोटे से

कार्यकर्ता को हाउस का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए इतनी बात कहकर ही मैं अपना स्थान लेता हूँ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): उपाध्यक्ष महोदय, बंताराम जी विपक्ष के लोगों को यही परामर्श दे रहे थे कि इनको भी एक ही छतरी के नीचे आ जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल पर चर्चा जारी है। मैं आपके माध्यम से इस गरिमामय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 73वें एवं 74वें कांस्टीच्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में एक ऐतिहासिक अमेंडमेंट हुई थी। सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बहुत ही गहन चिंतन और मनन के बाद यह धारणा पैदा हुई कि आजादी के बाद धीरे-धीरे सत्ता आम आदमी से वोट लेने के बाद और चुनावों के बाद ब्यूरोक्रेसी के पास, मंत्रीगणों के पास एवं एम.पी.जी. के पास सेंट्रलाइज होती चली गयी। बाद में यह धारणा पैदा हुई कि सारे देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इसके बाद एक ऐतिहासिक कांस्टीच्यूशनल अमेंडमेंट डि-सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई और सभी प्रदेशों में अपने अपने तरीके से इस बारे में कानून बनाये गये लेकिन उनकी पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हर वर्ग या हर पार्टी के लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर चाहते थे कि सत्ता का किस प्रकार से विकेन्द्रीकरण हो वैसा इस सरकार ने करने का प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम

से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने सत्ता सम्भालने के बाद सबसे पहले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जिसके लिए यह सरकार बधाई का पात्र है। अब ग्रामीण पंचायतों में, म्यूनिसिपल कमेटीज में या नगर निगमों में वहां के चुने हुए प्रतिनिधि भी यह महसूस करने लगे हैं कि सत्ता धीरे-धीरे मुख्यमंत्री जी ने हमारे हाथ में दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि जब आम आदमी समझता है कि उनका वोट लेने के बाद अगले चुनावों तक उन्हें कोई नहीं पूछेगा तो जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं वे धीरे-धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी पहली सरकारें उन उद्देश्यों से धीरे-धीरे भटक रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप हरियाणा में किसी भी क्षेत्र में देख लें चाहे वह क्षेत्र किसी भी पार्टी के एम.एल.ए. का हो वहां पर काम हो रहे हैं। जो आम आदमी के काम करवाने वाला आदमी है, जो ईमानदार है, निश्ठावान है और जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है वह पूर्ण रूप से आज हमारी सरकार से संतुष्ट है और उकसी अपनी जो आकांक्षाएं हैं वह पूरी हो रही हैं। अभी हमारे भाटिया साहब ने और रावत साहब ने बोलते हुए बहुत सुन्दर बात इस सदन में रखी है। इस डीसेंट्रलाइजेशन को जिस प्रकार से हम लागू कर रहे हैं यह एक सराहनीय कदम है। इलैक्टिड ग्राम पंचायत हैं ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी का स्वप्न था और यही चौ. देवी लाल जी का नारा रहा है कि आम आदमी के पास सत्ता होनी चाहिये।

ग्राम पंचायत के पास सत्ता जानी चाहिये किस प्रकार से उनके लिए वित्तीय साधन जुटाये जा रहे हैं। कहीं स्कूलों का काम है गांव में छोटी सी गली बनानी है, गांव का सरपंच बस में बैठकर चण्डीगढ़ आता है। इस प्रकार से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे ओमर जो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन हुए वह ऐतिहासिक फैसला हुआ था। उस स्वप्न को आदरणीय चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार साकार कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह पावर को डीसेंट्रलाइज कर रहे हैं, पंचायत को पावर, म्यूनिसिपल कमेटियों को पावर, जिला परिषद के चेयरमैन को पावर, पंचायत समिति को पावर इस सबके लिये ये व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ फाइनेंशियल सिस्टम को भी स्ट्रेंगथन करना होगा ताकि यह न हो कि चुनने के बाद पैसा मांगने के लिए यहां आ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था को सुधारने के लिए, सिस्टम को स्ट्रेंगथ करने के लिए कठोर निर्णय लेने होते हैं। थोड़ा बहुत लोगों को वेस्टेड इन्ट्रस्ट होता है ऐसे लोग बरगलाते हैं ऐसे लोगों की परवाह न करते हुये जो सरकार ने निर्णय लिया है यह संसोधन बहुत अच्छा है, इसको लागू होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी काफी लम्बा अनुभव है। आप इस कुर्सी पर आए हैं आपको बहुत बधाई, आप कई महत्वपूर्ण संगठनों के अध्यक्ष भी रहे हैं, आल इंडिया लेवल के खिलाड़ी भी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से निवेदन करूंगा कि सिस्टम को सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने चाहिये बेशक उनसे कोई वर्ग थोड़ा बहुत नाराज होता है

लेकिन इन दि लॉग रन हरियाणा का इंट्रस्ट इसी में ही है कि अच्छे निर्णय लेने चाहिये। इसके सुखद परिणाम धीरे-धीरे सामने आएंगे। यह बात कहते हुए बड़ी पीड़ा का अनुभवन हो रहा है कि यहां टैक्स देने का कल्चर ही नहीं है, करोड़ों को बिजनैस है लम्बी चौड़ी फैक्ट्रीज हैं और उनकी हजार दो हजार टैक्स देने की भी नीयत नहीं है। जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी टैक्स की चोरी करता है। इसलिए इस प्रकार की अमेंडमेंट्स के माध्यम से उनसे टैक्स वसूलना चाहिये और जब हर वह आदमी जिस पर टैक्स लगता है, वह टैक्स देगा तो इससे पैसे की कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बारे में बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको आगे भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: मैंने इस पर बोलना है मुझे इस पर बोलने का मौका दीजिये, आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइये, मैं भी आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और आज से नहीं जानता हूँ, जब आप स्टुडेंट थे तब से जानता हूँ। जितना समय मैं दे सकता था उतना दिया

है और फरीदाबाद जिले को जितना समय बोलने के लिए दिया है उतना समय किसी को नहीं दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या सदन में जिले के मुताबिक बोलने के लिए समय दिया जाता है। मेरी पार्टी अलग है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपकी पार्टी जानता हूँ थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी यहीं था। दलाल साहब आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस बिल पर चर्चा हो रही है उस बिल पर मैं अपने सुझाव देना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिये, आपको अपने सुझाव देने का मौका भी बाद में दिया जायेगा। (विघ्न)

श्री बलबीर सिंह: दलाल साहब बैठ जाइये आपने चौ. बंसी लाल जी को भी काफी सुझाव दिए थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, ****

श्री उपाध्यक्ष: जो दलाल साहब कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिली पर बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब आप बैठिये ।

ग्राम एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह):

उपाध्यक्ष महोदय मेरी एक सबमिशन है कि जो आज सुबह से क्वैश्चन आवर से लेकर अब तक इस सदन का माहौल रहा है । मेरा भी इस हाउस में आने का पिछले 20 सालों का अनुभव है । मैंने पिछले 20 सालों में इस सदन का ऐसा माहौल कभी नहीं देखा । कांग्रेस पार्टी के सदस्य सारी मर्यादाओं को लांघ कर स्पीकर साहब के सामने हाउस की वैल में गये उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने उनकी बात को स्वीकार किया । उसके बाद वे माननीय सदस्य अपनी बात कहने के बाद इस सदन के बाहर चले गये । मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन में अनेक मौके आये, जब चौ. भजन लाल जी की सरकार होती थी और चौ. बंसीलाल जी की सरकार होती थी, उस समय हम विरोध पक्ष में होते थे और जब भी कभी अपनी कोई बात कहने के लिए खड़ होत थे तो हमें नेम किया जाता था । लेकिन आज 20-25 सालों के दौरासन पहली बार लोकतंत्र की मर्यादाओं का आदर करते हुए उन माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा समय दिया गया । श्री कर्णसिंह दलाल जी भी इस सदन में तीसरी बार चुनकर आये हैं । उन्होंने भी यह देखा है और किया भी है लेकिन स्पीकर साहब के बारे में ऐसा कहें तो यह गैर जिम्मेदाराना बात हो जाती है और इतने सीनियर मैम्बर्ज को यह शोभा नहीं देता ।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि चौ. धीरपाल जी ने बोलते समय मेरे बारे में भी कुछ कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिये।

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनके स्वयं के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौ. धीरपाल जी ने बोलते समय मेरे बारे में कहा है, उसके बारे में मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मैंने स्पीकर साहब की निन्दा की कोई बात नहीं की। मैंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की। इस सदन का सदस्य होने के नाते किसी भी सदस्य का हक हो जाता है कि वह अपनी बात इस सदन के सामने रख सकता है। मैंने स्पीकर साहब के बारे में रूल 27 (ए) के तहत यह कहा है कि ****

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब आप उसका जवाब दें जो चौ. धीरपाल सिंह जी ने कहा है। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों को बैठाते भी हैं और सदस्यों को सदन से निकालते भी हैं। पहले चौ. भजन लाल जी की सरकार थी उसके बाद चौ. बंसीलाल जी की सरकार रही उस समय के मुख्यमंत्री उस सदन को मर्यादाओं के अन्दर चलाने के लिए अपने आप में फख्र महसूस करते थे। ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मैं चौ. धीरपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे परमात्मा का नाम लेकर यह कह सकते हैं कि यह सदन आज मर्यादाओं के मुताबिक चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साजब आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया गया है लेकिन यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए अप बैठ जाएं।

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने जो बात कही है, वह गैर जिम्मेदाराना बात कही है। आज जो सदन चला है उसमें लोकतन्त्र की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए स्पीकर साहब ने, आपने और हाउस के नेता ने जो मान, सम्मान और जिन्दादिली दिखाई है वह लोकतन्त्र को मजबूत करने वाली नीति को दर्शाता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: कर्ण सिंह दलाल जी आप बैठ जाएं, आपको बोलने का मौका दे दिया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में कन्कल्यूड कर दूंगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में हर सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये जोकि आज नहीं मिल रहा, जिसका एक उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। यहां स्पीकर साहब, कुछ भी कह सकते हैं, डिप्टी स्पीकर साहब कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमें बोलने की परमिशन नहीं दी जाती।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, इससे ज्यादा बोलने का मौका आपको क्या मिल सकता है? आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन का समय मांगा वह आपको दे दिया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, हमें लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। हमाने पास अच्छे सुझाव हैं जो हम सरकार को देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठे आपको पूरा मौका मिला है।

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि ये एक घंटा हाउस में चेयर के सामने खड़े होकर बोलते रहे हैं, क्या यह बात लोकतन्त्र को नई दिशा देने वाली सोच का परिणाम है। इससे ज्यादा समय तो बोलने के लिए इनको कोई नहीं दे सकता। हमें तो इतना बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, इससे ज्यादा बोलने का मौका तो आपको कोई नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी दर्शक गैलरी में बैठकर देखा करता था जो आप लोग यहां बैठकर करते थे। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि यह सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रख रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। (शोर)

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-7

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed. (Interruptions).

वाक आऊट

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा इसलिए मैं वाक-आऊट करता हूँ।

(इस समय आर.पी.आई. पार्टी. के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आऊट कर गये)।

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकिंड अमेंडमेंट) बिल,
2000 (पुनरारम्भ)

श्री सुभाश गोयल: मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Motion Moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2000

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल):
उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन)
विधेयक, 2000 प्रस्तुत करता हूँ और यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि
इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Municipal (Second Amendment)
Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-7

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-8

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-9

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-10

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-11

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-12

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-13

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-14

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-15

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-16

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-17

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-18

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-19

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-20

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-21

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-22

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 22 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-23

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-24

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-25

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-26

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-27

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 27 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Local Government will move that the bill be passed.

श्री सुभाश गोयल: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Motion Moved –

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिंड अमेंडमेंट) बिल,
2000

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 2000.

Finance Minister: Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 2000.

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of disapproval of the Haryana General Sales (Third Amendment) Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 7 of 2000) from Capt. Ajay Singh, M.L.A. He may move his motion. But he is not present.

(The motion was not moved as the concerned Member was not present in the House.)

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 2000.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

श्री कर्ण सिंह दलाल: इतना बुरा तो कभी नहीं हुआ कि सरकार एक आदमी को जो विपक्ष में बैठा हो उसको भी न बोलने दे। क्या यह सरकार एक आदमी का भी मुकाबला नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष: एक आदमी को यह कैसा ओवर कान्फीडेंस हो गया कि वह ही सबसे तगड़ा है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: आप मुझे बोलने के लिए समय दीजिये। मैं सरकार की कलाई खोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। चौ. बंसीलाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कहें।

श्री बंसीलाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के बारे में मेरा एतराज यह है कि जो फार्म ये 38 इन्ट्रोडयूस कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। इससे व्यापारियों को तकलीफ होगी। जब इतने सालों से बगैर इस फार्म को इन्ट्रोडयूस किए गुजारा हो सकता है तो आगे भी काम चल सकता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस 38 नम्बर फार्म को जो यह इस अमेंडमेंट के जरिये ला रहे हैं, उसको हटाया जाये।

श्री सम्पत सिंह: इस बारे में आपको क्या एतराज है वह तो बताएं।

(इस समय अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री बंसीलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एतराज यही है कि जब इतने सालों से बगैर इस फार्म के गुजारा चल रहा था तो आगे भी चल सकता था। इस फार्म के लगने से व्यापारियों को विभाग वाले परेशान करेंगे। इस फार्म के बहाने वे उनको चैक करेंगे और उनसे पैसा वसूल करेंगे। वह पैसा सरकार के खजाने में तो आने वाला नहीं है। यही मेरा एतराज है। इसलिए मेरी मांग है कि इस फार्म की कन्डीशन को हटा दिया जाये।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसीलाल जी से मिलने के लिए व्यापारी लोग गये थे तो इन्होंने व्यापारियों से यह कहा था कि हरियाणा छोड़कर राजस्थान में कारोबार कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि हरियाणा में ही काम करना है। अब चौ. बंसीलाल जी व्यापारियों के कहां से हिमायती हो गये।

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा लोकल ऐरिया डिवैलपमेंट टैक्स बिल, 2000

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Local Area Development Tax Bill, 2000.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Local Area Development Tax Bill, 2000.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of disapproval of the Haryana Local Area Development Tax Ordinance, 2000 (Haryana Ordinance No. 10 of 2000) from Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A. He may move his motion. But he is not present in the house.

(The motion was not moved as the concerned Member was not present in the House.)

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move that the Haryana Local Area Development Tax Bill, 2000 be taken into consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Haryana Local Area Development Tax Bill be taken into consideration.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Local Area Development Tax Bill be taken into consideration.

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर विधेयक, 2000 इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं इस बारे में आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि हरियाणा का उद्योग वैसे ही मन्दी की मार से पीड़ित है और अब उस पर विकास कर के रूप में 4 प्रतिशत और टैक्स लगा दिया तो उद्योगपति उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है

तो वे हरियाणा से पलायन करने को महबूर होंगे और अगर वे हरियाणा से पलायन करेंगे तो हरियाणा में और बेरोजगारी बढ़ेगी। इस वजह से हरियाणा का राजस्व भी घटेगा। आज हरियाणा के उद्योगों में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बिजली का कट लगता है अगर आप टैक्स लगा देंगे, तो वे इसको झेल नहीं पाएंगे। मेरा आपको सुझाव है कि आप इसको रोक दें। इसके अलावा चुंगी के बदौलत भी टैक्स लगाए गए हैं मैं यह जानना चाहूंगा कि उससे कितना टैक्स बढ़ गया है। खाली जमीनों पर टैक्स लगाए गए हैं, जो कवर्ड एरिया है उस पर टैक्स लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इससे हाउस टैक्स में 3 गुणा से लेकर 10 गुणा तक वृद्धि होगी। इसी तरह से सैनिटेशन टैक्स, फायर टैक्स और एस्टैबलिशमेंट टैक्स लगाया जा रहा है। यह जो चुंगी की बदौलत टैक्स लगाए जा रहे हैं क्या हमारी हरियाणा की जनता इनको झेल पाएगी। मेरी मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें। अध्यक्ष महोदय, श्री भजन लाल की सरकार के वक्त सन् 1994 में नगर निगम संशोधन विधेयक पास कर दिया गया था उसके बाद श्री बंसी लाल जी की सरकार 1996-97 में आई और इन्होंने भी उसको इम्पलीमेंट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से श्री ओमप्रकाश चौटाला जी से निवेदन है कि जो काम पिछली सरकारें गलत कर गई हैं उनको ये अपनी कलम से ठीक कर दें। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के चुनावों से पहले फरीदाबाद की सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो तरह-तरह के टैक्स लगे हैं उनको हटाएंगे

और जो झुग्गी-झोपड़ी की स्लम ग्रांटस बंद की गई हैं उनको चालू करेंगे। वे स्लम ग्रांटस चालू नहीं की गई हैं उनको चालू किया जाए। साथ में यह जो बिल लाया गया है और इसमें जो टैक्स लगाया है इस पर सरकार दोबारा से विचार करें। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अम्बाला में अनाधिकृत कालोनिज को औथोराईज किया गया है उसी तरह से फरीदाबाद में भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। फरीदाबाद में खानें हैं और शायद मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता नहीं होगा कि उनमें से कितनी गलत तरह से चल रही हैं। एच.एम.एल. के सी. एम.डी0 ने एक प्रस्ताव लिखकर भेजा है कि खान नम्बर 1, 2, 3, 5, 7 और 8 को सरेंडर नहीं किया जाए। ये खानें डैड रैट में नहीं हैं ये मुनाफे में चल रही है।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भाई कृष्ण पाल जी से कहना चाहूंगा कि ये जो हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर विधेयक, 2000 आया है उस पर ही अपने विचार दें। ये जो माईन्ज वगैरह पर बोल रहे हैं यह इसमें नहीं आता है। अगर ये इस बिल के बारे में कोई सुझाव दें तो ठीक होगा।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल्कुल सही कहा लेकिन इन सुझावों के साथ साथ अग मैं ऐसे अच्छे सुझाव भी सरकार के सामने ला दूँ जो शायद सरकार के ध्यान में न हों तो वह गलत नहीं होगा।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ये गवर्नमेंट के पार्ट एं पार्सल हैं। ये कभी भी अपने सुझाव दे सकते हैं लेकिन इस समय जिस बिल पर चर्चा हो रही है उसी पर इनको अपनी बात कहनी चाहिये। बाकी तो ये कभी भी मिनिस्टर्ज को मिलकर या लिखकर अपने सुझाव दे सकते हैं या हुक्म दे सकते हैं। इसके अलावा ये चौटाला साहब से भी इनके बारे में कह सकते हैं लेकिन अभी तो इसी बिल पर बात हो रही है। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल: यह हमारा आपस का मामला है। लोक प्रहरी के रूप में जन भावनाएं सरकार तक पहुंचाना मेरा धर्म बनता है। हरियाणा की जनता ने जिस बात के लिए हमें विधान सभा में चुनकर भेजा है अगर उनकी भावनाएं हम यहां पर नहीं बताएंगे तो फिर हमारे यहां पर आने का मकसद नहीं रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इस मामले को सरकार दिखवा ले कि जो मांगर की खानें सरेंडर करने की बात चल रही है क्या वह सही है?

श्री अध्यक्ष: आप अनी यह बात लिखकर सरकार का भेज दें।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से फार्म 38 की बात है इससे व्यापारियों का हासमेंट हो रही है। इसी तरह से हरियाणा के प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलजों में ओ.बी.सी. का जो 27 परसेंट रिजर्वेशन था, वह भी बंद कर दिया गया है जिससे इन

वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश है इसलिए इस बारे में दोबारा से गौर किया जाए।

श्री अध्यक्ष: गुर्जर साहब, आप रैलेवैंट टोपिक पर ही बोलिए।

श्री रामकिशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, ये दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं इसलिए इनकी बात को सुन लिया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार मेरे सुझावों को आलोचना के रूप में न लेकर केवल सुझावों के रूप में ही ले। सरकार के ध्यान में ये सारी चीजें लाना हमारा फर्ज और धर्म बनता है। चाहे फार्म 38 की बात हो, चाहे लोकल एरिया डिवैल्पमेंट टैक्स देने की बात है, इन सब बातों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन पर हमारा विरोध दर्ज कर लिया जाना चाहिये।

श्री बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह जो बिल है इसके पास होने पर सबसे ज्यादा इफैक्ट इंडस्ट्रीज पर होगा। इंडस्ट्रीज का हाल आज यह है कि उनको इंटरनेशनल मार्किट में कम्पीअ करना पड़ता है। लेकिन उनके ऊपर चार परसेंट टैक्स लगा दिया गया। इंडस्ट्रीज तो पहले ही लिब्रेलाइजेशन की पोलिसी आने के बाद मर गयी। पूरी इंडस्ट्रीज में रिसैशन आ गया लेकिन इन्होंने

यह चार परसेंट टैक्स और लगा दिया। अब तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक परसेंट का मुनाफा भी नहीं होगा। चार परसेंट टैक्स लगने के बाद तो गिनती की ही यूनिट रह जाएंगी। छोटी यूनिट तो खत्म ही हो जाएंगी और मीडियम श्रेणी की यूनिट कोई तो खत्म हो जाएगी और कोई उठकर चली जाएगी। इसके अलावा बड़ी फैक्ट्रियों वाले अगर सारे उठकर नहीं गए तो आधे तो चले ही जाएंगे। वे लोग दूसरी जगह पर अपनी यूनिट लगाना शुरू कर देंगे क्योंकि यहां उनको मुनाफा नहीं होगा। एक म्यूनिसिपल एरिया से दूसरे म्यूनिसिपल एरिया में जो भी सामान जाएगा यह कहीं से भी सामान जाएगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। स्टेट के बाहर से जो सामान आएगा उस पर तो टैक्स लगेगा ही लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह पर म्यूनिसिपल लिमिट में सामान चला गया तो उस पर भी टैक्स लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि इस टैक्स के लगने से कई हजार आदमी हरियाणा में बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को भी नुकसान होगा, आज हो सकता है कि कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हों जिनसे प्रदेश की सरकार को सेल टैक्स न मिलता हो लेकिन उनसे वहां के मजदूरों को रोजगार मिलता है, उनको तनखाह मिलती है उस तनखाह से वे सामान खरीदते हैं और जो सामान वे खरीदते हैं उनसे प्रदेश की सरकार को सेल टैक्स मिलता है तरह-तरह की आमदनी है इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टैक्स जायज नहीं है इससे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और कल मुख्यमंत्री जी या चौ. संपत सिंह फरमा रहे थे कि मेरे शासन काल में प्रदेश से फैक्ट्री

उठकर चली गई, ये मुझे किसी एक फैक्ट्री का नाम बताएं जो कि प्रदेश से उठकर चली गई हो तो मेरी वजह से उठकर चली गई हो। फैक्ट्रीज तो अब उठ-उठ कर जाएंगी। कोई इंडस्ट्री तब तक नहीं लगती, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तब तक इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता जब तक कि पूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो। मानेसर किसने तैयार किया, आज रोज टैलीविजन पर उसके बारे में ऐडवर्टाईजमेंट दी जाती है, अच्छी बात हैं मानेसर किसने बनाया? मेरी सरकार ने बनाया, 1800 एकड़ धरती हमने एक्वायर की और हवैल्प की। कल चौटाला साहब फरमा रहे थे कि 500 करोड़ रुपये की हौंडा कम्पनी हमारे पास आ गई, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हौंडा कम्पनी के लिए प्लॉट भी हमने ईयरमार्क कर दिया था, खाली जापान से क्लियरेंस आनी थी वह क्लियरेंस इनकी सरकार के समय में आ गई, उसी जगह और कम्पनीज थी बड़ी-बड़ी कम्पनियां आई और उन कम्पनीज को, जिनमें डैमों, न्यूरोकोल, एमटेक, मारूति और 10-15 और कम्पनियां आई इन सबको प्लॉट हमने दिये हैं, उनमें से कुछ फैक्ट्रीज प्रौडक्शन में आ गई थी, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो तो कोई फैक्ट्री नहीं आती। 1800 एकड़ हमने जमीन मानेसर में दी, बराई में 275 एकड़ दी मानकपुर में 135 एकड़ दी, कुंडली में भी 135 एकड़ दी, सिरसा में 175 एकड़ दी और बावल में फेज-2 यह सब मेरी सरकार ने डवैल्प किए। मेरी सरकार ने डवैल्प करके इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और प्लॉट अलॉट किये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज को प्लॉट कैसे

दिया जाए? ये कहते हैं कि हमने नयी पॉलिसी बनाई है इनकी पॉलिसी निकाल कर देख लें और मेरे समय की देख लें। मेरी सरकार ने गुड़गांव, जो कि बिल्कुल दिल्ली के दरवाजे पर है, वहां की फैक्ट्रीज के प्लॉट हमने नीलाम कर दिये थे और वह प्लॉट 8-9 हजार रूपये प्रति गज से कम नहीं जाता था, इन्होंने यह कर दिया कि नीलामी की जरूरत नहीं है, पांच हजार रूपये प्रति गज में जमीन अलॉट होगी इससे इन्होंने पब्लिक ऐक्सचेजर का नुकसान किया। हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि गुड़गांव बिल्कुल दिल्ली के दरवाजे पर है और वहां फैक्ट्रियां आएंगी ही।

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, आप यह बतायेंगे कि जहां सस्ते प्लाट मिलेंगे वहां फैक्ट्रीय वायेबल होंगी या जहां महंगे प्लाट मिलेंगे वहां वायेबल होंगी?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां पर सस्ते प्लाट होंगे वहां फैक्ट्रीज ज्यादा वायेबल होंगी। सरकार यह बताये कि क्या 4 प्रतिशत टैक्स लगाने के बाद ये वायेबल हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, एच.एस.आई.डी.सी. की चार एकड़ जमीन दिल्ली के साथ लगती है वह जमीन प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉमर्शियल जमीन है उस जमीन को मैंने सुना है मुझे सही तो मालूम नहीं है सरकार उसे साफ कर देगी वह जमीन 25 से 50 हजार रूपये मीटर की लागत की है, क्या सरकार ने उस जमीन का पांच हजार रूपये मीटर के हिसाब से एम.ओ०यू० साईन किया है? इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी साफ कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं

इस बिल का विरोध करता हूँ क्योंकि चार प्रतिशत टैक्स को कोई फ़ैक्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।

वित्तमंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो यह एल.ए.डी.टी. बिल इंट्रोडयूस किया है उस पर माननीय सदस्य श्री कृष्णपाल जी और चौ. बंसीलाल जी ने अपने विचार व्यक्त किये। श्री कृष्ण पाल जी ने पहले तो टैक्स के बारे में बात की और उसके बाद जो खाली जमीन है और जो कवर्ड एरिया है उसके बारे में बात की है। शायद इन्होंने हाऊस टैक्स की बात की है जो एल.ए.डी.टी. से संबंधित नहीं है जहां तक हाऊस टैक्स की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय लोकल बॉडिज मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में यह क्लियर कर दिया कि इस साल 31 मार्च तक पुराने रेट के हिसाब से हाऊस टैक्स वसूल किये जाएंगे और कवर्ड, नॉन कवर्ड और खाली प्लॉट के बारे में कोई पालिसी बनकर तैयार हो जायेगी तो वह सब आपके सामने इस सदन में रखी जायेगी। फरीदाबाद में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जो बात है, वह कोर्ट के आदेशों की वजह से है उसके साथ आप म्यूनिसिपल कमेटीज का मिक्स न करें वह कारपोरेशन का मामला है। उसमें स्टेट की म्यूनिसिपल कमेटीज नहीं हैं। दूसरी बात श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने आक्ट्राय के बारे में की। आक्ट्राय की वजह से कितना फर्क पड़ा है। इसमें हम इम्पलाईज की तनखाह भी एडजैस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी डिवल्पमेंट में 64 करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है लेकिन सवाल नुकसान का नहीं है। आपको

मालूम है, आप चौ. बंसी लाल जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। बड़े बुद्धिजीवी हैं और पार्टी का लीडर होने के नाते सारे स्टेअ में जाते रहते हैं। आपको पता है कि उस समय हरियाणा प्रदेश की क्या हालत थी। चौ. बंसीलाल जी हरेक काम के लिए कह देते हैं कि यह भी मैंने किया वह भी मैंने किया। जब चौ. बंसीलाल जी की सरकार थी तो इस प्रदेश की सड़कों की क्या हालत थी। सड़कों पर चल नहीं सकते थे, लोगों को हाई-वे पर चलना मुश्किल हो गया था गांवों की सड़कों की बात तो आप छोड़ दीजिये। चण्डीगढ़ आने के रास्ते भी बंद हो चुके थे। वैसे रास्ते तो लोगों के तभी बंद हो चुके थे जब चौ. बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन रोड़ बंद होने से भी हालात खराब हो चुके थे। हरियाणा प्रदेश में एक बस भी सही हालत में बची हो तो आप बता दें। चौ. बंसीलाल चाहते तो थे कि प्रदेश में नई बसें चलाई जायें परन्तु खजाने में पैसा नहीं था इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। क्योंकि इनकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकल बॉडिज मंत्री था परन्तु जब खजाने में पैसा ही नहीं था तो मंत्री क्या कर सकता था। जब कमेटी के पास कोई ग्रांट देने के लिए पैसा ही न हो तो काम कैसे हो सकता है। सारे प्रदेश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो चुका था। उसमें चाहे सड़कों की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, इरीगेशन की बात हो, चाहे पावर की बात हो, चाहे हैल्थ की बात हो और चाहे एजुकेशन की बात हो, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। अब उस हालात को रास्ते पर लाने के लिए कोई न कोई तरीका तो

अपनाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे लोगों से रिसोर्सिज जुटाने पड़ें या फिर बोरोइंग करना पड़े। अगर बोरोइंग करते हैं तो भी ये माननीय सदस्य एतराज करते हैं और अगर टैक्स लगाते हैं तो भी एतराज करते हैं। टैक्स इसलिए लगाये गये क्योंकि रिसोर्सिज को जनरेट तो करना पड़ता है। यह तो नहीं कि चौ. बंसी लाल जी की तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें। परन्तु जब से हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश जी की सरकार आई है जैसा कि पहले जिक्र किया गया "सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम" के तहत 315 करोड़ रुपये खर्च करने की घोशणा की गई थी और उसको खर्च करने के लिए दो अक्टूबर, 2000 को समय दिया गया था। दो अक्टूबर, 2000 तक उन 315 करोड़ रुपये से जो विकास के कार्य होने की घोशणाएं की गई थी उनको पूरा कर दिया जायेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है अगर पैसा खर्च करते हैं ओर उससे साधन जुटाते हैं जो जनता को तकलीफ नही होती। लोगों से पैसा लिया जाता है टैक्स लगाते जाते हैं और उससे साधन नहीं जुटाये जाते तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने देता हूं कि फ्री पावर देने की बात करते हैं पंजाब में भी फ्री-पावर देने की बात चली। यहां भी किसान यूनियन के कुछ लोग फ्री-पावर देने की बात उठाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री बनते ही जो क्वालिटेटिव पावर लोगों को दी है उससे लोगों को एक आस जगी है कि सरकार आपको पावर देना चाहती है। ड्राउट होने के बावजूद भी बम्पर

क्राप्स हुई। अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं और आपको भी पता है कि इस साल हरियाणा में बरसात नहीं हुई और उसके बावजूद भी रिकार्ड तोड़ फसलें पैदा हुई और वह पैदावार बिजली और सिंचाई के पानी की सप्लाई की वजह से ही हुई हैं। वे किसान जो पहले मांग करते थे कि हमें फ्री-पावर दी जाये, उन्हीं किसानों ने हमारे पास आकर रिकवैस्ट की कि हमें फ्री-बिजली नहीं चाहिये हमें तो क्वालिटेटिव बिजली चाहिये। इस बार जो चुनाव हुए हैं उनमें हम अपनी पार्टी के मैनिफैस्टो का मैण्डेंट लेकर आए थे उसमें बाकायदा यह लिखा था कि हम किसानों के अलावा दूसरे वर्गों के लोगों को भी पावर देंगे और लोगों ने इस पर मोहर लगाई तथा किसी ने फ्री-पावर लेने की बात नहीं की। क्योंकि पहले बिजली मिलती ही नहीं थी और बिजली के बिल लोगों से चार्ज किए जाते थे। अब लोगों को बिजली दी गई है तो वे फ्री बिजली लेने की मांग नहीं करेंगे। जहां तक यह टैक्स लगाने की बात है कि ये टैक्स किस पर लगेंगे, उसके बारे में चौ. बंसी लाल ने यह कहकर हव्वा खड़ा कर दिया कि इस टैक्स के लगने से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज तथा सारी इंडस्ट्रीज उठ जाएंगी तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टैक्स हर इंडस्ट्री पर लागू नहीं होगा। एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया में जाएंगे तो यह उस पर लागू नहीं होगा। स्टेट के अन्दर की जो ट्रांसमिशन होगी। (शोर) चौ. बंसीलाल जी, आप रूलज पढ़िये आपको सारा पता लग जाएगा। आपने रूलज की केवल 2 लाइने पढ़ ली होंगी,

सारे रूलज आपने नहीं पढ़े होंगे। दरअसल इधर भी आपको रूलज पढ़ने का कम मौका मिला है। जब आप सत्ता में थे तो केवल सरकारी कागज आपके पास आ जाते थे। अब तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है। इस बार मदद करने के लिए कोई नहीं आया। पहले तो चौ. अमर सिंह जी आ जाया करते थे, अब तो केवल एक फौजी ही आया है।

श्री बंसी लाल: कल हमारे पास कोई बिल नहीं आया इसलिये हम कहां से पढ़ लें जबकि ये बिल 24 घंटे पहले सरकूलेट होना चाहिये था। ये इतने इम्पौटेंट बिल तो काफी पहले सरकूलेट हो जाने चाहिये थे।

प्रो. सम्पत सिंह: आर्डिनैस की कापियां कल आपके सामने आ गई थी। आप इनको पढ़ते तो कोई बात होती। इंडस्ट्रियलिस्टस हमारी स्टेट की सारी सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है ये इंडस्ट्रियलिस्टस स्टेट की सारी सुविधाएं जैसे रोड़ज, पावर, वाटर तथा स्टेट की जमीन इस्तेमाल करेंगे और वहीं लोग अपना माल कन्साइनमेंट पर बाहर भेज देते हैं और स्टेट को टैक्स नहीं देते हैं। यह टैक्स उन लोगों पर लागू है जो स्टेट के अन्दर सेल नहीं करते हैं बल्कि स्टेट के बाहर सेल करते हैं। इसलिए जो रॉ-मैटिरियल बाहर से आएगा, यह उस पर लागू होगा। परोरेटा बेसिज पर ये जितना टैक्स हरियाणा में पे करेंगे उसो इसमें एडजस्ट कर देंगे। इसलिए यह हव्वा खड़ा करना कि इससे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो

उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस टैक्स के लगने से कोई इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस टैक्स के लगने से कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। चौ. बंसी लाल जी जैसा आपने यह कहा कि मैंने यह कर दिया, वह कर दिया, रेटस का भी आपने जिक्र कर दिया। अब कुछ भी हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो करनी पड़ेगी। अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टेट का काम नहीं चल सकता। आज लैण्ड घटती जा रही है। छोटी-छोटी लैण्ड होल्डिंगज हो गई है। इसलिए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अगर इन्वैस्टमेंट जितनी कम होगी, जैसा आपने फरमाया उतनी ही ज्यादा वायबल हो पायेगी। अगर शुरू में ही प्लॉट पर ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा और बाद में उनके पास इन्वैस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज कैसे काम करेगी। इसलिए हमने ऐज ए पोलिसी मैटर करके किया है। मान लीजिये एक आदमी ऑक्शन के समय प्लॉट का रेट 20-20 हजार रुपये के हिसाब से पेकर जाएगा, इतना महंगा प्लॉट खरीदने के बाद वह उस पर इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? 10-10 साल इंडस्ट्री नहीं लग पाती है और उस पर इन्वैस्टमेंट हुई पड़ी रहती है। इससे इंडस्ट्री लगाने वाले को कोई फायदा नहीं होता। नई पोलिसी के तहत हम प्लॉट मैरिट के आधार पर अलाट करते हैं। प्लॉट का रेट जो भी फिक्स कर दिया जाता है वह सभी के लिए समान होता है इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। आपने गुड़गांव के साथ लगती जमीन के बारे में कह दिया कि उस पर यह नियम लागू होगा या उसके बारे में कोई एम.ओ.

यू. साइन करेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि जब एक रेट फिक्स कर दिया तो रेट फिक्स होने के बाद यह देखना कि एरिया कहां पड़ता है, कहां नहीं पड़ता, यह स्टेट का काम है।

श्री बंसी लाल: वह तो कॉमर्शियल एरिया है?

प्रो. सम्पत सिंह: नहीं, वहां इंडस्ट्रियल एरिया भी है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, वहां पर इंडस्ट्रीयल एरिया अलग से है और कॉमर्शियल एरिया अलग से है।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीयल एरिया अलग होता है, एग्रीकल्चर एरिया अलग होता है और कॉमर्शियल एरिया अलग होता है तथा वह एज ए पोलिसी मैटर के हिसाब से और नियमों के आधार पर ही होगा। सवाल 1, 2 या 4 एकड़ के प्लॉट्स का नहीं है। सारे एरियाज के वर्गीकरण नियमों के आधार पर ही होंगे। इसलिए विकास के लिए ही ये सारे एरियाज के वर्गीकरण नियमों के हिसाब से किये गए हैं। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। इस बारे में मैंने कल बताया था कि एक तरफ 22147 रोजगार बढ़ेंगे। 12 हजार इसी साल इंडस्ट्री के अन्दर बढ़ भी चुके हैं। इस तरह से लगभग 35 हजार नवयुवकों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आने वाले पांच सालों में इंडस्ट्रीयल पोलिसी के तहत और आई.टी. पोलिसी के तहत लगभग पांच लाख युवकों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा

स्टेट की डिवल्पमेंट होगी। इसलिये मैं स्पीकर महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Local Area Development Tax Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-7

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-8

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-9

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-10

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-11

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-12

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-13

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-14

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-15

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-16

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-17

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-18

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-19

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-20

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-21

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-22

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 22 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-23

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-24

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-25

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-26

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-27

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 27 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-28

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 28 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-29

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 29 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the parliamentary Affairs
Minister will move that the bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg
to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

(i) हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from Sh. Raghvir singh Kadian, M.L.A., which reads as under:-

“That the Annual Report of the Haryana State Pollution Control Board for the year 1996-97 which was laid on the Table of the House on 5th September, 2000, be discussed”.

Now, Sh. Raghuvir Singh Kadian may move his motion. But he is not present in the House.

(The motion was not moved as Sh. Raghuvir Siingh Kadian was not present in the House)

(ii) हरियाणा सीडज डिवैल्पमेंट कारपोरेशन की रिपोर्ट संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from Capt. Ajay Singh, M.L.A., which reads as under:-

“That the 25th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 1998-99, which was laid on the Table of the House on 5th September, 2000, be discussed”.

Now, Capt. Ajay Singh may move his motion. But he is not present in the House.

(The motion was not moved as Capt. Ajay Singh was not present in the House)

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, No-Confidence Motion will be taken up. Now, Sh. Bhajan Lal, Leader of the Opposition, will move the motion of no-confidence. लेकिन वे इस समय हाउस में उपस्थित नहीं हैं और न ही कोई सिग्नेचर उपस्थित है इसलिए नो-कोंफीडेंस मोशन टेकअप नहीं किया जा सकता।

(As neither Sh. Bhajan Lal, nor any other signatory to the above motion was present in the House, the motion was not moved.)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जिस कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य आपके सामने वैल में खड़े थे उस समय मैं भी उनके साथ आपके सामने खड़ा और मैंने उस समय आपके सामने यह कहा था कि मैं भी इस नो-कोंफीडेंस मोशन के नोटिस

का समर्थन करता हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ। इसलिए मुझे उनके बिहाफ पर इसे मूव करने दें।

श्री अध्यक्ष: यदि आप उनके साथ हैं तो आप उनको यहां हाउस में बुला लाएं ताकि नो-कोंफीडेंस मोशन पर डिस्कशन हो सके। आपके तो इस मोशन पर सिग्नेचर भी नहीं हैं इसलिए आप इस पर नहीं बोल सकते।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, यह मोशन एडमिट तो हो चुकी है।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि जिन माननीय सदस्यों ने नो-कोंफीडेंस मोशन का नोटिस दिया है उनकी तरफ से पहले वह मोशन मूव किया जाता है। पहले वह हाउस में वह मोशन मूव करते हैं। उसके बाद वह उस पर अपनी स्पीच देते हैं और उसके बाद ही जिन मैम्बरज ने इसके बारे में अपनी जो बातें कहनी थी वह कहते हैं। स्पीकर साहब ने वह मोशन मूव करने के लिए अभी आपके सामने चौ. भजन लाल जी को काल किया था लेकिन वह हाउस में प्रैजेंट नहीं हैं और न ही उनकी पार्टी का दूसरा कोई मैम्बर उपस्थित है जिन्होंने इस मोशन पर अपने सिग्नेचर कर रखे हैं। अगर कोई सिग्नेटरी हाउस में होता तो भी वह इस पर बोल सकता था लेकिन कोई सिग्नेटरी भी हाउस में नहीं है इसलिए संवैधानिक तौर पर इस बारे में डिस्कशन नहीं हो सकती।

श्री कर्ण सिंह दलाल: आप इस पर वोट सीक करवा लें।

प्रो. सम्पत सिंह: किस बारे में वोट सीक करवा लें।

श्री अध्यक्ष: मोशन मूव करने वाला ही सदन में उपस्थित नहीं है तो इस पर डिस्कशन कैसे हो सकती है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनें। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ।

प्रो. सम्पत सिंह: यह तो रूलज की बात है और स्पीकर साहब रूलज के हिसाब से हाउस को चला रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, क्या मैं अपनी बात नहीं कह सकता।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, ये सुबह से ही सदन का कीमती समय बरबाद कर रहे हैं। यह कोई तरीका है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब उस मोशन पर आपके दस्तखत नहीं है इसलिए आप बैठ जाएं। लीडर ऑफ दि हाउस अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, अगर लीडर ऑफ दि हाउस खड़े हैं तो क्या मेरा बोलने का कोई राइट नहीं बनता।

श्री अध्यक्ष: आपका बोलने का जहां पर राइट बनता है वहां पर आप बोलें। अब दलाल साहब जो कुछ बोलें वह रिकार्ड न किया जाए।

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, अगर आप मुझे नो-कॉन्फीडेंस मोशन मूव नहीं करने देते तो मैं ऐज एक प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए)

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संस्कार को बनाते हैं और जो लोग विपक्ष में होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि जनता के हितों पर कुठाराघात हो तो उसके लिए वे अपनी आवाज को बुलन्द करें। सरकार की नीतियां अगर जनहित के विरोध में हों तो सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आये। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले अधिवेशन में सरकार बनने के बाद एक बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य है कि आज मजबूत विपक्ष नहीं है क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है। उस वक्त विपक्ष के नेता चौ. भजन लाल ने कहा था कि हम छः महीने तक इस

सरकार की कारगुजारी को देखेंगे और फिर इस सरकार के खिलाफ एक्शन लेंगे और इस सरकार को गिरायेंगे। अभी पिछले दिनों अखबारों में समाचार छपा था कि विपक्ष वाले सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आएंगे और सरकार को एक दिन में गिरा देंगे। सरकार नहीं गिरेगी तो खुदकशी कर लेंगे इत्यादि—इत्यादि बातें कहीं गई थी। इस बारे में बहुत शोर मचाया जाता था। अधिवेशन के शुरू होने के पहले दिन से ही विपक्ष के नेता ने सदन के कार्य में बाधा डालने का मन बना लिया था। आपकी अध्यक्षता में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हाउस का समय निर्धारित हुआ। उन्होंने कल इस बात को लेकर शोर मचाना। हाउस की कार्यवाही कल चली और हाउस ने कल की कार्यवाही पर पूर्ण रूप से अपनी मोहर लगा दी। उसी बात को लेकर के उन्होंने आज फिर चर्चा शुरु की जबकि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में वे स्वयं भागीदार थे। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि रूलज एंड रैगुलेशन के मुताबिक किस तरह से निर्णय लिया जाता है। वे आज अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आये और हमने उनकी चुनौती को खुले रूप में स्वीकार किया। आपने भी बड़ी फ्राखदिली दिखलाई और उसके अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कशन के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आये हों और फिर उस पर बिना चर्चा किए हुए भाग गए हों। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: चौ. साहब, आप इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लें। कांग्रेस वाले गए हैं। मैं विपक्ष का हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। विपक्ष के नाते मुझे आप इस पर बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष: विपक्षी पार्टी का मतलब विपक्ष के नेता से है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ****

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्री कर्ण सिंह दलाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: बात विपक्ष के नेता की हो रही है। उन्होंने बहाना यह लिया कि बाकी बिजनैस बाद में टेकअप किया जाये पहले उनके प्रस्ताव पर बहस हो जबकि पार्लियामेंट में या दूसरे सदनों में भी और इस सदन में भी अविश्वास प्रस्ताव आये हैं। इन प्रस्तावों पर अगले दिन का समय दिया गया है और ऐसा समय उन्हीं लोगों की सरकार में हुआ है। संयोगवंश चौधरी बंसी लाल जी बैठे हुए हैं, इस प्रकार का वातावरण प्रदेश में इस मामले में पहले भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने फ्राखदिली दिखाई और फटाक से यह कह दिया कि अभी आज ही इस पर चर्चा हो जाए और हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस पर गिनती हो जाए। जनतन्त्र में तो सिरों की गिनती होती है लेकिन उन के पास तो कहने को कुछ था

नहीं क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार में पूर्ण रूप से अपना विश्वास व्यक्त किया और हमने जनता के विश्वास को टूटने नहीं दिया बल्कि उनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। इस थोड़े से अरसे में जनहित के जितने भी कार्य हुए हैं वे एक पुस्तिका में दर्ज हैं और अगर आदमी उनको गिनने लगे तो गिन नहीं सकता। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। चौ. बंसी लाल जी, कह रहे थे कि उद्योग धंधे पलायन कर जाएंगे। चौ. बंसी लाल जी, हमारी सरकार बनने के बाद (विघ्न) 25 बड़े उद्योग धन्धे इस प्रदेश में लगे और आपके उसी मानेसर के मकान में लगे। अभी चौ. बंसी लाल जी कह रहे थे कि मानेसर का इण्डस्ट्रियल टाउन मैंने काटा, यह पॉलिसी आपकी थी लेकिन चौ. साहब, आपने इस पॉलिसी को रद्द भी कर दिया था। नीलामी वाली पॉलिसी आपने बनाई थी क्योंकि आपने अपने मन्जूरेनजर लोगों को पैसा दिलवाना था (विघ्न) वह पॉलिसी इसलिए रद्द की गई थी ताकि आपके मनचाहे लोग ज्यादा दाम पर इन्हें बेच सकें। चौ. बंसी लाल जी, आपका तो एक सूत्रीय काम था कि पैसा कैसे कमाया जाए। (विघ्न) चौ. साहब, आपने शराब बंदी का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया था ताकि शराब की तस्करी करके धन बटोरा जाए और शराब बन्दी की वजह से जहां प्रदेश को 1600 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान हुआ वहीं कितने ही लोगों की लाईफ बनाने की कोशिश की (विघ्न) चौ. साहब, आपको अपनी बात कहने का बहुत अवसर

दिया गया था इसलिए आप अभी बैठकर मेरी बात को सुन लीजिए।

चौ. साहब, आप भूल जाते हैं आपने एक सर्वे कमेटी नियुक्त की थी और उस सर्वे कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। अगर आप उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते तो पता लगता कि शराब बन्दी के क्या परिणाम निकले। कमेटी की वह रिपोर्ट छपी भी थी लेकिन वह रिपोर्ट आपने इसलिए दबा दी क्योंकि आपकी अपनी बनाई हुई कमेटी ने आपके खिलाफ फैसला दिया था और उस फैसले को पलटने की आपकी हिम्मत नहीं हुई। चौ. साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसी सदन में 1996 में जब आप मुख्यमंत्री के पद पर इस कुर्सी पर आसीन थे और आप शराब बन्दी का बिल लेकर आए थे। इसी सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर मैंने कुछ बातें कही थी। उस वक्त समूचे विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने आपके उस बिल का समर्थन किया था। हम लोग आर्य समाजी विचारधारा के लोग हैं और हमने यहां तक कहा था कि शराब एक लानत है, शराब एक सामाजिक बुराई है और यह समाज पर एक अभिशाप है इसलिए यह समाप्त होनी चाहिए लेकिन शराब अभी बन्द होगी जब राज्य सरकार की नीयत ठीक होगी (विघ्न) चौ. बंसी लाल जी, आप बीच में टोकिए नहीं, आप मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। मैं वहीं बात कह रहा हूँ जो कि असेम्बली की प्रोसीडिंग्स में दर्ज है और जो मैं आपसे कहलवाना भी चाहूंगा। मैंने एक उदाहरण के साथ कहा था कि अगर सरकार

की मंशा ठीक नहीं होगी तो शराब बंदी की बजाए शराब की तस्करी होगी और उससे शराब का एक माफिया खड़ा हो जाएगा। मैंने गुजरात की सरकार का उदाहरण दिया था, मैंने अमरीका का उदाहरण दिया था। आपने उस वक्त हमारी बात को नहीं माना था और अपनी अन्धी अक्सरियत के बल बूते पर उस बिल को पास करवा लिया था। उस वक्त आपके साथ ऐसे बड़े खुशामंदी टाईप के लोग थे जो उस वक्त आपकी हां में हां मिला रहे थे। हम थोड़े थे और हमारी संख्या कम थी इसलिए आपने उस वक्त उस बिल को पास करवा लिया था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने ट्रक की चिटों वाली बात नहीं कही है मैंने तो खुशामंदी वालों की बात कही है। (विघ्न) क्या आप खुशामंदी और चाटूकारिता वालों में आते हैं जो खड़े हो गए। आप अपनी सीअ पर बैठ जाएं सदन का समय खराब न करें। (विघ्न) चौ. बंसी लाल जी आपने हमारी बात नहीं मानी और शराबबंदी की वजह से स्टेट को नुकसान हुआ, शराब की तस्करी हुई और शराब का माफिया बना। आज उसाक नतीजा हरियाणा की जनता को भुगतान पड़ रहा है। आज आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो इसके लिए दोषी आप ही हैं। अगर गलती हो गई तो उसको मान लेना चाहिए। गलतियां तो मोहम्मद तुगलक से भी हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल: ****

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी जो भी बोल रहे हैं यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: बंसी लाल जी, जब आप शराबबंदी का बिल लाए थे तो उसको सदन में सर्वसम्मति से पास किया गया था लेकिन जब शराबबंदी को लिफ्ट किया गया था तो सदन में किसी से पूछा भी नहीं था उसके क्या कारण थे केवल आपने अपने लड़के के कहने से ही ऐसा कर दिया था।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूंगा कि प्रोहिबिशन को इसलिए हटाया गया क्योंकि हरियाणा की जनता ने साथ नहीं दिया। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार में दो पार्टियां थीं एक बी.जे.पी. और दूसरी हमारी हरियाणा विकास पार्टी। हम दोनों ने सर्व सम्मति से फैसला लिया था कि शराबबंदी हो और हम दोनों ने ही सर्वसम्मति से शराबबंदी को खोलने का फैसला लिया था।

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी का फैसला पूरे सदन ने लिया था लेकिन शराब बंदी को उठाने के बारे में आपके पुत्र सुरेन्द्र ने अखबार में ब्यान दिया था और उसके अगले दिन ही शराबबंदी का आर्डर कैंसिल कर दिया गया। अगर शराबबंदी उठानी थी तो लोकसभा के चुनावों के बाद

ही उठा लेते। लेकिन इन्होंने तो ठेकेदारों से पैसा लेना था, डिस्टिलरी वालों से पैसा लेना था, जमीनें और होटल लेने थे। पैसा कमाना था।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे किसी भी शराब के ठेकेदार से ताल्लुक नहीं हैं ऐसे ताल्लुक तो इनके हैं। सुरेन्द्र तो कोई भी ब्यान अखबारों में दे सकता है उसका 20-25 साल का राजनैतिक जीवन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला को एक सलाह देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी चौ. बंसीलाल जी के बेटे का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल के राज में उनके बेटों का राज चलता था, चौ. बंसी लाल के राज में इनके बेटे का राज चलता था अब इनका राज आ गया है मेरा इनसे यह कहना है कि यह सब बंद किया जाए क्योंकि हरियाणा की जनता इस सबसे तंग आ गई है।

मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन्सान अतीत की गलतियों से भविश्य में कुछ सीखना है उसको ठीक करता है। मैं इनका परामर्श तो तब मानूँ अगर मैंने बंसीलाल जी का हश्र ने देखा हो उन्होंने इनका परामर्श माना था। इनके लड़का लड़की तो

सिम्बल पर खड़े हो गए हैं इसलिए मैं इनका परामर्श नहीं मानूंगा। (विघ्न)

श्री रामकिशन फौजी: स्पीकर साहब, मैं सबके हित की बात ही करूंगा। विधानसभा में बोलने का हमारा भी हक है। क्या मुझे किसी भी समय बोलने का मौका दिया जाएगा? मैं किसी के विरुद्ध नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो बात सच्चाई की होगी मैं वही बात कहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: रामकिशन जी, अभी आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होगा अगर वोट ऑफ नो कॉफिंडेंस लाने वाले इन खाली बेंचों पर दिखाई देते और वे यहां पर कुछ बात करते तो हम उनकी बातों का जवाब देते। जब हम उनके किए हुए कुकर्म गिनाते तब प्रदेश की जनता को पता लगता। लेकिन आज मुझे अपनी ही सहयोगी पार्टी की बातों का जवाब देना पड़ रहा है। गुर्जर साहब ने इंजीनियरिंग कालेज में दाखिले की बात कही, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार के जितने भी इंजीरियरिंग कालेज हैं या जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीरियरिंग कालेज हैं उन सभी में 50 परसेंट आरक्षण की सुविधा है। लेकिन जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं उनमें हाई कोर्ट के फैसले के दृष्टिगत रिजर्वेशन खत्म की गई है इसलिए इस रिजर्वेशन को खत्म करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें अदालत के हर फैसले को

मानना है। अध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेटिक सैटअप के चार स्तम्भ होते हैं। जनता के चुने हुए विधायक यहां पर आकर कानून बनाते हैं और सरकार के बनाये हुए कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन इन सारे सरकारी अधिकारियों द्वारा होती है। यदि हमसे या इन अधिकारियों से इनके क्रियान्वयन में कोई गलती हो जाए तो फिर न्यायपालिका इन चीजों को चेक कर सकती है। चौथा स्तम्भ वह है जो ऊपर गैलरी में बैठा है यानी प्रैस। अगर किसी की बात को न माना जाए तो अखबार के द्वारा उनकी बात को माना जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के फैसले के कारण यह रिजर्वेशन खत्म की गयी है। वैसे इसमें कभी भी तबदीली हो सकती है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमने तो हरिजन एवं बैकवर्ड लोगों के उत्थान के लिए क्या-क्या काम किए हैं। गुर्जर साहब की पार्टी तो पहले भी हमारी सहयोगी पार्टी रही है हमने पहले भी मिलकर सरकार बनायी है इसलिए इनको पता ही है कि हमारी और इनकी सरकार ने हरिजन एवं बैकवर्ड क्लास के लोगों के बहुत काम किए हैं सबसे ज्यादा सुविधाएं इन वर्गों के लोगों को हमारी सरकार के समय में ही मिली हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग सोशल रिफोर्म्स की बात करते हैं लेकिन यदि सबसे ज्यादा सोशल रिफोर्म्स हुआ है तो हमारी सरकार के समय में ही हुआ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का समय बर्बाद न करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस वोट ऑफ नो कांफिडेंस को संभालकर रखें वे हमारे साथी अगले सेशन में फिर आएंगे। हम उनको चुनौती देते हैं कि वे फिर 6 महीने बाद अपने लाव

और लश्कर के साथ आ जाएं हम उनको इसका जवाब दे देंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शोर जैसा सुना है वह आपको सुनता
हुआ और अपनी बात समाप्त करता हूँ -

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब काटा तो
कतरा ए खून निकला।

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned sine
die.

***13.58 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned sine die).